40 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010 40th Annual Report 2009-2010



भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED

निदेशक मंडल
(दिनांक 27.08.2010 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 27.08.2010)



श्री सुभाष ग्रोवर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Subhash Grover, Chairman cum Managing Director



श्री वी. श्रीनिवास, निदेशक
Shri V. Srinivas, Director



श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई, निदेशक
Shri K. Ramchandran Pillai, Director



श्री सी. एस. तेवतिया, निदेशक (विपणन)
Shri C. S. Teotia, Director (Marketing)



श्री आर. के. केडिया, निदेशक (वित्त)
Shri R. K. Kedia, Director (Finance)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
40 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
40TH ANNUAL REPORT 2009-2010

निदेशक मंडल
(दिनांक 27-08-2010)

श्री सुभाष ग्रोवर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. श्रीनिवास	निदेशक
श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई	
श्री सी. एस. तेवतिया	
श्री आर. के. केडिया	
श्री मनोज बजाज	कंपनी सचिव एवं. महा प्रबंधक (वित्त)

BOARD OF DIRECTORS
(As on 27-08-2010)

Shri Subhash Grover	Chairman cum Managing Director
Shri V. Srinivas	Directors
Shri K. Ramchandran Pillai	
Shri C. S. Teotia	
Shri R.K. Kedia	
Shri Manoj Bajaj	Company Secretary cum General Manager (Fin)

लेखा परीक्षक

मेसर्स लुनकर एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल, मुंबई

मेसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. Loonker & Co.
Chartered Accountants, Mumbai

M/s. Prem Gupta & Co.
Chartered Accountants, New Delhi

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

अनुक्रमणिका

सूचना	02
अध्यक्ष का अभिभाषण	03
निदेशकों की रिपोर्ट	14
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	42
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी	51
तुलन-पत्र	52
लाभ और हानि लेखा	54
बेंचमार्किंग उत्कृष्टता	96
बैंको की सूची	118

CONTENT

Notice	02
Chairman Speech	03
Directors' Speech	14
Auditor's Report	42
Comments of the CAG	51
Balance Sheet	52
Profit & Loss Account	54
Benchmarking Excellence	96
List of Banks	118

सार्वजनिक उपक्रम - प्रगति के लिए वचनबद्ध
The Public Sector - A Commitment to Progress

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक **शुक्रवार, 27 अगस्त, 2010 को 12.30 बजे** वस्त्र आयुत का कार्यालय, निष्ठा भवन, 1ली मंजिल, न्यू सीजीओ बिल्डिंग, मरीन लाईन्स, चर्चगेट, मुंबई-400020 में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

(1) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्राप्त और स्वीकार करना ।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए लाभांश की घोषणा तथा उस पर विचार करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मनोज बजाज)
कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 5 अगस्त 2010

नोट्स:
बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं हैं।

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Limited will be held on **Friday the 27th August, 2010 at 12.30 p.m.** at the Office of Textile Commissioner, Nishtha Bhavan, First Floor, New CGO Building, Marine Lines, Churchgate, Mumbai 400 020, to transact the following business:

(1) To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2010, the Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

(2) To consider declaration of dividend for the Financial Year 2009-10.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[MANOJ BAJAJ]
Co. Secretary cum Gen. Manager (Fin)

Place: Navi Mumbai
Date : 5th August 2010

NOTES:
Member entitled to attend and vote is entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote instead of himself and proxy need not be a member.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

निगम की 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

सज्जनो,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

कपास मौसम 2009-10 एक बार पुनः कई मामलों में चुनौतियों और अवसरों का वर्ष रहा है । किन्तु आपका निगम विवेकशील नीतियों और निष्ठावान एवं अनुभवी कर्मचारियों के कारण चुनौतियों का सामना करने और संगठन के लिए उल्लेखनीय स्थान बनाने तथा इसे और दृढ़ बनाने में सफल रहा है ।

कपास परिदृश्य

विश्वीय

- विश्व कपास क्षेत्र वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष के 30.67 मिलियन हेक्टर्स के विरूद्ध लगभग 1% की थोड़ी सी गिरावट के साथ 30.37 मिलियन हेक्टर्स रहा है, जो किसानों द्वारा पिछले मौसम में घटे हुए बिनौला मूल्य प्राप्ति के कारण तथा कई बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में विपरीत मौसम से उपज में होनेवाली गिरावट के कारण है ।
- वर्ष 2009-10 में विश्व कपास उत्पादन लगातार तीसरे मौसम में लगभग 6% की गिरावट के साथ 22.08 मिलियन टन्स पर पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष यह 23.43 मिलियन टन्स था, जो कपास और उसके विरूद्ध प्रतियोगी उपजों के मूल्य की प्रतियोगिता में गिरावट और कपास उपज कम होने के कारण है । विश्व कपास उत्पादन में वर्ष 2009-10 के दौरान गिरावट, चीन में कपास उत्पादन में लगभग 16% गिरावट के कारण हुई है ।
- वर्ष 2008-09 में विश्वीय वित्तीय और आर्थिक संकट से उत्पन्न तेज गिरावट के बाद वर्ष 2009-10 में विश्व कपास

SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

Gentlemen,

It gives me a great pleasure to welcome you all, on behalf of the Board of Directors of the Corporation and also on my own behalf, to this 40th Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Ltd. The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March 2010 have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

The cotton season 2009-10 had once again been a year of challenges and opportunities. Your Corporation, with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet these challenges creating value for the organization and gaining further strength.

Cotton Scenario

Global:

- The world cotton acreage in 2009-10 has slightly declined by around 1% to 30.37 million hectares as against 30.67 million hectares in the previous year due to lower seed cotton prices received by farmers last season and drop in yield caused by unfavourable weather in a number of large cotton producing regions.
- World cotton production in 2009-10 has declined for the third consecutive season by around 6% to 22.08 million tons as against 23.43 million tons in the previous year due to decline in price competitiveness of cotton vs. competing crops as also weakening of cotton yields. The decline in world cotton production in 2009-10 is driven by decline in cotton production in China by around 16%.
- World cotton mill use in 2009-10 has rebounded faster and stronger than expected after a sharp drop in 2008-09 caused by global financial and

मिल उपयोग में आशातीत तेजी और मजबूती आयी है । इसके फलस्वरूप विश्व कपास मिल उपयोग वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष के 23.38 मिलियन टन्स के विरूद्ध 24.38 मिलियन टन्स हो गया है, जो 4% की वृद्धि दिखाता है । सात बड़े कपास उपभोक्ताओं में से यह वृद्धि एशिया के देशों यानि चीन, इंडिया, पाकिस्तान और बंगला देश में हुई है ।

- वर्ष 2009-10 में विश्व कपास व्यापार में वृद्धि अधिक मजबूत मिल उपयोग के कारण हुई है । चीन द्वारा कपास आयात 15% की वृद्धि के साथ 1.8 मिलियन टन्स पर पहुँच गया है । भारत द्वारा कपास निर्यात भी बड़े निर्यात योग्य अधिशेष के कारण 1.4 मिलियन टन्स तक पहुँच गया है।
- विश्व उत्पादन में लगातार गिरावट और विश्वीय मिल उपयोग में पुनर्सुधार के कारण वर्ष 2009-10 में विश्व कपास के अंतिम स्टॉक का अनुमान 9.6 मिलियन टन्स पर लगाया गया है, जो पिछले मौसम से 21% कम है ।

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

- कई कपास उत्पादक राज्यों में समग्र बुआई में एक माह की देरी हुई । कई सिंचित क्षेत्रों को नहरों का पानी समय पर नहीं मिला । इसके बावजूद पिछले वर्ष में अच्छे मूल्यों की प्राप्ति से प्रोत्साहित होकर कपास किसान अन्य प्रतियोगी उपजों की तुलना में कपास के अधीन क्षेत्र बढ़ाने में अधिक उत्साहित थे । इसके फलस्वरूप, कपास क्षेत्र 2009-10 में 103.29 लाख हेक्टर के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष यह 94.06 लाख हेक्टर था ।
- देश में बी.टी. उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है । कपास विकास निदेशालय के अनुसार वर्ष 2009-10 में बी.टी.उत्पादन के अधीन क्षेत्र लगभग 81.00 लाख हेक्टर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 68.00 लाख हेक्टर था । वर्ष 2009-10 में कपास उत्पादन के अधीन समग्र क्षेत्र में बी.टी. का भाग पिछले वर्ष के लगभग 73% के विरूद्ध 79% हो गया है ।
- वृद्धित क्षेत्रफल और बीटी उपज के कारण देश ने कपास मौसम 2009-10 के दौरान 5.02 मिलियन टन्स का कपास उत्पादन प्राप्त किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 4.93 मिलियन टन्स था । देश ने पुनः विश्व में चीन के बाद दूसरे बड़े कपास उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति बनायी है।

economic crisis. As a result, world cotton mill use in 2009-10 has gone up by 4% at 24.38 million tons as against 23.38 million tons in the previous year. Amongst the seven largest cotton consumers, growth in cotton mill use has been in Asian countries viz., China, India, Pakistan and Bangla Desh.

- World cotton trade in 2009-10 has increased sharply boosted by stronger mill use. Cotton imports by China have increased by 15% to 1.8 million tons. Cotton exports by India have also rebounded to 1.4 million tons, driven by a large exportable surplus.
- As a result of continued decline in world production and a concurrent rebound in global mill use, world cotton ending stocks in 2009-10 are projected at 9.6 million tons, down by 21% from the previous season.

Domestic

Acreage, Production and productivity of cotton

- The overall sowing in many cotton growing States was delayed by one month. Many of the irrigated areas did not get canal water in time. Despite this, encouraged with receipt of good prices in the previous year, the cotton farmers were enthusiastic in increasing the acreage under cotton as compared to other competing crops. As a result, the cotton acreage in 2009-10 had reached a record level of 103.29 lakh hectares as against 94.06 lakh hectares in previous year.
- The acreage under Bt cultivation in the country is continuously increasing. As per Directorate of Cotton Development (DoCD), the acreage under Bt cultivation in 2009-10 had been around 81.00 lakh hectares as against 68.00 lakh hectares in the previous year. The share of Bt in the overall acreage under cotton cultivation in 2009-10 constitute around 79% as against 73% in previous year.
- With increased acreage and advent of Bt cultivation, the country has achieved cotton production of 5.02 million tons in cotton season 2009-10 as against 4.93 million tons in the previous year. The country has once again retained the position as the second largest cotton producing country in the world, after China.

- भारत सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत उठाये गये विभिन्न उपायों के कारण गुणवत्तावाली प्रमाणित बीजों की बेहतर उपलब्धता और ट्रुथफुल लेबल बीजों, बी.टी.बीजों का वृद्धित रोपण और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा सुधारित खेती प्रथाओं को अपनाने के लिए कपास किसानों की विचार-धारा में आये परिवर्तन से देश में पिछले कुछ वर्षों से कपास की उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है । तथापि पिछले दो वर्षों से विपरीत कृषि जलवायु स्थितियों, नहरों के पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कपास की उत्पादकता में देश में कमी आयी है । कपास मौसम 2009-10 में, कपास की उत्पादकता 486 कि. ग्रा. प्रति हेक्टर रही है जबकि पिछले वर्ष यह 524 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर थी ।

मांग और आपूर्ति स्थिति

- कपास मौसम 2009-10 में विश्वीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार के प्रत्याशित संकेतों के साथ कच्ची कपास और यार्न, फेब्रिक एवं परिधान जैसे तैयार उत्पादों के लिए मांग में समग्र विश्व और देशी बाजार दोनों में सुधार हुआ है । इसके फलस्वरूप तथा सुधारे हुए परिचालन लाभ मार्जिन के साथ वस्त्रोद्योग अधिकांश मिलें अपनी कपास की आवश्यकता खरीदने में सक्रिय हो गयी थी । प्रोडेक्ट लाईन्स के साथ उत्पादन में सुधार को मांग में पुनर्सुधार के साथ तथा क्षमता बढ़ाने/आधुनिकीकरण उपायों के साथ समर्थन मिला है । इसके परिणामस्वरूप कपास मौसम 2009-10 में देशी कपास उपभोग लगभग 9% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 4.25 मिलियन टन्स पर पहुँच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 3.89 मिलियन टन्स था ।

वर्ष के दौरान मुख्य गतिविधियाँ और नीति निर्माण :

- प्रति वर्ष भारत सरकार विभिन्न किस्मों/ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है । कपास मौसम 2008-09 से भारत सरकार दो मूल स्टेपल ग्रुप्स के लिए यानि मध्यम स्टेपल और लंबे स्टेपल पर आधृत होते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर रही है ।
- कपास मौसम 2009-10 के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कपास मौसम 2008-09 के लिए निश्चित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही रखा है, जब उन्हें लगभग 39% से 48% तक बढ़ाया गया था।
- भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 43/2010-कस्टम्स

- With various measures taken by the Government of India under Technology Mission on Cotton, better availability of quality certified seeds and truthful label seeds, increased plantations of Bt seeds and the changed mindset of cotton farmers for adopting improved farm practices through innovative technology, the productivity of cotton in the country, over the years, had been continuously increasing. However, since last two years, with unfavourable agro-climatic conditions, inadequate availability of canal water etc., the productivity of cotton in the country has reduced. In cotton season 2009-10, the productivity of cotton had been 486 kgs/ha as against 524 kgs/ha in previous year.

Demand & Supply situation

- In cotton season 2009-10, with expected signs of improvement in the global economy, the demand for raw cotton and for finished products like yarn, fabrics and garments, have improved both domestically and world over. With this, as also with improved operating profit margins, most of the textile mills had become active in purchasing their cotton requirements. Improvement in production across product lines has been supported by revival in the demand as well as significant capacity additions/modernization initiatives. As a result, the domestic cotton consumption in cotton season 2009-10 had increased substantially by around 9% to 4.25 million tons as against 3.89 million tons in the previous year.

Major developments and policy initiatives during the year

- Every year, Government of India has been fixing the Minimum Support Prices (MSPs) for various varieties/grades. From cotton season 2008-09, the Government of India has been fixing MSPs based on two basic staple groups i.e. medium staple and long staple.
- For cotton season 2009-10, the Government of India has retained the same MSPs as were fixed for cotton season 2008-09, when the same were increased by around 39% to 48%.
- The Government of India vide Notification No.43/2010-Customs dated 9-4-2010 from the Ministry of Finance, Department of Revenue,

दि.9.4.2010 द्वारा "कच्ची कपास" को छूट प्राप्त श्रेणी से हटा दिया है और भारत से कपास निर्यात के लिए 2500/-रू. प्रति टन के आधार पर गिनी गयी से अधिक राशि पर सीमा शुल्क लगाया है ताकि असीमित निर्यात को रोका जा सके।

मूल्य प्रवृत्तिः

- कपास मौसम 2009-10 के दौरान अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से विद्यमान कपास मूल्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर बने रहे । यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गहनता पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम थी । इसके अलावा देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास मूल्यों में बहुत तेज. वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ सुदूरवर्ती केंद्रों को छोड़कर कपास के विद्यमान मूल्य अधिकांश कपास उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बने रहे है ।
- कपास मौसम 2009-10 में कपास के आरंभिक मूल्य मध्यम और लंबे तंतु की किस्मों में पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्यों की तुलना में लगभग एक माह की अवधि के लिए 11% से 18% कम रहे । तथापि अक्तूबर, 2009 के तीसरे सप्ताह से विश्वीय अर्थ व्यवस्था में सुधार को देखते हुए देशी कपास मूल्य स्थिर से बेहतर होने आरंभ हो गए। अप्रैल, 2010 के प्रथम सप्ताह में कपास मूल्य उच्चतम स्तर पर पहुँच गये और पिछले वर्ष की तुलना में 26% से 34% तक ऊँचे थे । कपास मौसम 2009-10 में कपास मूल्य पिछले वर्षों की तुलना में अब तक के सबसे ऊँचे थे ।
- ईएलएस किस्म के कपास मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में मौसम के आरंभ से ऊँचे रहे है । ईएलएस के कपास मूल्य मार्च, 2010 माह में उच्च स्तर पर पहुँच गये, जिस समय वे पिछले वर्ष की तुलना में 58% से 62% तक ऊँचे रहे है । मार्च, 2010 के अंतिम सप्ताह से इएलएस कपास किस्म की दरें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% से 43% तक ऊँची रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य :

- कॉटलुक-ए सूचकांक का आरंभिक मूल्य जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य दर्शाता है, गतवर्ष की तुलना में कम रहा है । अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह तक कॉटलुक-ए सूचकांक

Government of India, has omitted “Raw Cotton” from the exempted category and imposed customs duty in excess of amount calculated at the rate of Rs.2500/- per ton for export of cotton from India, with a view to control unrestricted exports.

Price trend

- During cotton season 2009-10, from the first week of October 2009, the prevailing kapas prices had started ruling at MSP level in the Northern States of Punjab, Haryana and Rajasthan. However, the intensity of MSP was much lower as compared to last year. Besides this, there was sharp increase in cotton prices in domestic and international market. As a result, from the first week of November 2009, the prevailing kapas prices had started ruling above MSP in all the cotton growing States, except some remote centres of Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa.
- The opening prices of cotton in cotton season 2009-10 were lower in medium and long staple varieties for a period of about one month by 11% to 18% as compared to the opening prices of previous year. However, from third week of October 2009, in the wake of improvement in global economy, the domestic cotton prices have started ruling steady to better. In the first week of April 2010, the cotton prices had reached a peak level and were higher by around 26% to 34% as compared to previous year. The cotton prices in cotton season 2009-10 had ruled all time higher than the previous years.
- The cotton prices of ELS varieties had been ruling higher since beginning of the season as compared to last year. The cotton prices of ELS had reached a peak level in the month of March 2010 when the same were higher by around 58% to 62% as compared to last year. Since last week of March 2010, the cotton prices for ELS are ranging higher by around 24% to 43% as compared to last year.

International cotton prices

- The opening price Cotlook A Index, a measure of international prices, had been lower as compared to last year. Till first week of October 2009,

के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे हैं । तथापि, नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह में कॉटलुक-"ए" सूचकांक मूल्य बढ़ने शुरू हो गये और जून, 2010 के दूसरे सप्ताह में 95.70 यूएस सेन्टस प्रति एलबी स्तर तक पहुँच गये, जो पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्य 63.90 यूएस सेन्टस प्रति एलबी से 49% अधिक थे और पिछले वर्ष की तुलना में 46% ऊँचे थे। सूचकांक योग्य गुणता में ऑफर्स की कमी के कारण कॉटलुक-ए सूचकांक दि. 23.06.2010 से हटा दिया गया है । कपास मौसम 2009-10 के लिए कॉटलुक-ए सूचकांक पिछले वर्ष के 61.00 यूएस सेन्टस प्रति एलबी के विरूद्ध औसतन 78 यूएस सेन्टस प्रति एलबी रहा है ।

निगम का कार्य-निष्पादन

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य

- निगम कपास के वर्तमान मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँचने की स्थिति में देश के कपास उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है । वर्ष 2009-10 में कपास के वर्तमान मूल्य मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी राज्यों में और उनके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश में लगभग एक माह की अवधि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर बने रहे । अतः निगम ने इन राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य-संचालन किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य-संचालन के अंतर्गत 5.80 लाख गॉठों के समकक्ष 30.60 लाख क्विंटल कपास खरीदी है ।

वाणिज्यिक कार्य

- निगम सौंपी गयी भूमिका के अनुसार वाणिज्यिक कार्य-संचालन पूर्णतः अपने जोखिम पर करता है ताकि कपास किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा संस्थागत और निर्यात के साथ-साथ संस्थागत और निजी नियमित मिलों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके । नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से, सभी कपास उत्पादक राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ सुदूरवर्ती केंद्रों को छोड़कर कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बने रहे । अतः निगम ने 4 दिसंबर, 2009 से वाणिज्यिक कार्यसंचालन किया और 1.78 लाख गॉठों के समकक्ष 8.51 लाख क्विंटल कपास खरीदी है ।

the Cotlook A Index prices had been lower as compared to last year. However, from first week of November 2009, the Cotlook A Index prices started increasing and reached a level of 95.70 US Cents per lb in the second week of June 2010, which is higher by around 49% than the opening price of 63.90 US C/lb and 46% higher as compared to that of last year. Due to paucity of offers for Index-eligible qualities, the Cotlook A index has been withdrawn from 23-06-2010. For cotton season 2009-10, the Cotlook A Index has averaged 78 US Cents/lb as against 61.00 US Cents/lb in last year.

Performance of the Corporation

MSP operations

- The Corporation continues to play an important role in ensuring remunerative prices to the cotton growers of the country in the wake of prevailing kapas prices touching the MSP level. During the year 2009-10, the prevailing kapas prices had ruled at MSP level for a span of around one month, mainly in the Northern states of Punjab, Haryana and Rajasthan followed by Gujarat and Andhra Pradesh. Hence, the Corporation had undertaken MSP operations in these States and had purchased 30.60 lakh quintals of kapas equivalent to 5.80 lakh bales under MSP operations.

Commercial operations

- As per the role assigned, the Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and private as also in exports. From the first week of November 2009, the prevailing kapas prices in all the cotton growing states had started ruling above MSP, barring some remote centres of Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa. Hence, the Corporation has undertaken commercial operations from 4th December 2009 and had purchased 8.51 lakh quintals of kapas equivalent to 1.78 lakh bales.

देशी बिक्री

- कपास मौसम 2009-10 के दौरान देशी और संपूर्ण विश्व में कपास की अच्छी मांग के साथ-साथ निगम ने अपने स्टॉक के परिसमापन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसने कपास स्टॉक को समाप्त करने में सहायता की है । निगम वित्तीय वर्ष 2009-10 में 74.87 लाख गॉठें बेचने में सफल रहा है, जबकि गत वर्ष यह 19.55 लाख गॉठें था ।

डिपो बिक्री योजना

- वस्त्रोद्योग मिलों, विशेषतः तमिलनाडु में छोटी और मध्यम मिलों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निगम ने कपास मौसम 2009-10 में कोयम्बतूर और राजपालयम में डिपो बिक्री योजना आरंभ की है । तमिलनाडु सरकार ने ऐसे डिपो बिक्री से बेची गयी गॉठों को 4% वैट की छूट दी है । इस योजना का उद्देश्य वस्त्रोद्योग मिलों को विभिन्न लाभ पहुँचाना है, जैसे कि गुणवत्ता वाली कपास की आपूर्ति उनके पास उपलब्ध कराना, बड़े स्टॉक रखने की आवश्यकता समाप्त करना, लीड टाईम, ब्याज और रखरखाव प्रभार पर होने वाले खर्च की बचत, उनकी मिलों में पूर्व जाँच द्वारा गुणवत्ता वाली कपास के चयन का लाभ और जल्दी भुगतान द्वारा नकद डिस्काऊंट प्राप्त करना । कपास मौसम 2009-10 में इस योजना के अधीन निगम ने 24,750 गॉठें बेची है ।

निर्यात बिक्री

- कपास मौसम 2009-10 में देश से कपास निर्यात की सुलभता के लिए कपास की अत्याधिक मात्रा उपलब्ध थी । इसके अलावा, कपास के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य देशी कपास मूल्यों से ऊँचे थे तथा पड़ोसी देशों से जैसे चीन, पाकिस्तान और बंगला देश से भारतीय कपास के लिए अच्छी मांग थी । इसके फलस्वरूप, वर्ष 2009-10 में भारत से कपास निर्यात का अनुमान सीएबी द्वारा 83.00लाख गॉठों का लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 35.00 लाख गॉठें था । तथापि, सीमित खरीद कार्य संचालन के कारण निगम बंगला देश को निर्यात में 0.13 लाख गॉठें बेच सका है ।

बिक्री टर्न-ओवर

- आलोच्य वर्ष के दौरान, निगम का टर्न-ओवर पिछले वर्ष के 4974.84 करोड़ रूपये के विरूद्ध 8396.51 करोड़ रूपये

Domestic sales

- Besides good demand for cotton domestically and world over in cotton season 2009-10, the Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the cotton stocks. The Corporation has succeeded in selling 74.87 lakh bales during FY 2009-10 as against 19.55 lakh bales in the previous year.

Depot Sales Scheme

- With a view to benefit the textile mills, particularly small and medium mills in Tamil Nadu, in cotton season 2009-10, the Corporation had started Depot Sales Scheme in Coimbatore and Rajpalayam. The Government of Tamil Nadu has exempted 4% VAT on bales sold from such sale depots. The Scheme aims at extending various benefits to the textile mills such as availability of supply of quality cotton at their door steps, no need to maintain large inventories, saving on account of lead time, interest and carrying charges, advantage of selection of quality cotton by pre-testing in their mills and availment of cash discount for early payment. The Corporation has sold 24,750 bales under this scheme in cotton season 2009-10.

Export sales

- In cotton season 2009-10, there was abundant availability of cotton facilitating cotton exports from the country. Besides this, the international cotton prices were higher than the domestic cotton prices and there was good demand for Indian cotton, especially from the neighbouring countries like China, Pakistan and Bangla Desh. As a result, cotton exports from India in 2009-10 had been estimated at 83.00 lakh bales by the CAB as against 35.00 lakh bales in previous year. However, due to limited procurement operations, the Corporation could sell 0.13 lakh bales in exports to Bangla Desh.

Sales turn-over

- During the year under review, the turnover of the Corporation had been Rs.8396.51 crores as against the turnover of Rs.4974.84 crores in the

रहा । निगम यह बिक्री टर्न-ओवर व्यावहारिक बिक्री नीति के अनुपालन, उपभोक्ता मिलों को गुणवत्तावाली कपास की सीधी आपूर्ति तथा ग्राहकों को बिक्री से पहले तथा उसके बाद बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा कपास की विभिन्न मार्केट में कपास की बिक्री के लिए सभी ओर से प्रयासों के कारण हुआ है ।

मूल्य वर्धन :

- निर्यातोन्मुख ईकाइयों तथा गुणवत्ता के प्रति अन्य सचेत मिलों की संदूषण-मुक्त कपास की मांग को पूरा करने के लिए, निगम ने कुल खरीद के 75% का संसाधन न्यूनतम संदूषण के साथ किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 67% था । मिलों से इसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग मिलों में संसाधित कपास को प्रीमियम के साथ बेच सका है ।

विकासशील गतिविधियाँ

- किसान समुदाय के बीच सघनित कपास खेती यानि संविदा खेती को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय करने के उद्देश्य से तथा कपास किसानों को एवं अंततः उपभोक्ता यानि खरीददार मिलों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निगम ने कपास मौसम 2009-10 में एक सुविधाकर्ता के रूप में सघनित कपास खेती को प्रोत्साहित करना जारी रखा । आगे, कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन II के अधीन फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी) के संघटकों के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेन्सी के रूप में निगम ने कपास मौसम 2009-10 में सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में एफएलडी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है । तथापि, कृषि मंत्रालय द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अधीन एफएलडी कार्यक्रम के लिए निधियों की बड़ी कटौती के कारण निगम को निधियों का आबंटन न होने से आगामी कपास मौसम 2010-11 में कपास के लिए निगम की एफएलडी कार्यक्रम में सहभागिता प्रभावित हो सकती है ।

लाभप्रदता

- वित्तीय वर्ष, 2009-10 के दौरान निगम ने 8.79 करोड़ रूपये (कर के बाद) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2008-09 में 67.04 करोड़ रूपये (कर के बाद) अर्जित किया था । लाभप्रदता में गिरावट मुख्यतः आलोच्य वर्ष के प्रारंभ में वाणिज्यिक परिचालन का न्यूनतम ओपनिंग स्टॉक तथा कम खरीद परिचालन रहा है ।

previous year. The Corporation could achieve this turnover by pursuing the policy of pragmatic sales, directly to consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre-and-post sales services to the customers as also due to all out efforts to sell cotton various markets.

Value addition

- With a view to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills, the Corporation has processed 75% of the total procurement with least contamination as against 67% during last year. The response from the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium.

Developmental activities

- With a view to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation i.e. Contract Farming amongst the farming community and to benefit the cotton farmers and the ultimate consumers i.e. buyer mills, the Corporation continued to promote the Integrated Cotton Cultivation as a facilitator in cotton season 2009-10. Further, as one of the Nodal agencies for implementing the components of Front Line Demonstrations (FLDs) under Mini Mission II of the Technology Mission on Cotton alongwith other implementing agencies, the Corporation had successfully organized FLDs in all the major cotton growing states in cotton season 2009-10. However, with non-allotment of funds to CCI due to major curtailment of funds for FLD programme under MM-II of TMC by the Ministry of Agriculture, Corporation's involvement in the FLD programme for cotton in the ensuing cotton season 2010-11 may be affected.

Profitability

- During the financial year 2009-10, the Corporation has earned a net profit of Rs.8.79 crores (after tax) as against the profit of Rs.67.04 crores (after tax) in the financial year 2008-09. The decline in profitability has been mainly due to negligible opening stocks of commercial operations and lower procurement operations during the year under review.

प्रदत्त शेयर पूँजी

- निगम के लगातार अच्छे कार्य-निष्पादन को देखते हुए निदेशक मंडल ने सकल शेयर पूँजी 5.83 करोड़ रूपये (लाभांश पर कर सहित), पर 20% की लाभांश की घोषणा की है जबकि पिछले वर्ष यह 15.69 करोड़ रूपये (लाभांश पर कर सहित) था ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III और IV का कार्यान्वयन

- निगम कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)के मिनी मिशन-III और IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी का कार्य करता रहा है । 11 वीं योजना में 250 मार्केट यार्ड का लक्ष्य कपास में संदूषण को न्यूनतम करने के लिए विकास हेतु अनुमोदित किया गया ताकि कपास उत्पादकों को उनके कपास का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । इन 250 मार्केट यार्ड के लिए कुल परियोजना व्यय 476.10 करोड़ रू., जिसमें टीएमसी की सहायता 250.39 करोड़ रू. है । इन अनुमोदित 250 परियोजनाओं में से, 31 मार्च, 2010 तक 242 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है । इसी प्रकार, 1000 जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध टीएमसी ने अब तक 1011 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण कार्य प्रारंभ किया है । इनमें से 885 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है । इन फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए कुल परिव्यय 1427.61 करोड़ रू. है, जिसमें से टीएमसी की सहायता 224.26 करोड़ रू. थी । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण ने टीएमसी के 2 - 3½ के मानदंडो के विरूद्ध वर्तमान के ट्रैश /संदूषण स्तर को 5% - 8% से 1% से 3% तक कम कर दिया है ।

  उपरोक्त के फलस्वरूप, देशी कताई उद्योग को बेहतर संसाधित और संदूषण-मुक्त कपास मिलेगी । भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर के समकक्ष संसाधित है और अन्य निर्यात देशों के कपास के समकक्ष विश्व में स्वीकृत है ।

वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

- वर्ष 2008-09 के लिए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों के सामने वास्तविक परिणामों की उपलब्धि के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगम को "बहुत अच्छा" अंकन दिया गया है । आपके निगम और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन 29 मार्च, 2010 को हस्ताक्षरित किया गया ।

Paid-up Share Capital

- In view of continued good performance of the Corporation, the Board of Directors of the Corporation have recommended dividend @ 20 per cent on paid up share capital aggregating to Rs.5.83 crores (including tax on dividend) as against Rs.15.69 crores (including tax on dividend) in the previous year.

Implementation of Mini Mission III and IV of TMC

- The Corporation continued to be the implementing agency for Mini Mission III and IV of the Technology Mission on Cotton (TMC). The target of 250 market yards upto XIth plan had been approved for development to minimize contamination in kapas so as to enable the cotton growers to get better price for their cotton. The total outlay for this 250 market yards is Rs.476.10 crores with TMC assistance of Rs.250.39 crores. Out of these 250 projects approved, there are 242 projects, which have been completed upto 31st March 2010. Similarly, against the target of 1000 G&P units, TMC has so far taken up 1011 G&P factories for modernization. Out of this 885 G&P factories have been completed for modernization. The total outlay for modernization of these factories is Rs.1427.61 crores with TMC assistance of Rs.224.26 crores. The modernization of G&P factories has reduced trash/contamination from the earlier levels of 5% to 8% to 1% to 3% as against TMC norms of 2 to 3½%.

  As a result of above, the domestic spinning industry is able to get better processed and contamination free cotton. The Indian cotton is now processed equivalent of international quality standards and is accepted world over at par with cotton of other exporting countries.

Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry

- On the basis of actual results vis-à-vis targets for the year 2008-09 had been rated “Very Good” by the Department of Public Enterprises. The MoU between the Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2010-11 was signed on 29th March 2010.

निगमित शासन

- निगम ने भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार निगमित शासन की प्रणाली और प्रथाओं को अपनाया है । आपका निगम सामाजिक दायित्व को देखते हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स का हित बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है । निगम के निगमित शासन का उद्देश्य अपने व्यापार के आचरण में नैतिक और उचित व्यापार प्रथाओं के अनुपालन द्वारा शेयरधारकों का महत्व बढ़ाना है तथा प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्चतम मानदंड बनाए रखना है ।

भावी परिदृश्य :

- विगत वर्षों के दौरान, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास क्षेत्र में दूसरे बड़े कपास उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता तथा शुद्ध कपास निर्यातक के साथ-साथ मुख्य संचालक के रूप में उभरा है । यद्यपि आगामी कपास मौसम 2010-11 में कपास उपज के आकार का चित्र अगस्त, 2010 के अंत तक स्पष्ट हेगा, फिर भी, वर्तमान परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि कपास मौसम 2009-10 में उत्पादन के लिए प्राप्त अच्छे मूल्यों के कारण किसान अन्य प्रतिस्पर्धी उपजों से कपास के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की ओर प्रेरित होंगे । इसके फलस्वरूप आगामी कपास मौसम 2010-11 में कपास क्षेत्र लगभग 10% बढ़ सकता है । वर्ष 2010-11 में कपास उत्पादन पिछले मौसम की तुलना में उल्लेखनीय रूप से ऊँचे स्तर पर भी रह सकता है ।
- विश्वीय स्तर पर आगामी कपास मौसम 2010-11 में कपास क्षेत्र पिछले चार मौसमों की तुलना में पहली बार 9% तक बढ़ कर 32.9 मिलियन हैक्टर तक हो सकता है । वर्ष 2010-11 में विश्व कपास उत्पादन का अनुमान भी लगभग 13% की वृद्धि के साथ 24.9 मिलियन टन्स लगाया गया है । बड़ी उपज के अनुमान का कारण कपास पौधों में विस्तार के साथ-साथ कपास किसानों द्वारा अन्य उपजों की तुलना में वर्ष 2009-10 में कपास मूल्यों में वृद्धि के प्रति दिखायी गयी प्रतिक्रिया है । कपास उत्पादन में ब्राजील, उजबेकिस्तान, तुर्की, आस्ट्रेलिया, ग्रीस आदि में वृद्धि के साथ-साथ भारत में (8% द्वारा), यूएसए में (44% द्वारा) और पाकिस्तान में (8% द्वारा) वृद्धि होने का अनुमान है । विश्व मिल उपभोग में वर्ष 2010-11 में 2% की वृद्धि के साथ 24.9 मिलियन टन्स का अनुमान लगाया गया है, जो विश्वीय आर्थिक विकास में लगातार सुधार के दबाव के फलस्वरूप है ।

Corporate Governance

- The Corporation has adopted the system and practices of corporate governance as per the guidelines of the Government of India. The Corporation endeavours to balance the interests of various stakeholders keeping in view the social responsibility. The objective of corporate governance in the Corporation is to enhance shareholders value by pursuing ethical and fair business practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosures and transparency.

Future Outlook

- Over the years, India has emerged as a key player in the cotton sector at international level, as the second largest cotton producer, consumer as well as a net exporter of cotton. Although a picture of cotton crop size in the ensuing cotton season 2010-11 shall be clear by the end of August 2010, however, from present indications, it appears that due to receipt of good prices for their produce in cotton season 2009-10, the farmers are inclined to increase acreage under cotton by switching over from other competing crops. As a result, the cotton acreage in the ensuing cotton season 2010-11 may go up by around 10%. The cotton production in 2010-11 may also remain at substantially higher level than previous season.
- At world level, the cotton acreage is expected to increase by 9% in the upcoming cotton season 2010-11 for the first time in last four seasons to 32.9 million hectares. World cotton production is also forecast up in 2010-11 by around 13% to 24.9 million tons. The forecast of larger crop is due to expansion in cotton plants as farmers are reacting to rise in cotton prices in 2009-10 vis-à-vis other crops. Cotton production is expected to increase in India (by 8%), in USA (by 44%) and Pakistan (by 8%) alongwith increase in Brazil, Uzbekistan, Turkey, Australia, Greece etc. World mill use is projected to continue to recover in 2010-11 by 2% to 24.9 million tons pushed by continued improvement in the global economic growth.

वर्ष 2010-11 में विश्व कपास व्यापार का अनुमान 2% की वृद्धि के साथ 7.92 मिलियन टन्स पर लगाया गया है, जो चीन सहित सभी मुख्य उपभोक्ता देशों द्वारा आयात में वृद्धि के कारण है । वर्ष 2010-11 में भारतीय निर्यात द्वारा 1.22 मिलियन टन्स की गति बनाये रखने का अनुमान है ।

भावी योजना

- यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य कारकों के प्रवेश के फलस्वरूप देश की कपास अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है, तथापि, निगम विवेकशील व्यापार नीतियों के कारण आगामी वर्षों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार है ।

आभार

- मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
- मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, मान.राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ । इसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान, पहले से निर्धारित प्रवृत्तियों और कार्य-निष्पादन को बनाये रखने में सफल नहीं हो सकता था ।
- समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।
- मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न मिलों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वर्ष 2009-2010 के दौरान अपनी रूई की आवश्यकता निगम से पूरी की और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा

World cotton trade in 2010-11 is forecast 2% higher at 7.92 million tons by an increase in imports by major consuming countries, including China. Indian exports in 2010-11 are expected to maintain the pace at 1.22 million tons.

Future Planning

- Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such competition in the coming years by adopting prudent business policies.

Acknowledgements

- I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.
- I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Hon'ble Minister of State for Textiles, Government of India, Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner and his officials, but for which to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to the working of the Corporation, would not have been possible.
- I am also grateful for the valuable guidance given by the Statutory Auditors, Member, Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of the accounts of the Corporation for the year under review.
- Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2009-10, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing

निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

- इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धता पूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

धन्यवाद

(सुभाष ग्रोवर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 27-08-2010

Corporations for the cooperation extended to the Corporation.

- I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

(SUBHASH GROVER)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date : 27-08-2010

वर्ष 2009-10 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2009-10

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण **31 मार्च, 2010** को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर **40वीं वार्षिक रिपोर्ट** सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति :

1.1 कपास मौसम 2009-10 की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम 2009-10 का आरंभ 71.50 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिलों की लगभग साढ़े तीन माह की खपत के समकक्ष था ।

(ii) देश में वर्ष 2009-10 के दौरान कपास उत्पादन 292.00 लाख गॉठें हुआ है जबकि पिछले वर्ष यह 290.00 लाख गॉठें था । इस वर्ष की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं:-

(क) वर्तमान कपास मौसम 2009-10 के दौरान कृषि-जलवायु स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी । कई कपास उत्पादक राज्यों में समग्र बुआई एक महीना देरी से हुई । कई सिंचित क्षेत्रों को नहर का पानी समय पर प्राप्त नहीं हुआ । महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में सूखा तथा बाढ़ दोनों ने कपास फसल को क्षति पहुँचायी । कोई विशेष कीट बीमारियाँ नहीं दिखायी दी ।

(ख) पिछले कपास मौसम 2008-09 के दौरान अच्छे मूल्य प्राप्त होने के साथ-साथ प्रोत्साहन मिला है, कपास किसान अन्य नकदी फसल की तुलना में कपास के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने में उत्साही रहे है । कपास मौसम 2009-10 में कपास खेती के अंतर्गत क्षेत्र 101.71 लाख हेक्टर

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the 40th Annual Report on the working of your Corporation together with Annual Accounts for the year ended 31st March 2010, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors, alongwith their report thereon.

1. COTTON SITUATION:

1.1 The highlights of the cotton season 2009-10 are as under:

(i) The cotton season 2009-10 began with a carry over stock of 71.50 lakh bales, which was equivalent to about three and half month's mill consumption.

(ii) The cotton production in the country in cotton season 2009-10 has been placed at 292.00 lakh bales as against 290.00 lakh bales in previous year. The salient features of this year's cotton situation had been as under:

(a) The agro-climatic conditions during the current cotton season 2009-10 had not been favourable. The overall sowing in many cotton-growing states was delayed by one month. Many of the irrigated area did not get canal water in time. The States like Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka experienced both drought and floods causing damage to cotton crop. No major pest diseases were, however, noticed.

(b) Encouraged with receipt of good prices during previous cotton season 2008-09, the cotton farmers were enthusiastic in increasing acreage under cotton as compared to other competing cash crops. The area under cotton cultivation in cotton season 2009-10 had reached a record level of 101.71 lakh hectares

रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष 94.06 लाख हेक्टर था ।

(ग) अन्य स्पर्धात्मक फसल के कारण उत्तरी क्षेत्र में, विशेष रूप से हरियाणा तथा राजस्थान में कपास के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 13% से वृद्धि होकर 14.47 लाख हेक्टर हुआ, जबकि पिछले वर्ष 12.85 लाख हेक्टर था । अपर्याप्त वर्षा तथा नहर का पानी न मिलने के परिणामस्वरूप पंजाब तथा हरियाणा में सूखा जैसी स्थिति से कपास फसल प्रभावित हुई । इन सभी कारणों से क्षेत्र में वृद्धि होने के बावजूद, उत्तरी क्षेत्र में कपास उत्पादन में बहुत कम वृद्धि है, पिछले वर्ष जो 39.00 लाख गॉठें था, इस वर्ष 40.00 लाख गॉठें हुआ है ।

(घ) बुआई के समय देरी से तथा अपर्याप्त वर्षा के बावजूद, मध्य अंचल में कपास के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 11% से वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के 61.21 लाख हेक्टर क्षेत्र के सामने 67.73 लाख हेक्टर है । तथापि मध्य अंचल में, विशेषता महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कुछ भागों में कपास अंकुरण की अवधि में असमय तथा अधिक वर्षा से कपास उपज तथा उत्पादन प्रभावित हुआ । इसके फलस्वरूप, कपास मौसम 2009-10 में मध्य अंचल में कपास उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 170.00 लाख गॉठों के सामने 173.00 लाख गॉठें है ।

(ड) दक्षिण क्षेत्र में, देरी से वर्षा होने से समग्र बुआई प्रभावित हुई । आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र के जिलों में भी वर्षा कम हुई । इसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश में समग्र कपास क्षेत्र 13.19 लाख हेक्टर तक कम हुआ, जबकि पिछले वर्ष में 13.99 लाख हेक्टर हुआ था । राज्य में सूखा तथा बाढ़ के कारण राज्य में कपास उत्पादन 50.00 लाख गॉठों तक कम हुआ, जो पिछले

as against 94.06 lakh hectares during the previous year.

(c) Due to switching over of area from other competing crops, the acreage under cotton in Northern zone, particularly in Haryana and Rajasthan had increased by around 13% at 14.47 lakh hectares as against 12.85 lakh hectares in previous year. Inadequate rainfall and non-release of canal water resulting into drought like situation had affected the cotton crop in Punjab and Haryana. Due to all these reasons, despite increase in acreage, the cotton production in Northern zone had increased marginally to 40.00 lakh bales as against 39.00 lakh bales in previous year.

(d) Despite delayed rains and insufficient monsoon at the time of sowing, the acreage under cotton in the Central zone had increased by around 11% at 67.73 lakh hectares as against 61.21 lakh hectares in previous year. However, untimely and excessive rains at the time of cotton growing period in certain parts had affected the yield and cotton production in central zone, particularly in Maharashtra and Madhya Pradesh. As a result, the cotton production in Central zone in cotton season 2009-10 had increased marginally to 173.00 lakh bales as against 170.00 lakh bales in previous year.

(e) In Southern zone, the delayed rains had affected the overall sowings. The rains had also been deficient in coastal districts of Andhra Pradesh. As a result, the overall cotton acreage in Andhra Pradesh had been lesser at 13.19 lakh hectares as against 13.99 lakh hectares in previous year. There had been drought and floods in the State due to which the cotton production in

मौसम में 53.00 लाख गॉठें था । कर्नाटक में पिछले वर्ष के 4.07 लाख हेक्टर कपास क्षेत्र की तुलना में 4.27 लाख हेक्टर तक थोड़ी वृद्धि हुई । वर्ष 2009-10 के दौरान सूखा तथा उसके पश्चात् बाढ़ आयी थी । तथापि, कर्नाटक में कपास उत्पादन में लगभग 6% से वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 9.00 लाख गॉठों के सामने 9.50 लाख गॉठें है ।

(च) देश में बी.टी.कपास के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती रही है । कपास मौसम 2009-10 के दौरान 101.71 लाख हैक्टर कुल क्षेत्र के सामने लगभग 81 लाख हैक्टर क्षेत्र बी.टी. कपास के अंतर्गत है, जो पिछले वर्ष के कुल क्षेत्र के 73% के सामने लगभग 79% है ।

(छ) उत्कृष्ट लंबे और अत्यधिक लंबे तंतु की कपास में, देश में लगभग 9 से 10 लाख गॉठों की समग्र खपत के विरूद्ध देशी उत्पादन लगभग 5 लाख गॉठों पर स्थिर रहा है, जो कि मुख्यतः आंध्र-प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में इस स्टेपल ग्रुप के अधीन घटे हुए क्षेत्र के कारण है । इसके फलस्वरूप, वस्त्रोद्योग मिलों को मुख्यतः यूएस पिमा, ईजिप्शियन गिजा आदि की श्रेणी में लगभग 7 लाख गॉठों की सीमा तक कपास का आयात करना पड़ा ।

(ज) कपास मौसम 2009-10 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य देशी कपास मूल्यों से अधिक थे तथा देशी कपास के लिए विशेष रूप से चायना, पाकिस्तान तथा बंगला देश से अच्छी मांग थी । इसके परिणामस्वरूप, सीएबी द्वारा वर्ष 2009-10 में भारत से 80.00 लाख गॉठों की रूई निर्यात का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 35.00 लाख गॉठें थी ।

1.2 कपास मौसम 2009-10 के दौरान, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास मौसम 2008-09 के

the State had been less at 50.00 lakh bales as compared to 53.00 lakh bales in previous season. In Karnataka, the cotton acreage had increased slightly at 4.27 lakh hectares as against 4.07 lakh hectares in previous year. There had been drought and subsequent floods during 2009-10. However, still the cotton production in Karnataka had increased by around 6% at 9.50 lakh bales as against 9.00 lakh bales in previous year.

(f) Acreage under Bt cotton in the country is continuously increasing year by year. During cotton season 2009-10, out of total acreage of 101.71 lakh hectares around 81 lakh hectares area was covered under Bt cotton, constituting around 79% of the total acreage as against 73% during last year.

(g) In Superior Long and Extra long staple cottons, as against overall consumption of around 9 to 10 lakh bales in the country, the indigenous cotton production in this staple group remained stagnant at around 5 lakh bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh and Karnataka. This has led to imports in this category by the textile mills mainly for US Pima, Egyptian Giza etc., to the extent of around 7 lakh bales.

(h) The international cotton prices during cotton season 2009-10 were higher than the domestic cotton prices and there was good demand for Indian cotton, especially from neighbouring countries like China, Pakistan and Bangla Desh. As a result, cotton exports from India in 2009-10 have been estimated at 80.00 lakh bales by the CAB as against 35.00 lakh bales in previous year.

1.2. During cotton season 2009-10, the Government of India had retained the same

अनुसार ही रखे, जबकि उसमें लगभग 39% से 48% वृद्धि हुई थी ।

1.3 कपास मौसम 2009-10 के दौरान, अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से, उत्तरी राज्यों के पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर थे । तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य की तीव्रता बहुत कम थी । इसके अलावा, देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास मूल्यों में बड़ी वृद्धि हुई । इसके परिणामस्वरूप, नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के सुदूरवर्ती केंद्रों को छोड़कर सभी कपास उत्पादक राज्यों में प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर प्रचलित रहे।

1.4 समीक्षागत वर्ष के पहले छः माह में यानि अप्रैल से सितंबर, 2009 में, संपूर्ण विश्व में और देशी बाजार में यार्न के लिए मांग में सुधार होने लगा कि भारत, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे अधिकांश यार्न निर्यातक देश कपास मूल्यों में मजबूती के कारण ऊँचे मूल्य बताने लगे । यू.एस.डॉलर के विरूद्ध रूपये की कमजोरी ने इस अवधि में यार्न निर्यात को बढ़ावा दिया । उसके पश्चात्, द्वितीय छःमाही के प्रारंभिक माह की अवधि में विश्व अर्थ-व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के साथ देशी तथा विश्व बाजार में यार्न, फेब्रिक्स तथा गारमेंट की मांग प्रारंभ हुई । इसके साथ, लाभ मार्जिन में सुधार के साथ अधिकतम वस्त्र मिलें अपनी कपास आवश्यकता को खरीदने में सक्रिय हुई । प्रोडक्ट लाइन्स के उत्पादन में वृद्धि से माँग में सुधार के साथ-साथ आधुनिकीकरण /परिवर्धन क्षमता को भी एक महत्वपूर्ण समर्थन मिला

2. वित्तीय परिणाम :

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने गत वर्ष के 4974.84 करोड़ रू. टर्न-ओवर के विरूद्ध 8396.51 करोड़ रू. का ऊँचा टर्न-ओवर प्राप्त किया है । आपके निगम ने यह टर्न-ओवर उपभोक्ता मिलों को सीधे आक्रामक बिक्री नीति का अनुपालन करते हुए गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति द्वारा और ग्राहकों को बिक्री के पूर्व और बाद के बेहतर सेवायें उपलब्ध कराते हुए तथा

MSPs as were fixed for cotton season 2008-09, when the same was increased by around 39% to 48%.

1.3. During cotton season 2009-10, from the first week of October 2009, the prevailing kapas prices had started ruling at MSP level in the Northern States of Punjab, Haryana and Rajasthan. However, the intensity of MSP was much lower as compared to last year. Besides this, there was sharp increase in the cotton prices in domestic and international market. As a result, from the first week of November 2009, the prevailing kapas prices had started ruling above MSP in all the cotton growing States, except some remote centres of Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa.

1.4. In the first half of the year under review i.e. April to September 2009, the demand for yarn, both domestically and world over had started improving in as much as the yarn exporting countries including India, Pakistan, Turkey, China etc., had started quoting higher prices due to firm trend in cotton prices. The weakening of Rupee against US$ had also helped in pushing yarn exports during this period. Subsequently, in the second half, barring initial period of one month, with expected improvement in the global economy, the demand for yarn, fabrics and garments started improving both domestically and in world market. With this, as also with improved operating profit margin, most of the textile mills had become active in purchasing their cotton requirements. Improvement in production across product lines has been supported by revival in the demand as well as significant capacity additions/modernization initiatives.

2. FINANCIAL RESULTS:

2.1. During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs. 8396.51 crores as against the previous year's turnover of Rs.4974.84 crores. Your Corporation could achieve this turnover by pursuing the policy of pragmatic sales, directly to the consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre-and-post sales services to the customers

विदेशी बाजारों में कपास बेचने के यथासंभव प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया है ।

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें निम्नानुसार रही :-

	2009-10	2008-09
देशी बिक्री (लाख गांठों में)	74.87	19.55
निर्यात बिक्री (लाख गांठों में)	0.49	1.53
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	8396.51	4974.84
कर से पहले लाभ (करोड़ रूपयों में)	12.99	107.74
कर के बाद लाभ (करोड़ रूपयों में)	8.79	67.04

2.3 लाभांश :

आपके निदेशक निगम की 25.00 करोड़ रूपये की शेयर पूँजी पर 20% की लाभांश की सिफारिश करते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 5.00 करोड़ रूपये बनता हैं।

3. वर्ष 2009-10 के दौरान कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) ने अपनी 8 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में कपास मौसम 2009-10 के दौरान 292.00 लाख गॉठों के कपास उत्पादन के साथ 71.50 लाख गॉठों का आगे लाया गया स्टॉक तथा 7.00 लाख गॉठों की अनुमानित आयात के साथ पिछले वर्ष में 335.50 लाख गॉठों के सामने 370.50 लाख रूई गॉठों के शेष का अनुमान लगाया था । देश में रूई का कुल उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) 250.00 लाख गॉठों का अनुमान लगाया गया है तथा 80 लाख गॉठों की अनुमानित रूई निर्यात के साथ कपास मौसम 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष की 264.00 लाख गॉठों के सामने 330.00 लाख गॉठों की खपत अनुमान लगाया है । अतः कपास मौसम 2009-10 के अंत में यानि 30 सितंबर, 2010 को पिछले वर्ष की 71.50 लाख गॉठों के आगे लाये गये स्टॉक के सामने 40.50 लाख गॉठों का अनुमान लगाया गया है । कपास सलाहकार मंडल ने अपनी

as also due to all out efforts to sell cotton in various overseas markets.

2.2. The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2009-10	2008-09
Domestic sales (in lakh bales)	74.87	19.55
Export sales (in lakh bales)	0.49	1.53
Turnover (in Rs. crores)	8396.51	4974.84
Profit before tax (in Rs. crores)	12.99	107.74
Profit after tax (in Rs. crores)	8.79	67.04

2.3. DIVIDEND:

Your Directors are pleased to recommend dividend at the rate of 20% on the Share Capital of Rs.25.00 crores of the Corporation amounting to Rs.5.00 crores for the Financial Year 2009-10.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2009-10:

With cotton production of 292.00 lakh bales, estimated by the Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 8th April 2010 added with carryover stock of 71.50 lakh bales and estimated imports of 7.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2009-10, as per the cotton balance as drawn by CAB is 370.50 lakh bales as against 335.50 lakh bales in previous year. The total cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) has been estimated at 250.00 lakh bales and with estimated cotton exports of 80.00 lakh bales, the total disappearance in cotton season 2009-10 has been placed at 330.00 lakh bales as against 264.00 lakh bales in previous year. Thus, the carry forward stock as at the end of the cotton season 2009-10 i.e. 30th September 2010 has been estimated at 40.50 lakh bales as against 71.50 lakh bales in previous year. The Cotton

8 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया:

Balance Sheet as drawn by the CAB in its meeting held on 8th April 2010 is as under:

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति		
	2009-10	**2008-09**
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	71.50	35.50
कपास फसल	292.00	290.00
आयात	7.00	10.00
कुल उपलब्धता	**370.50**	**335.50**
मांग		
मिल उपभोग	207.00	190.00
छोटी मिल उपभोग	23.00	20.00
मिलेतर उपभोग	20.00	19.00
कुल उपभोग	**250.00**	**229.00**
निर्यात	80.00	35.00
कुल उपभोग	**330.00**	**264.00**
आगे लाया गया	40.50	71.50
स्रोतः कपास सलाहकार मंडल		

In lakh bales of 170 kgs		
	2009-10	**2008-09**
SUPPLY		
Opening stock	71.50	35.50
Cotton crop	292.00	290.00
Imports	7.00	10.00
Total availability	**370.50**	**335.50**
DEMAND		
Mill consumption	207.00	190.00
Small Mill consumption	23.00	20.00
Non-Mill consumption	20.00	19.00
Total consumption	**250.00**	**229.00**
Exports	80.00	35.00
Total disappearance	**330.00**	**264.00**
Carry forward	40.50	71.50
Source: Cotton Advisory Board		

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

कपास मौसम 2009-10 के दौरान, रूई के आरंभिक मूल्य विशिष्ट मध्यम तथा लंबे रेशे की किस्मों में एक महीने की अल्पावधि के लिए पिछले वर्ष के आरंभिक मूल्य की तुलना में 11% से 18% कम थे । तथापि अक्तूबर, 2009 के तृतीय सप्ताह से, विश्वीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ, देशी रूई मूल्य स्थिर से बेहतर थे । अप्रैल, 2010 के प्रथम सप्ताह में, रूई मूल्य चरम सीमा पर पहुँच गये तथा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26% से 34% तक अधिक थे । कपास मौसम 2009-10 के दौरान संपूर्ण मौसम में रूई मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहे । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए रूई मूल्य की गति नीचे दिये अनुसार हैं :

4. DOMESTIC PRICE TREND

Initially during cotton season 2009-10, the opening prices of cotton were lower in certain medium and long staple varieties for a short period of about one month by 11% to 18% as compared to the opening prices of previous year. However, from the third week of October 2009, in the wake of improvement in the global economy, the domestic cotton prices also started ruling steady to better. In the first week of April 2010, the cotton prices had reached a peak level and were higher by around 26% to 34% as compared to previous year. The cotton prices during the cotton season 2009-10 had ruled all time higher than the previous years. The movement of cotton lint prices for important varieties are as under:

मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बन्नी BB	डीसीएच-32 DCH-32
1-10-09	20800	21600	22700	22900	32900
1-11-09	22100	22300	24200	23700	32900
1-12-09	24300	25100	26200	26000	43000
1-01-10	25200	26000	27300	27100	40500
1-02-10	25000	25100	26000	26300	40000
1-03-10	25300	26600	28000	28000	42000
1-04-10	27100	27400	28500	28600	41500
1-05-10	27100	26800	27700	28300	43000
1-06-10	29100	28200	29500	30300	42500
1-07-10	28800	28500	29700	30700	41000

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / Source: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1. भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी की गयी नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करती रही और इसकी भूमिका पिछले वर्ष में बताये अनुसार बनी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगे, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निगम को दिए गए निर्यात कोटा को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2. जब कभी कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास किसानों से कपास की संपूर्ण मात्रा खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश करता है ।

कपास मौसम 2009-10 के दौरान भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो कपास मौसम 2008-09 के अनुसार थे । देश में

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1. The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit;
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments.

5.2. As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India.

Government of India had retained the same MSPs for cotton season 2009-10, as were fixed for cotton season 2008-09. In the wake

लगातार 6वें वर्ष में ऊँचा कपास उत्पादन होने की आशा के कारण आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्य-कलापों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपने लगभग 300 खरीद केंद्रों के नेट-वर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यों का संचालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखा है ताकि कपास मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर पहुँचने की स्थिति में संचालन किया जा सके ।

कपास मौसम 2009-10 के दौरान, प्रारंभ में लगभग एक माह की अवधि के लिए रूई मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक थे, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों के बाद गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में । अतः आपके निगम ने 1 अक्तूबर, 2009 से अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन पंजाब के बाद राजस्थान, हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया । तथापि, नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के दूरस्थ केन्द्रों को छोड़कर सभी कपास उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर रहना प्रारंभ हुए जहाँ कुछ क्षेत्रों में मार्च, 2010 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर प्रचलित थे । इसके फलस्वरूप, आपके निगम ने इन राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य जारी रखा । कपास मौसम 2009-10 के दौरान आपके निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत 5.80 लाख गॉठों के समकक्ष 30.60 लाख क्विंटल कपास की खरीद की ।

5.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने पर, आपका निगम केवल अपनी जोखिम पर लाभप्रद वाणिज्यिक कार्य-संचालन करता है ताकि कपास किसानों को उनके उपज का प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त हो सके, यह कार्य-कलाप मूलतः मांग पत्र और मिलों -संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों से निकट भविष्य में मांग की पूर्ति के लिए तथा निर्यात के लिए किया जाता है ।

ऊपर बताये अनुसार, नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के कुछ दूरस्थ केंद्रों को छोड़कर सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर थे । अतः नियमित खरीददार मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, आपके निगम

of expectations of higher cotton production in the country for the sixth consecutive year, your Corporation, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of around 300 procurement centres in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level.

During cotton season 2009-10, initially the prevailing kapas prices had ruled at MSP level for a span of around one month, mainly in the Northern States of Punjab, Haryana, Rajasthan followed by Gujarat and Andhra Pradesh. Hence, your Corporation had commenced MSP operations from the 1st October 2009 itself in Punjab, followed by Rajasthan, Haryana, and Andhra Pradesh. However, from the first week of November 2009, the prevailing kapas prices had started ruling above MSP level in all the cotton growing States, except some remote centres in Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa, where the prevailing prices continued to rule at MSP level in some areas till March 2010. As a result, your Corporation continued purchases kapas at MSP in these States. During the cotton season 2009-10, your Corporation had purchased 30.60 lakh quintals of kapas equivalent to 5.80 lakh bales under MSP operations.

5.3. In the absence of MSP operations, your Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

As brought out above, from the first week of November 2009, the prevailing kapas prices in all the cotton growing states had started ruling above MSP, barring some remote centres of Andhra Pradesh, Karnataka and Orissa. Hence, with a view to cater the needs of regular clientele mills, your Corporation from

4 दिसंबर, 2009 से महाराष्ट्र तथा राजस्थान के भीलवाड़ा तथा उसके पश्चात् उत्तरी राज्यों के पंजाब, हरियाणा के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किया तथा वाणिज्यिक खरीद के अंतर्गत 1.78 लाख गॉठों के समकक्ष 8.51 लाख क्विंटल कपास की खरीद की ।

5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, देश में तथा विश्व में रूई की अच्छी मांग रहने के बावजूद, आपके निगम ने स्टॉक समाप्त करने के लिए आक्रमक नीति अपनाना जारी रखा, जिससे स्टॉक समाप्त करने में सहायता मिली । वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम की खंडवार ब्रिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं :

मात्रा लाख गॉठों में

	2009-10	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2008-09	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	1.05	1.40	0.78	4.00%
एसटीसी /को-आप.	0.82	1.09	0.58	3.00%
निजी	73.00	97.51	17.98	93.00%
कुल	**74.87**	**100**	**19.34**	**100%**

5.5 कपास मौसम 2009-10 के दौरान सीमित खरीद कार्य को देखते हुए, आपका निगम पिछले वर्ष की 0.35 लाख गॉठों के निर्यात के सामने लगभग 0.13 लाख गॉठों की बिक्री कर सका ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

वर्ष 2009-10 में विश्व कपास क्षेत्र में लगभग 1% से थोड़ी गिरावट होकर 30.27 मि.हेक्टर हुआ, जबकि पिछले वर्ष 30.67 मि.हेक्टर था । वर्ष 2007-08 से, विश्व की औसतन उपज में लगातार गिरावट हुई है । उपज में दो बार गिरावट के कारण विश्व कपास उत्पादन कम हुआ, वर्ष 2009-10 में विश्व कपास उत्पादन में 6% की गिरावट के बाद 22.08 मिलियन का अनुमान लगाया गया है । तथापि, विश्व अर्थ-व्यवस्था में सुधार के कारण, विश्व कॉटन मिल खपत में 4% वृद्धि से 24.38 मिलियन टन्स तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 23.38 मिलियन टन्स था । सात बड़े कपास उपभोक्ताओं में से, एशियाई देशों में जैसे

4th December 2009 had started commercial operations in Maharashtra and Bhilwara region of Rajasthan and subsequently extended the same in Northern States of Punjab, Haryana as also in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat also in Karnataka and had purchased around 8.51 lakh quintals of kapas equivalent to 1.78 lakh bales under commercial operations.

5.4. During the year under review, besides good demand for cotton domestically and world over, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the stocks. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:

Quantity in lakh bales

	2009-10	Percentage to total sales	2008-09	Percentage to total sales
NTC	1.05	1.40	0.78	4.00%
STC/COOP	0.82	1.09	0.58	3.00%
PRIVATE	73.00	97.51	17.98	93.00%
TOTAL	**74.87**	**100**	**19.34**	**100%**

5.5. In view of limited procurement operations during cotton season 2009-10, your Corporation could sell around 0.13 lakh bales in exports to Bangla Desh as against 0.35 lakh bales during the previous year.

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION:

The world cotton acreage in 2009-10 has declined slightly by around 1% at 30.27 million hectares as against 30.67 million hectares in previous year. Since 2007-08, the world average yield is continuously declining. Due to decline in yield coupled with decline in world cotton production, the world cotton production in 2009-10 is estimated to decline by 6% at 22.08 million. However, driven by the recovery in global economy, the world cotton mill use is projected up by 4% at 24.38 million tons as against 23.38 million tons in previous year. Amongst the seven largest cotton consumers, growth in cotton mill use is expected

चीन, भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश में कपास मिल उपयोग में वृद्धि का अनुमान है । वर्ष 2009-10 के अंत तक विश्व का अंतिम स्टॉक लगभग 14% से 10.47 मिलियन टन्स तक कम होने का अनुमान है । अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाई गई पिछले तीन वर्षों की कपास तुलन विवरणी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

in Asian countries viz., China, India, Pakistan and Bangla Desh. The global cotton ending stocks are expected to fall by around 14% to 10.47 million tons by the end of 2009-10. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the last three years are as under:

			मिलियन मेट्रिक टन में
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**
विश्व का आरंभिक स्टॉक	12.91	12.68	12.75
विश्व उत्पादन	26.05	23.43	22.08
विश्व उपभोग	26.38	23.38	24.38
विश्व निर्यात	8.36	6.55	7.57
विश्व आयात	8.40	6.61	7.59
विश्व का अंतिम स्टॉक	12.68	12.75	10.47
स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, जून 2010)			

			In million metric tons
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**
World beginning stocks	12.91	12.68	12.75
World production	26.05	23.43	22.08
World consumption	26.38	23.38	24.38
World exports	8.36	6.55	7.57
World imports	8.40	6.61	7.59
World ending stocks	12.68	12.75	10.47
Source: ICAC (Cotton This Month, June 2010)			

6.2. **अंतराष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः**

कपास मौसम 2009-10 के प्रारंभ में, कॉटलुक ए इंन्डेक्स द्वारा अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कम रहे । अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह तक कॉटलुक पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कम था । नवंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से, कॉटलुक में वृद्धि होने लगी तथा 16 जून, 2010 के अंतिम सप्ताह में 95.70 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी तक पहुँच गया । 1 जून, 2010 के प्रकाशन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ने कॉटलुक ए इंन्डेक्स औसतन 78.00 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वर्ष 61.00 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी का वार्षिक अनुमान लगाया है । पिछले तीन वर्षों के लिए माहवार कॉटलुक ए इंन्डेक्स निम्नानुसार है :-

6.2 **International price trend:**

Initially during cotton season 2009-10, the international cotton prices, as measured by Cotlook A Index had been lower as compared to the prices during corresponding period last year. Till first week of October 2009, the Cotlook had been lower as compared to corresponding period last year. From the first week of November 2009, the Cotlook had started increasing and reached a level of 95.70 US C/lb in the last week of 16th June 2010. As per release dated 1st June 2010, the ICAC has projected Cotlook A Index to average at 78.00 US C/lb as against the annual average of 61.00 US C/lb during last year. The month-wise average of Cotlook A Index for three years is given as under:

			यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में
माह	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**
अगस्त	66.62	78.04	64.14
सितंबर	68.12	73.59	63.99
अक्तूबर	68.93	62.30	66.82
नवंबर	69.68	54.96	71.78
दिसंबर	69.52	55.47	76.78
जनवरी	73.21	57.71	77.39
फरवरी	75.05	55.21	80.05
मार्च	80.18	51.50	85.80
अप्रैल	75.44	56.78	88.08
मई	74.12	61.95	90.07
जून	77.04	61.39	93.04
जुलाई	77.29	64.80	ला.न.
वर्ष औसत	**72.93**	**61.14**	**77.99**

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधनः

निर्यातोन्मुख इकाईयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से आलोच्य वर्ष के दौरान संदूषण मुक्त कपास की मांग पूरी करने के लिए आपके निगम ने कुल खरीद का लगभग 75% का संसाधन किया है, जबकि पिछले वर्ष 67% की उपलब्धि थी । मिलों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम संदूषणमुक्त कपास के संसाधन पर हुई अतिरिक्त लागत को वसूल करने में सफल रहा है । आपका निगम आगामी वर्षों में अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे जारी रखना और मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ।

8. डिपो बिक्री योजना :

निगम ने तमिलनाडु राज्य में स्थित विशेष रूप से छोटी तथा मध्यम वस्त्र मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य के कोईम्बतूर तथा राजापालयम में 'डिपो बिक्री योजना' का प्रारंभ 8 फरवरी 2010 को किया। तमिलनाडु सरकार ने बिक्री डिपो से बेची गयी गॉठों पर 4% चुंगी की छूट दी है । इस योजना का उद्देश्य वस्त्र मिलों को विभिन्न लाभ पहुँचाना है, जैसे गुणवत्तावाली

			US Cents/lb
Month	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**
August	66.62	78.04	64.14
September	68.12	73.59	63.99
October	68.93	62.30	66.82
November	69.68	54.96	71.78
December	69.52	55.47	76.78
January	73.21	57.71	77.39
February	75.05	55.21	80.05
March	80.18	51.50	85.80
April	75.44	56.78	88.08
May	74.12	61.95	90.07
June	77.04	61.39	93.04
July	77.29	64.80	N.A
Year Avg	**72.93**	**61.14**	**77.99**

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON:

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 75% of the total procurement with least contamination as against the achievements of 67% during last year. The response of the mills was positive and your Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium. Your Corporation proposes to continue and increase the quantity to meet the growing demand of its customers in the coming years as well.

8. DEPOT SALES SCHEME:

Your Corporation had launched "Depot Sale Scheme" in Coimbatore and Rajapalayam in the State of Tamil Nadu with effect from 8th February 2010 to cater the needs of the textile mills situated in the State of Tamil Nadu, particularly the small and medium textile mills. The Government of Tamil Nadu has exempted levy of 4% VAT on bales sold from sales depots. This scheme aims at extending various benefits to the textile mills

कपास की आपूर्ति करना, बड़ी मात्रा में मालसूची रखने की आवश्यकता नहीं, लीड अवधि में बचत, ब्याज तथा रखरखाव प्रभार में बचत, अपनी मिलों में पूर्व परीक्षण द्वारा गुणवत्तावाली रूई के चयन का लाभ तथा मुफ्त सुपुर्दगी अवधि में भुगतान के लिए छूट प्राप्त करना ।

आपके निगम ने 28 जून, 2010 तक डिपो बिक्री योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रूपये मूल्य की 22,300 गॉठें बेची, जिसमें से 16,500 गॉठें कोईम्बतूर क्षेत्र में तथा 5800 गॉठें मदुराई क्षेत्र के अंतर्गत राजापालयम में बेची । आपका निगम, आगामी महीनों में विशेषतः छोटी तथा मध्यम वस्त्र मिलों के लाभों को ध्यान में रखते हुए डिपो बिक्री योजना के अंतर्गत संवेग(मोमेन्टो) बनाए रखने की अपेक्षा रखता है ।

9. भंडारगृह परिसर :

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गॉठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। नवी मुंबई पोर्ट से निर्यात की संभावना को देखते हुए निर्यात उद्देश्य के लिए एक गोदाम की भंडारण क्षमता, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, को निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया है ।

शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है । आगे रेलवे स्लाईडिंग के उपयोग के लिए पार्टियों के साथ लीव एंड लाईसेंस एग्रीमेन्ट किया गया है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने परिसर के लीज किये हुए भाग से 6.24 करोड़ रू. की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष 3.77 करोड़ रू. अर्जित किए थे ।

10. विकासात्मक गतिविधियाँ :

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार के साथ तथा उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है । तथापि, फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के आरंभ के साथ कई गतिविधियाँ टीएमसी के मिनी मिशन I और II में शामिल हो गयी है । इसलिए आपके निगम ने, सघनित कपास खेता (संविदा खेती) जैसी

such as availability of supply of quality cotton at their door steps, no need to maintain large inventories, saving on account of lead time, interest and carrying charges etc., advantages of selection of quality cotton by pre-testing in their mills and availment of cash discount for early payment within free delivery period.

Your Corporation has, till 28th June 2010, sold 22300 bales valuing approx Rs.30 crores under depot sales scheme comprising 16500 bales in Coimbatore area and 5800 bales in Rajapalayam under Madurai area. Your Corporation expects to maintain the momentum under depot sales scheme in the coming months looking to the various advantages of the Scheme particularly to small and medium textile mills.

9. WAREHOUSING COMPLEX:

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose.

While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway siding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of Rs.6.24 crores as against the revenue of Rs.3.77 crores generated in the previous year.

10. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

As you are aware, increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton and thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities. However, with the launching of Technology Mission on Cotton in February 2000, many of these activities have been covered under Mini Mission I and II of TMC. Your Corporation has, therefore, continued with limited

सीमित विकासशील गतिविधियों को भारत सरकार और राज्य कृषि विभागों के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए जारी रखा है ।

11. सघनित कपास खेती (संविदा खेती) :

सघनित कपास खेती के संकल्प को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय करने के लिए यानि किसानों में संविदा खेती को लोकप्रिय बनाने तथा उसका लाभ कपास किसानों और खरीददार मिलों /ग्राहकों को पहुँचाने के लिए आपके निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान आरंभ में चार राज्यों में संविदा खेती के रूप में आरंभ किया । वर्ष 2009-10 के दौरान, आपके निगम ने इस परियोजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में बढ़ाया, जिसके अंतर्गत संविदा खेती में 47,734 हैक्टर क्षेत्र लाया गया जबकि पिछले वर्ष यह 46,837 हैक्टर था । इस कार्यक्रम में शामिल उपायों में किसान क्लब की संरचना, क्लब/ एसोसिएट खरीददार मिल/जिनरीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तावाले निवेशों की आपूर्ति निश्चित करना, किसानों को प्रशिक्षण, उपज और कीटनाशकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए स्काउट लगाने तथा गांव/मार्केट यार्ड में कपास की खरीद और कीट प्रबंधन के बारे में उचित सलाह देना शामिल हैं । इसका परिणाम उपज में वृद्धि, उत्पादन में घटी हुई लागत और कपास किसानों को बढ़ी हुई आय के रूप में काफी प्रोत्साहजनक है ।

12. टीएमसी के मिनी मिशन-II के अंतर्गत फ्रंट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी) :

आपका निगम टीएमसी के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए बाजार संरचना के सुधार और जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए पहले से ही कार्यान्वयन एजेन्सी है । कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने पहली बार भारतीय कपास निगम को वर्ष 2005-06 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आयसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), राज्य कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र(केवीके) आदि जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ, जो कृषि मंत्रालय के एफएलडी परियोजना के कार्यान्वयन में पहले से कार्यरत है, कपास के फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी)के घटक का कार्यान्वयन सौंपा है । कृषि मंत्रालय के अनुसार फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन मिनी मिशन -II का एक घटक है और

developmental activities like Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming) to supplement the efforts of the Government of India and the State Agriculture Departments.

11. INTEGRATED COTTON CULTIVATION (COTTON FARMING):

With a view to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation i.e. Contract Farming among the farming community as also the benefits to cotton farmers and buyer mills/ultimate consumers, your Corporation took up Integrated Cotton Cultivation, as a facilitator, initially in four States during 2002-03. During 2009-10, your Corporation has extended the project in all the cotton growing States bringing an area of 47,734 hectares under contract farming as against 46,837 hectares during the previous year. The steps involved in the programme were formation of farmers' club, signing of Memorandum of Understanding with the Club/associate buyer mill/ginneries, organizing supply of quality inputs such as seed, fertilizers, pesticides, training to farmers, engagement of scouts for monitoring and management of crops and the pests, for proper advice of pest management and procuring of kapas at village/market yards. The results had been quite encouraging with increase in yield, lower cost of production and increased income to cotton farmers.

12. FRONT LINE DEMONSTRATIONS (FLD) UNDER MINI MISSION-II OF TMC:

Your Corporation is the implementing agency for Mini Mission III and IV of TMC, i.e. for improvement of market infrastructure and modernization of ginning and pressing factories. The Ministry of Agriculture, Government of India had identified the Cotton Corporation of India as one of its Nodal Agencies, for the first time in 2005-06, for implementing the component of Front Line Demonstration (FLD) in cotton along with other implementing agencies like Indian Council of Agriculture Research (ICAR), State Agriculture Universities (SAUs), State Departments of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras (KVKs) etc, which were earlier implementing the FLD Project of Ministry of Agriculture. Front Line Demonstration, according to Ministry of Agriculture, is one of

देश के कपास उत्पादक किसानों के लिए आधुनिक खेती प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका निभाता है ।

वर्ष 2009-10 के दौरान आपका निगम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर 4110 एफएलडी से अधिक और आयपीएम प्रौद्योगिकी पर 1 एफएलडी अपने शाखा कार्यालयों के सहयोग से सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है । कपास मौसम 2010-11 के लिए एफएलडी कार्यक्रम हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन I तथा II के अंतर्गत एफएलडी के लिए निधि में बड़ी कटौती तथा उसके पश्चात् सीसीआई को निधि आबंटित न करने के कारण एफएलडी कार्यक्रम में आपके निगम की सहभागिता प्रभावित हो सकती है ।

13. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) :

कपास प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी, 2000 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। इस 11वीं योजना की अवधि में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रायः 10 वर्ष का विस्तार देते हुए समय विस्तार दिया गया है । इस योजना को 31 मार्च, 2010 तक लक्ष्यों की प्राप्ति और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बढ़ाया गया है । अंत में, मिनी मिशन III तथा IV के अंतर्गत परियोजना पूरी करनेवाले तथा 31 मार्च, 2010 तक उनका अंतिम दावा प्रस्तुत करनेवाले लाभार्थियों को भारत सरकार का शेअर जारी करने के लिए इस परियोजना को 31.12.2010 तक बढ़ाने का भारत सरकार को अनुरोध किया गया है ।

टीएमसी का उद्देश्य कपास उत्पादकों की आय बढ़ाना तथा कपास की गुणवत्ता में सुधार द्वारा विशेषतः तंतु लंबाई मायक्रोनेयर और स्ट्रेंग्थ के बारे में सुधार द्वारा वस्त्रोद्योग को अपेक्षित मात्रा में अच्छी गुणवत्तावाली कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कपास उत्पादकता बढ़ाना है तथा खेती की लागत घटाना है । इसके साथ ही कपास कृषि बाजार में संरचना में सुधार लाते हुए तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों को आधुनिक बनाते हुए कपास में संदूषण कम करना है ।

मिनी मिशन-III और IV

11वीं योजना में 250 मार्केट यार्ड का लक्ष्य कपास में संदूषण को न्यूनतम करने के लिए विकास हेतु अनुमोदित किया गया ताकि कपास उत्पादकों को उनके कपास का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । इन 250 मार्केट यार्ड के लिए कुल परियोजना व्यय 476.10 करोड़ रू., जिसमें टीएमसी की सहायता 250.39 करोड़ रू. है,

the components of MM-II and is a major break-through in disseminating modern farm technology to the cotton-growing farmers of the country.

Your Corporation had successfully organized 4110 FLDs on Production Technology and 1 FLDs on IPM Technology in all the major cotton growing States during 2009-10 by associating almost all CCI Branches. The major curtailment of funds for FLD programme under Mini Mission II of TMC by the Ministry of Agriculture and subsequent non-allotment of funds to CCI may affect the involvement of your Corporation in the FLD programme for cotton season 2010-11.

13. TECHNOLOGY MISSION ON COTTON (TMC):

The Technology Mission on Cotton was launched in February 2000 by our Hon'ble Prime Minister. It has been extended into the XIth plan period thereby giving more than 10-years to achieve its objectives. This project was extended upto 31st March 2010 for completion of targets and implementation of the project. Finally, GOI has been requested to extend this project upto 31.12.2010 for release of GOI share to the beneficiaries those have completed their projects and submitted their final claims upto 31.03.2010 under MM-III & MM-IV.

The objectives of TMC are to augment the income of cotton growers and to ensure availability of good quality cotton to industry in required quantities by improving the quality of cotton particularly in respect of staple length, micronaire and strength; increasing the productivity of cotton; and reducing the cost of cultivation and secondly, to reduce contamination in cotton by improving the infrastructure in cotton agricultural markets and modernizing the Ginning & Pressing Factories.

MINI MISSIONS III & IV

The target of 250 market yards upto XIth Plan have been approved for development to minimize contamination in kapas so as to enable the cotton growers to get better price to their cotton. The total outlay for these 250 market yards is Rs.476.10 crore with TMC assistance of Rs.250.39 crore. Out of these 250 projects approved, there are

दि. 31.3.2010 तक 242 परियोजनाएँ पूरी हो गयी है ।

इसी प्रकार, 1000 जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध टीएमसी अब तक आधुनिकीकरण के लिए 1011 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियाँ ले चुका है (गैर कार्य-निष्पादन परियोजनाओं के प्रत्याशित रद्द होने के विरूद्ध)। इन फैक्टरियों को आधुनिकीकरण के लिए कुल परिव्यय 1427.61 करोड़ रू. जिसमें टीएमसी की सहायता 224.26 करोड़ रू. है । दि. 31.3.2010 तक 885 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण में टीएमसी मानदंडों 2-31/2 के विरूद्ध वर्तमान 5% - 8% के ट्रैश /संदूषण स्तर को 1 से 3% तक कम किया है ।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, देशी कताई उद्योग को बेहतर संसाधित और संदूषण-मुक्त कपास मिलेगा । आगे, भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर के समकक्ष संसाधित है और अन्य निर्यात देशों के कपास के समकक्ष विश्व में स्वीकृत है ।

14. मानव संसाधन विकासः

14.1 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2010 को 1233 थी, जिसमें 141 अधिकारी तथा 1092 कर्मचारी शामिल हैं । जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 1197 थी । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । अनु.जा./ अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग /शा.वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि.के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देती रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 7 सहायक प्रबंधक, 3 लेखाधिकारी, 71 क.क.क्रेता तथा 4 मैंटेनेन्स कर्मचारियों की तैनाती की । आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये ।

14.2 आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल

242 projects which have been completed upto 31.03.2010.

Similarly against the target of 1000 G & P units, TMC has so far taken up 1011 G & P factories for modernization (against the anticipated cancellations of non performing projects). The total outlay for modernization of these factories is Rs.1427.61 crore with TMC assistance is Rs.224.26 crore.There are 885 projects which have been completed upto 31.03.2010. The modernization of G&P factories has reduced trash/ contamination from the earlier levels of 5%-8% to 1 to 3% against TMC norms of 2-3½%.

As a result of the above, the domestic spinning industry is able to get better processed and contamination-free cotton. Further, the Indian cotton is now processed equivalent of international Quality Standard and is accepted world over at par with cotton of other exporting countries.

14. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

14.1. The total strength of your Corporation during the year under report was 1233 as on 31st March 2010 consisting of 141 officers and 1092 unionized staff as compared to the total strength of 1197 employees during the last year. Your Corporation continued to follow the policy guidelines of Govt. of India in respect of reservation of SC/ST/OBC/ PH categories both in recruitment as well as promotion. The liaison officer for SC/ST/ OBC/PH continued to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/PH employees of your Corporation. During the period under review, your Corporation recruited 7 AMs,3AO's,71 Jr.CPs and 4 Maintenance Staff. Your Corporation effected rotational transfers of field staff and officers.

14.2. Your Corporation is observing the provision of implementation of the persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of your Corporation involves field operations – which requires a lot of physical

है, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है -शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 20 शारीरिक विकलांगतावाले व्यक्ति हैं तथा शेष रिक्तियों को भी भरना है । योग्य व्यक्तियों को कैरियर विकास के अवसर देने के लिए ग्रेड-V यानि का.प्र.(सा./ले.)/व.क.क्र.अ. के लिए अर्हता परीक्षा रखी और 1 सहायक प्रबंधक और 1 लेखाधिकारी सहित सफल उम्मीदवारों को प्रोन्नत किया ।

14.3 आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

14.4 आपका निगम पहले ही कें.म.भ. पैटर्न के अंतर्गत अधिकारियों के वेतनमान में निदेशक मंडल तथा आय.एम.सं.2(54)/2008 डीपीई/(डब्ल्यूसी) जीएल/XI/08 दि.14.10.2008 द्वारा जारी डीपीई के मार्गदर्शन के आधार पर वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन पर दिनांक 1.1.2006 से संशोधन कर चुका है । कें.म.भ. कर्मचारियों के लिए वेतन बकाया की राशि का भुगतान दो किश्तों में किया गया यानि वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40% तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 60% ।

14.5 आपके निगम ने अपने मंडल स्तर तथा उसके नीचे के स्तर के अधिकारियों के लिए द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को भी निदेशक मंडल तथा आय.एम.सं.2(70)/2008 डीपीई/(डब्ल्यूसी) दि.26.11.2008 तथा ओ.एम.सं. 2(70) /2008 डीपीई/(डब्ल्यूसी)/जीएल/VII/09 दि.2.4.2009 द्वारा जारी डीपीई के मार्गदर्शन के आधार पर वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन के बाद कार्यान्वित कर चुका है ।

14.6 आपके निगम ने पहले ही 31 मार्च, 2009 को VII चार्टर ऑफ डिमांड के समझौता ज्ञापन के अनुसार यूनियनाईज्ड कर्मचारियों के लिए वेतनमान में संशोधन को कार्यान्वित किया है ।

exertion – the scope for employment of physically Handicapped persons is extremely limited. Despite such limitations, Your Corporation has presently strength of 20 physically handicapped persons and also is filling up remaining vacancies. With a view to give career development opportunity to the deserving persons, your Corporation conducted Qualifying Test of Gr.V i.e. OM(Gen.&A/cs.)/Sr.CPO and promoted successful candidates including 1 Assistant Manager and 1 Accounts Officers.

14.3.The Scheme for workers' participation in Management introduced by your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and also at the branches. The industrial relations in your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

14.4. Your Corporation has already implemented the revision of scales of pay of officers under CDA patterns w.e.f. 01.01.2006 on approval of the Board of Directors and the Ministry of Textiles based on DPE's guidelines vide IM no.2(54)/2008 DPE/(WC)GL/XI/08 dt. 14.10.2008.The arrears of pay for CDA employees were paid in two installments i.e. 40% paid in financial year 2008-09 and 60% paid in financial year 2009-10.

14.5. Your Corporation has also implemented the recommendations of 2nd Pay Revision Committee for Board level and below Board level executives of your Corporation on approval of Board of Directors and Ministry of Textiles based on the guideline issued by the DPE vide IM No.2(70)08 DPE(WC) dt.26.11.2008 and OM No.2(70)/08 DPE(WC)/GL/VII/09 dt.02.04.2009.

14.6. Your Corporation has already implemented the revision of scales of pay for unionized staff as per Memorandum of Settlement on VII Charter of Demands dated 31.03.2009.

15. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केप टाऊन, साऊथ आफ्रिका में आय.सी.ए.सी. की 68वीं प्लेनरी बैठक तथा कझखस्तान में इंडियन कझखस्तान जाईन्ट वर्किंग ग्रुप की श्यमकेन्ट, कझखस्तान में हुई दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए आपके निगम के अधिकारियों के विदेशी दौरे पर 3.27 लाख रू. खर्च किये गये ।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, सेन्ट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन अधिकारी, सेन्ट्रल असिस्टेन्ट पब्लिक इन्फर्मेशन अधिकारी की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करना तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अंतर्गत पद्धति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की ।

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 104 अनुरोध प्राप्त हुए थे । (1 अप्रैल, 2009 को आरंभिक शेष 4 थे) । 96 मामलों में जानकारी प्रदान की गयी, 1 मामला आवेदक द्वारा वापस लिया गया और 11 मामले सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नामंजूर किये गये । वर्ष के दौरान 12 अपीलें प्राप्त हुई तथा उनका निपटान किया गया ।

17. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ - 2009-10 :

17.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान मुख्य सतर्कता अधिकारी है, जिनके साथ 1- प्रबंधक, मुख्यालय में तथा शाखा कार्यालयों में प्रबंधक/उप प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक कार्यरत हैं ।

17.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों (मुख्यालय/शाखाओं में तैनात) ने मुख्यालय तथा शाखाओं में आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किए ।

17.3 शिकायतें :

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ में 28 शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 25 शिकायतें आगे लायी गयी । उपरोक्त 53 शिकायतों में से 34 मामले जांच स्तर पर बंद किये गये । 1 मामले में पुलिस

15. FOREIGN TOUR:

During the year under Review, Rs.3.27 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation in connection with attending the 68th Plenary Meeting of ICAC held in Cape Town, South Africa and Kazakhstan to attend 2nd meeting of the Indian Kazakhstan Joint Working Group held at Shymkent, Kazakhstan.

16. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/publishing of manuals, appointments of Central Public Information Officers, Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the period from 1st April 2009 to 31st March 2010, 104 requests were received from different applicants. (The opening balance on 1st April 2009 was 4). The information was provided in 96 cases, one was withdrawn by the applicant and 11 were rejected under different Sections of RTI Act, 2005. 12 appeals were received and disposed off during the year.

17. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2009-10 :

17.1. The Vigilance Cell of your Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by Manager at the Head Office and Manager/ Deputy Manager/Assistant Managers in the Branches.

17.2. The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

17.3. Complaints:

The Vigilance Cell in all received 28 complaints during the year from various sources. 25 complaints were brought forward from the previous year. Out of the above 53 complaints, 34 cases were closed

ने "ए" सम्मरी दी तथा 2 मामलों में 2 अधिकारियों के विरूद्ध बड़े दंड की कार्रवाई की गयी । माननीय जुडीशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक अपराधिक मामला लंबित है तथा दि.31.3.10 को जांच /अंतिम निर्णय के लिए 15 शिकायतें लंबित थी, इसलिए आगामी वर्ष के लिए आगे लायी गयी ।

17.4 विभागीय जांचः

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के 8 मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 3 मामलों पर कार्रवाई की गई । इन 11 मामलों में से 1 मामले में विभागीय कार्रवाई में आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए । अतः उन्हें आरोपों से मुक्त किया गया । एक मामले में कर्मचारी को बड़ा दण्ड लगाया गया । शेष 9 मामलों पर दि.31.3.2010 को कार्रवाई चल रही है और इसलिए आगामी वर्ष में उन्हें आगे लाया गया है ।

17.5 छोटे दंड की कार्यवाहीः

वर्ष के दौरान छोटे दंड के 10 मामले आरंभ किए गए, जिसमें 10 कर्मचारी शामिल हैं । दिनांक 31.3.2010 को, कार्रवाई के लिए सभी 10 मामले लंबित थे, अतः अगले वर्ष के लिए आगे लाये गये ।

17.6 निलंबनः

दि.31.3.2010 को 4 कपास क्रय अधिकारी और 2 वरिष्ठ कपास क्रय अधिकारी तथा 1 महा प्रबंधक निलंबन के अधीन हैं ।

17.7 सीबीआई तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा खोजे गये मामले :

सीबीआई द्वारा 6 मामले खोजे गये और पंजीकृत किये गये, इन 6 मामलों में सीबीआई द्वारा मान. विशेष न्यायाधीश के सामने 5 अधिकारियों के विरूद्ध जोधपुर, हैदराबाद तथा विशाखपट्नम में चार्ज-शीट दायर की गयी । सभी 6 मामले सीबीआई केस के लिए मान.न्यायालय, विशेष न्यायाधीश के पास लंबित है ।

वर्ष के दौरान, 4 अपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(i) मेसर्स त्रिवेणी स्पि.मिल्स, रामपुराफुल गोदाम

at the investigation stage. In 1 case Police has given 'A' Summary and in 2 cases major penalty proceeding against two official was initiated. One criminal case is pending before Judicial Magistrate Court and 15 complaints were pending for investigation/final decision as on 31.03.2010, hence, carried forward for the next year.

17.4.Departmental Enquiries:

8 cases of Major Penalty proceedings were carried forward from previous year and 3 cases instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. Out of these 11 cases, in 1 case during the Departmental Enquiry the charge against the delinquent is not proved and hence, he has been exonerated from the charge. In 1 case major penalty was imposed on 1 official. Departmental Enquiry on the remaining 9 cases are in process as on 31.03.2010 and hence, carried forward for the next year.

17.5.Minor Penalty Proceedings:

10 cases of minor penalty proceedings involving 10 officials instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. All the total 10 cases were pending for action as on 31.03.2010, hence, carried forward in the next year.

17.6.Suspension:

4 Cotton Purchase Officers, 2 Sr. Cotton Purchase Officers and 1 General Manager are under suspension as on 31.03.2010.

17.7.Cases detected by CBI/Other Agency:

6 cases were detected & registered by CBI and in these 6 cases, CBI has filed Charge-sheet against 5 officials before the Hon'ble Spl. Judge for CBI cases, Jodhpur, Hyderabad and Visakhapatnam. All the 6 cases are pending with the Hon'ble Court, Special Judge for CBI Cases.

During the year, 4 criminal cases were registered detailed as under:-

(i) In one case regarding theft of 7 bales from M/s. Triveni Spinning Mills, Rampuraful

(शा.का.भटिंडा) से लगभग 70,000/-रू. मूल्य की 7 गॉठों की चोरी का एक मामला दिनांक 29/30.3.2009 को रात्रि में दर्ज किया गया, शाखा प्रबंधक, भटिंडा ने दिनांक 30.3.2009 को रामपुराफुल पुलिस स्टेशन के पास मामला/एफआयआर संख्या 49 पंजीकृत किया है । पुलिस द्वारा 7 गॉठें बरामद की गयी तथा पहचान के पश्चात् तथा कोर्ट प्रक्रिया को पूरे करने के पश्चात् कोर्ट द्वारा सीसीआई को सौंपे गए ।

(ii) एक मामले में, दि.17.2.2009 को मेसर्स श्री अस्तलक्ष्मी मिल्स प्रा.लि. गोदाम, आदिलाबाद में हुए अग्निकांड के सदर्भ में जिला अग्निशमन अधिकारी, आदिलाबाद ने शाखा के उप महा प्रबंधक तथा प्रबंधक के विरूद्ध आंध्र प्रदेश अग्निसेवा अधिनियम 1999 की धारा 31 के अंतर्गत अपराधिक मामला एसटीसी सं. 22/2009 दर्ज किया गया । इस मामले में प्रथम श्रेणी मान.ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट आदिलाबाद ने आयपीसी की धारा 204, 186 के अंतर्गत जाँच के आदेश जारी किए । अपराधिक मामला जाँच के अधीन है ।

(iii) एक मामले में पुलिस अधीक्षक, रायचूर ने इंडियन पीनल कोड की धारा 285/336 के अंतर्गत अपराधिक मामला सं. 502/2009 दर्ज किया, जो गाडी से कबाड़ का वहन करते समय गाड़ी से धुँआ निकल रहा था, जो अग्नि की घटना मेसर्स भगवान कॉटन जिनर्स प्रा. लि., रायचूर में दि.2.3.2009 का है । संबंधित प्राधिकारी द्वारा आज की तारीख तक चार्ज-शीट फाइल नहीं की गयी ।

(iv) एक मामले में, शाखा कार्यालय, रायगड़ा के जोगिमुंडा केंद्र के अंतर्गत दिनांक 28.1.2010 को कपास की नीलामी के समय एक क.कपास क्रेता, श्री बिसोयी को एक किसान द्वारा मारपीट की गई । श्री बिसोयी ने इंडियन पीनल कोड की धारा 294/324 के अंतर्गत पटनागढ़ पुलिस स्टेशन में दिनांक 29.1.2010 को शिकायत /एफआयआर सं.420617 दर्ज की । इस मामले में ट्रायल के लिए एसडीजेएम पटनागढ़ में सीएस संख्याः 56 दिनांक 16.3.2010 द्वारा चार्जशीट जारी की गई ।

17.8 निवारक सतर्कता :

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है

Godown (B.O. Bhatinda) valuing approx. Rs. 70,000/-, on night of 29/30.03.2009, Branch Manager, Bhatinda has registered case/FIR No. 49 with the Police Station, Rampuraful on 30.03.2009. 7 bales have been recovered by the police and after identification and completion of Court formalities, the same has been handed over to CCI by the Court.

(ii) In one case, in connection with the fire accident took place on 17.02.2009 at M/s. Sree Asthalaxmi Mills P.Ltd. Godown, Adilabad, Distt.Fire Officer, Adilabad has filed a criminal case STC No. 22/2009 u/s 31 of A.P. Fire Service Act-1999 against Dy.General Manager and Manager of Branch Office, Adilabad. The Judicial Magistrate First Class, Adilabad has ordered investigation u/s 204, 186 of IPC in the matter. A Criminal case is under investigation.

(iii) In one case, the Supdt. Of Police, Raichur, booked a Criminal case No. 502/2009 u/s 285/336 of IPC regarding smoke detected from the lorry carrying salvage of fire occurred at M/s. Bhagwan Cotton Ginners P. Ltd., Raichur on 02.03.2009. A charge sheet has not been filed by the concerned authority till date.

(iv) In one case, while attending an auction of kapas on 28.01.2010 at Jogimunda Centre under Branch Office, Rayagada, one Jr.Cotton Purchaser, Shri Bisoyi was man-handled by one farmer. Shri Bisoyi has lodged a complaint/FIR No. 420617 u/s 294/324 of IPC with the Patnagarh Police Station on 29.01.2010. The case has been chargesheeted vide CS No. 56 dated 16.03.2010 at SDJM, Patnagarh for trial.

17.8.Preventive Vigilance:

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling/supervisory Officers were

कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पद्धति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृद्धि की जाए ।

(ii) शाखा /केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तुलन आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने पर बल दिया गया ।

(iii) उचित तथा पारदर्शी परिणामों के लिए विस्तृत प्रायोगिक उतारा लेने की सलाह दी गयी ।

(iv) प्रेस वजन तथा सुपुर्दगी वजन के मामलों की प्रभावी रूप से जाँच करने तथा तत्काल आधार पर विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी ।

(v) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे.फैक्टरियों आदि में अग्नि /चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(vi) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था तथा परिवहन के दौरान सीसीआई की पूर्ण-बंधित गॉठों में अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाएँ टालना सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है । सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये तथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(vii) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी जाती है, जो सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा ।

(viii) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि ट्रकों को उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(ix) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच, पेट्रोलिंग की सलाह दी जाती है ।

(x) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें ।

advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centres were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

(iii) Advised to conduct EOT extensively for fair and transparent result.

(iv) Advised to effectively check the press weight and delivery weight cases and submit an analytical report promptly.

(v) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(vi) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC, SWC, APMC GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(vii) Advised the G.M., Dy.G.M., B.Ms. to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety and security of CCI stock.

(viii) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(ix) Night surveillance, checking, patrolling by various committees were advised to ensure safety and security of CCI stock.

(x) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(xi) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निदेश दिया जाता है ।

18. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2009-10 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2007-08 के दौरान हिंदी कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए निगम के मुख्यालय को 14 सितंबर, 2009 को महा. राष्ट्रपति द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । निगम को यह पुरस्कार लगातार 17वीं बार प्राप्त हुआ है । इसके अलावा, शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए हिंदी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा विभाग द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित शा.का.श्रीगंगानगर तथा "ग" क्षेत्र में स्थित शा.का.आदिलाबाद को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया । राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत निगम के अब तक कुल 16 शाखा कार्यालय अधिसूचित हो चुके हैं ।

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में कंप्यूटर पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है । आपके निगम में सी-डैक की सहायता से हिंदी में ई-मेल भेजने की व्यवस्था की गई है तथा यूनिकोड फॉन्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष, 2003 से निगम की वेब-साईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। आपके निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि का वर्ष 1984 से नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है । 31 मार्च, 2010 को हिंदी पत्रों का प्रतिशत लगभग 90% रहा है ।

निगम के मुख्यालय को नवी मुंबई नगर राजभाषा समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान 2 बैठकें तथा 3 राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से "समन्वय" नामक पत्रिका के अंक 6 तथा 7 का भी प्रकाशन किया गया है । इसके अलावा, हमारे शाखा कार्यालय आदिलाबाद और गुंतूर भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

19. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

(xi) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

18. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2009-10 by Department of Official Languages, Home Ministry. Head Office has been honoured with first prize for Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 17th time on 14th September, 2009 for the year 2007-08 by Hon'ble President of India. Apart from this, progress made in implementation of Hindi. B.O. Sriganganagar has been awarded First prize in "A" Region and B.O. Adilabad has been awarded First prize in "C" Region by Regional Official Language Department.So far 16 branches of the Corporation have been notified under Official Language Rule 19(4).

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as all Branch Offices. Your Corporation has also arranged to transmit E-mail in Hindi with the help of C-Dac and facility of Unicode Font is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. Your Corporation is regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. Correspondence in Hindi stands at 90% as on 31st March 2010.

Head Office of your Corporation has been entrusted with the responsibility of heading Town Implementation Committee.Two meetings and three seminars were conducted during the year. Navi Mumbai Tolic has also published 6th and 7th issue of "Samanvay" magazine. Apart from this our Branch Office Adilabad and Guntur are also heading their respective Town Official Language Implementation Committee.

19. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2009-10, your Corporation had achieved a number of improvements in the field of Information Technology:-

i) शा.का. अहमदाबाद तथा राजकोट को शाखा स्तर पर कपास खरीद के शीघ्र भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए नया कल्टीवेटर चेक प्रिन्टिंग सॉफ्ट वेअर लगाया गया है ।

ii) मुख्यालय के अधिकारी तथा शाखा प्रमुख, वित्त प्रमुख और शाखा स्तर पर सतर्कता अधिकारियों को वैयक्तिक ई-मेल आय.डी. का प्रावधान किया गया है ताकि आपके निगम में संप्रेषण शीघ्र हो ।

iii) वस्त्र मंत्रालय की वेब-साईट वृद्धि के फ्लॉगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आपके निगम की वेब-साईट में वृद्धि की । एफएक्यू, ई-जर्नल, राजभाषा तिमाही रिपोर्ट, निगम की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ तथा मान.केंद्रीय वस्त्र मंत्री तथा मान.राज्य वस्त्र मंत्री तथा उनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी वेब-साईट पर दी जाती है ।

iv) आपका निगम एक बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है यानि निगम में ईआरपी का कार्यान्वयन । ईआरपी कार्यान्वयन की इस प्रक्रिया में मुख्यालय की सभी कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ तथा बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के जरिये सभी शाखाओं को एकीकृत किया जाएगा । आपके निगम में एक बार ईआरपी कार्यान्वित होने पर मुख्यालय की सभी कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ तथा मध्यवर्ती डाटाबेस के जरिये शाखाओं को एकीकृत किया जाएगा ।

v) इंडियन कंप्यूटर एमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-आयएन) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना मंत्रालय, भारत सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी/तारीख सुरक्षा, वायरस अलर्ट, सुरक्षा संबंधी मानदंड तथा सावधानी आदि को आपके निगम में समय-समय पर कार्यान्वित किया जाता है ।

20. निगमित शासन :

'आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त

i) The new cultivator cheque printing software have been installed at BO Ahmedabad and Rajkot to facilitate faster payments of kapas purchases at BO's.

ii) The officers at HO and Branch Heads, Finance Head and Vigilance Officers at BO's have been provided with individual email ID's to ease and make the communication faster within your Corporation.

iii) The website of your Corporation has been enhanced under the flagship program of website enhancement of Ministry of Textiles. The new features such as FAQ's, e-journal, Rajbhasha Quarterly Report, Highlights of the achievement of the organization and information about the Hon'ble Union Minister of Textiles and Hon'ble Minister of State Textiles and their program/events etc. have been displayed on the website.

iv) Your Corporation is in process of implementation of one major IT projects i.e. ERP implementation in your Corporation. In this process of implementation of ERP, all functional activity of Head Office and Branch locations will be integrated through a Wide Area Network. Once the ERP will be implemented in your Corporation, entire functional activity of H.O and Branches will be integrated through the centralized database.

v) The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team(CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology,Government of India about IT/ Date Security,Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in your Corporation from time to time.

20. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the

करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

21. निदेशक मंडल :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री विश्वनाथ सिन्हा, अंशकालीन निदेशक, निदेशक मंडल में नहीं रहे और श्री जे. एन. सिंह को निदेशक मंडल में अंशकालीन निदेशक के रूप मे नियुकत किया गया। निदेशक मंडल ने श्री विश्वनाथ सिन्हा द्वारा निगम के अंशकालीन निदेशक के रूप में उस अवधि के दौरान निगम को दी गई अमूल्य सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए सराहना दर्ज की।

22. मंडल की बैठकें :

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 6 बैठकें 11 तथा 28 मई, 2009, 20 जुलाई, 2009, 29 अगस्त 2009, 13 नवंबर 2009 तथा 28 जनवरी 2010 को हुई ।

23. निदेशकों के दायित्वों का विवरण :

कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं ।

23.1 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों में माल की सुपुर्दगी से उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानक लेखा पद्धति के अनुसार लेखे तैयार किए गए हैं ।

23.2 निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा आलोच्य वर्ष के लाभ -हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

23.3 कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अनियमितताओं को पकड़ने और रोकने के लिए कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

23.4 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों को निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है ।

highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

21. BOARD OF DIRECTORS :

During the year under review Shri Bishwanath Sinha, part time Director, ceased to be on the Board and Shri J.N.Singh was appointed as part time Director on the Board of Directors. The Board of Directors placed on record high appreciation for the valuable services and guidance rendered by Shri Bishwanath Sinha as Director of the Corporation during his tenure on the Board.

22. BOARD MEETINGS :

During the year ended 31st March 2010, 6 Board meetings were held on 11th & 28th May 2009, 20th July 2009, 29th August 2009, 13th November 2009 and 28th January 2010.

23. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT :

Pursuant to the requirement under Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibilities Statement, it is hereby confirmed.

23.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March , 2010 the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

23.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year under review;

23.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities

23.4. That the directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March , 2010 on a "going concern" basis.

24. लेखा परीक्षा समिति :

24.1 आपके निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुपालन में तथा निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की ।

24.2 आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक शामिल हैं यानि श्री जे.एन.सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, डॉ.एस.श्रीनिवासन, निदेशक, सिरकॉट और श्री सुभाष ग्रोवर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, जिन्हें निगम के निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया था ।

25. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

25.1 वर्ष 2008-2009 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने "बहुत अच्छा" श्रेणी प्रदान की है ।

25.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए समझौता ज्ञापन पर 29 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किए गए ।

26. लेखा परीक्षा समीक्षा :

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संयुक्त सचिव द्वारा दिए गए अवलोकन पर सदस्यों के लिए निदेशक मंडल की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिया गया है।

27. कर्मचारयों के ब्यौरे :

धारा 217(2ए) के सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) को कंपनीज. (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम 1975, जो इस रिपोर्ट का भाग है, के साथ पढ़ा जाए । अधिनियम की धारा 219(1)(बी) (iv) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 217(2ए) के अनुसार कर्मचारियों के ब्यौरों की विवरणी को छोड़कर तथा लेखाओं को कंपनी के शेअरधारकों को भेजी जाती है । यदि कोई शेअरधारक कथित विवरणी की प्रति प्राप्त करना चाहता है तो वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के साचकीय अनुभाग को लिख सकता है ।

24. AUDIT COMMITTEE:

24.1.During the year under review your Corporation held two meetings of Audit Committee in compliance with Section 292A of Companies Act, 1956 and Terms of reference of the Audit Committee given by the Board of Directors.

24.2.The Composition of Audit Committee of your Corporation during the year comprise of three Directors viz. Shri J.N.Singh, Joint Secretary, Ministry of Textiles, Dr.S.Sreenivasan, Director, CIRCOT and Shri Subhash Grover, Chairman cum Managing Director, Cotton Corporation of India Ltd. who were nominated by the Board of Directors of your Corporation.

25. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES :

25.1.The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2008-09 had been rated “Very Good” by Department of Public Enterprises.

25.2.The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2010-11 was signed on 29th March 2010.

26. AUDIT REVIEW :

The Comments of the Board of Directors on the observations made by Joint Statutory Auditors in their report to the members are given as Addendum to this report.

27. PARTICULARS OF EMPLOYEES :

Information as per Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 (“the Act”) read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, forms part of this Report. As per the provisions of Section 219(1)(b)(iv) of the Act, the Report and Accounts are being sent to the shareholders of your Company excluding the statement on particulars of employees under Section 217(2A) of the Act. Any shareholder interested in obtaining a copy of the said statement may write to the Secretarial Department at the Registered Office of your Company.

28. आभार :

28.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

28.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल -1 और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

28.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स लूनकर एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

28.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा विभिन्न निजी मिलों के प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2009-2010 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा हैं । कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

28. ACKNOWLEDGEMENT :

28.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also due to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance , Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation , would not have been possible in the year under review.

28.2. Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and ex-Officio Member, Audit Board–I for their co-operation.

28.3. Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Loonker & Co. Chartered Accountants, Mumbai and M/s Prem Gupta & Co. Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

28.4. Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2009-10 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organisation to the Corporation.

28.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सुभाष ग्रोवर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 20.07.2010

28.5.Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors.

(SUBHASH GROVER)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 20.07.2010

वर्ष 2009-10 के लिए निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2009-10

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का उत्तर

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी

2.1 कंपनी द्वारा इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानक आवश्यकओं का अनुपालन नहीं किया गया है ।

लेखा मानक 29 (एएस.29) के अनुसार "आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों " के लिए कंपनी ने पंजाब संरचना विकास तथा विनियमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कपास खरीद के उपकर पर 764.47 लाख रूपये के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है । इसके परिणामस्वरूप 764.47 लाख रूपये से अधिक लाभ दर्शाया गया है । जो चालू देयताएँ और प्रावधान विवरणी (अनुसूची-क) के अंतर्गत 764.47 लाख रूपये है । (संदर्भ के लिए लेखा के नोट सं.1(v) देखें)

प्रबंधन का उत्तर :

पंजाब राज्य ने दिनांक 11.7.2002 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक डीलर को कृषि उत्पाद की खरीद पर जिसमें कपास भी शामिल है, पर 1% उपकर देना बाध्यकर होगा । इसे पंजाब संरचना विकास अधिनियम, 1998 तथा पंजाब संरचना विकास उपकर (कलेक्शन नियम) 1998 द्वारा अधिनियम बनाया गया, यह दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी हो गया है । इस उपकर को दिनांक 1.4.2008 से 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है । इसे पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में निगम द्वारा सिविल रिट पिटिशन-3713-2008 कॉटन कार्पोरेशनऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य द्वारा चुनौती दी गई है । पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सीडब्ल्यूपी 6676 /1999 फूड कार्पोरेशनऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य के मामले में अपने दिनांक 22.6.2009 द्वारा डिसपोज करते हुए, यह उल्लेख किया गया है कि यह जजमेंट इस बैच से संबंधित सभी 112 रिट पिटिशन्स, जिसमें निगम भी शामिल है, को डिसपोज किया जाता है ।

Reply to comments of Joint Statutory Auditors:

Comment of the Auditors:

2.1 The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India as mentioned hereunder:

Accounting Standard 29 (AS 29) on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 amounting to Rs.764.47 lacs. This has resulted into over statement of profits by Rs.764.47 Lacs and under statement of Current liabilities and Provisions (Schedule 9) by Rs.764.47 Lacs. (Also refer note No.1(v) to the notes to accounts)

Reply of the Management:

Punjab State issued Notification dated 11.7.2002 vide which it was provided that every Dealer shall be liable to pay infrastructure cess @1% on purchase of agricultural produce including cotton. It was enacted vide Punjab Infrastructure Development Act, 1998 and the Punjab Infrastructure Development Cess (Collection Rules), 1998. It was effective from 1.4.2005. The cess was increased from 1% to 2% with effect from 1.4.2008. It was challenged in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh by the Corporation in Civil Writ Petition – 3713-2008 titled Cotton Corporation of India Vs. State of Punjab & Others. The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, vide decision dated 22.6.2009 disposed off CWP 6676 of 1999 titled Food Corporation of India Vs. State of Punjab and another stating that this judgement shall also dispose of the connected batch of 112 writ petitions including that of the Corporation.

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय के विरूद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी दायर किया गया है, किन्तु बेंच के सम्मुख इसे अब तक लिस्टेड नहीं किया गया है ।

पंजाब संरचना उपकर से संबंधित 34,31,86,034/- रूपये को बही खातों में प्रावधान किया गया है, 7,64,46,975/- रूपये के ब्याज की राशि को बही खातों में प्रावधान नहीं किया गया है, किन्तु लेखों का भाग बनाने वाले नोट्स में इसे आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है ।

हमारे आयकर सलाहकार के राय के अनुसार ब्याज के 764.47/- लाख रूपये आकस्मिक स्वरूप के हैं क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया उपकर के विरूद्ध उच्च न्यायालय के विरूद्ध, निगम का अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है । इसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत चार्जेबल प्रतिमाह 1.5% का दर, को ऑटोमेटिक नहीं हो सकता । किन्तु यह कुछ शर्तों के अधीन हो सकता है । 764.47/- लाख रूपये का ब्याज निश्चित देयता नहीं है, इसलिए इसे सीसीआई के बही खाते में प्रावधान करना आवश्यक नहीं है । अतः इसे आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड की 18वीं बैठक जो 20 जुलाई 2010 को हुई थी, उसमें मामले को रखा गया था और यह निर्णय लिया गया कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट पूर्वोदाहरण को ध्यान में लेते हुए बही खातों में ब्याज के प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है । निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति के पंजाब संरचना उपकर पर ब्याज का प्रावधान न करने के निर्णय की सिफारिश को स्वीकार किया है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सुभाष ग्रोवर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 20.7.2010

Against the judgement of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, SLP has been filed in the Hon'ble Supreme Court of India but the same has not been listed before the Bench so far.

Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.34,31,86,034/- has been provided in the Books of Accounts. The amount of interest which works out to Rs.7,64,46,975/- has not been provided in the Books but shown as Contingent Liability, in the Notes forming part of accounts.

Our Income Tax Consultant was also of the opinion that the interest of Rs. 764.47 lacs was contingent in nature because our appeal against the cess levied by the Punjab Government was pending in the Supreme Court though the High Court decision was against CCI. Moreover, charge of interest @ 1.5% p.m. chargeable under the act, may not be automatic but may be subject to certain conditions. As interest of Rs.764.47 lacs is not an ascertained liability, it need not to be provided in the Books of the CCI. Hence, the same was shown under Contingent Liability.

The matter was placed before Audit Committee of Board in its 18th meeting held on 20th July 2010 and decided that in view of precedent of Supreme Court judgement in another similar type of case, interest need not to be provided in the books of accounts. The Board of Directors has also accepted the recommendations of Audit Committee's decision on non provision of interest on Punjab Infrastructure Cess

For and on behalf of the Board of Directors.

(SUBHASH GROVER)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 20.07.2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITOR'S REPORT

सदस्य
भारतीय कपास निगम लि.
नवी मुंबई

हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2010 को संलग्न तुलन पत्र की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ तथा हानि खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है । हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है । इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणियाँ मटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण के आधार पर, राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । लेखा परीक्षा में लेखा नीतियों का निर्धारिण भी शामिल किया जाता है और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुती का मूल्यांकन किया जाता है । हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार देती है ।

हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

1. कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) द्वारा जारी आदेश तथा कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) 2003 की अपेक्षा के अनुसार हम कथित आदेश के पैरा 4 और 5 विनिर्दिष्ट विषय पर एक विवरणी, परिशिष्ट में संलग्न करते हैं ।

2. उपर्युक्त पैरा 1 के परिशिष्ट में संदर्भित हमारी टिप्पणी में आगे। हम रिपोर्ट करते हैं:

   2.1 कंपनी ने भारत के सनदी लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी किए गए निम्न उल्लिखित लेखा मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है :-

   "प्रावधानों, समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्ति" पर लेखा मानक 29 (एएस-29) कंपनी ने पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत कपास की खरीद पर सेस और ब्याज

The Members
The Cotton Corporation of India Limited,
Navi Mumbai.

We have audited the attached Balance Sheet of The Cotton Corporation of India Limited, as at 31st March, 2010 and also the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed there to . These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report as follow:

1. As required by the Companies (Auditors Report) Order, 2003 (as amended) issued by the Central Government of India in terms of sub-section(4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said order.

2. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 1 above, we report that:

   2.1 The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India as mentioned hereunder:
   Accounting Standard 29 (AS-29) on ``Provisions, Contigent Liabilities and Contingent Assets". The Company has not provided for interest towards cess

के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो 764.47 लाख रूपये है । इसके परिणामस्वरूप, विवरणी में 764.47 लाख रूपये लाभ बढ़ गया है और समाश्रित दायित्व और प्रावधान (अनुसूची-9) विवरणी के अंतर्गत कमी आयी है (लेखा के नोट्स नोट संख्या 1(v) संदर्भ देखें)।

2.2 लेखों पर नोट्स की नोट संख्याः 2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो कपास में समर्थन मूल्य परिचालन के खाते पर हुई हानि की वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के बारे में है ।

कंपनी द्वारा उक्त का लेखों पर अनुवर्ती प्रभाव अब तक सुनिश्चित नहीं किया गया है ।

3. उपर्युक्त के आगे, हम रिपार्ट करते हैं :-

क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक, सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

ख) हमारे विचार में, निगम ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियाँ रखी हैं, जो हमारे द्वारा परीक्षित बहियों से ज्ञात होता है ;

ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी का इस रिपोर्ट के साथ मिलान किया गया और कंपनी के खाता बहियों के साथ मेल खाते हैं ;

घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण का कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक उपरोक्त पैरा 2.1 में उल्लिखित को छोड़कर कंपनी पर लागू है ।

ङ) वित्त मंत्रालय (कंपनी अफेयर डिपार्टमेंट) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर. 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है ।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त पैरा 2.2 में उल्लिखित मदों पर विचार किए बिना, अनुवर्ती प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, हमारे द्वारा उपरोक्त पैरा 2.1 में टिप्पणी को देखते हुए विचार किया था, वर्ष के

on purchases of cotton under Punjab Infrastructure Development and Regulation Act, 2002 amounting to Rs. 764.47 Lacs. This has resultted into over statement of profits by Rs. 764.47 Lacs and under statement of Current liabilities and Provisions (Schedule 9) by Rs.764.47 Lacs. (Also refer note No. 1(v) to the notes to accounts)

2.2 Attention is drawn towards Note No.2 to Notes on Accounts regarding reimbursement of losses on account of support price operations in cotton from Govt. of India, Ministry of Textiles.

Consequential effect of the same on accounts is yet not ascertained by the company.

3. Further to above, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement Dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act. 1956 except as mentioned in paragraph 2.1 above.

e) The provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Company, in view of Natification No. G.S.R. 829(E) dated 21st October 2003, issued by the Ministry of Finance (Department of Company Affairs).

4. We further report that without considering items mentioned in para 2.2 above, the consequential effect of which could not be determined, had the observations made by us in paragraph 2.1 above

लिए पूर्व अवधि समायोजन से पहले शुद्ध लाभ और कर 534.28 लाख रूपये हो सकता है (रिपोर्ट किए गए लाभ के आंकड़े 1298.75 लाख रूपये के विरूद्ध) वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान (अनुसूची-9) 27812.12 लाख रूपये हो सकती है (रिपोर्ट किए गए आंकड़े 27047.65 लाख रूपये के विरूद्ध)।

उपरोक्त शर्तो के अधीन, हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित लेखे, लेखा नीतियों और लेखों पर नोट्स के साथ पढ़ने पर, कंपनीज अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी आवश्यकतानुसार देता है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

i) 31 मार्च, 2010 को निगम के काम-काज की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में।

ii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं हानि के खाते के मामले में लाभ हो तो, और

iii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी के नकदी प्रवाह के मामले में,

been considered, the Net Profit for the year before prior period adjustments and tax would have been Rs. 534.28 lacs (as against the reported Profit figure of Rs. 1298.75 lacs), Current Liabilities & Provisions (Schedule 9) would have been Rs. 27812.12 lacs (as against the reported figures of Rs. 27047.65 lacs).

Subject to the above, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read together with Accounting Policies and Notes on Accounts, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India.

i) In the case of balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2010.

ii) In the case of Profit & Loss Account, of the Profit of the Company for the year ended on that date; and

iii) In the case of Cash Flow Statement, of the Cash flows for the year ended on that date.

कृते लूनकर एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

हस्ता
(एस.सी.लूनकर)
भागीदार
एम.नं.10135
एफआरएनः 000172डब्ल्यू

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

हस्ता
(राजन उप्पल)
भागीदार
एम.नं.097379
एफआरएनः 000425एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-07-2010

For LOONKER & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
[S.C.LOONKER]
Partner

M.No. 10135
FRN:000172W

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
[RAJAN UPPAL]
Partner

M.No. 097379
FRN: 000425N

Place: New Delhi
Dated: 20-07-2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

भारतीय कपास निगम लि. के सदस्यों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित .

1. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

   (ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

   (ग) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की किसी उल्लेखनीय भाग का निपटान नहीं किया गया ।

2. (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची का उचित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है ।

   (ख) प्रबंधन व्यवस्था द्वारा मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनायी गयी कार्यविधि कंपनी के आकार तथा इसके कार्य-कलाप के स्वरूप के अनुसार उचित तथा पर्याप्त है ।

   (ग) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी मालसूची का उचित रिकार्ड रख रही है । जहां तक मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गयी विसंगतियों का संबंध है, हमें यह सूचना और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंपनी के परिचालन से संबंधित कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी थी और उक्त बही लेखों के साथ (मेल खाती हैं) मिलान होता है ।

3. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निहित रजिस्टर में किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों से रक्षित या अरक्षित किसी भी प्रकार का ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । तद्नुसार, आदेश का खंड (iii) (क) से (iii) (छ) लागू नहीं है ।

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

Referred to in Paragraph 1 of the Auditor's Report of Even Date to the Members of The Cotton Corporation of India Ltd. on the Financial Statement For the Year Ended on 31st March, 2010.

1. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

   (b) As explained to us the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end. No materials discrepancies were noticed on such verification.

   (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, a substantial part of fixed assets has not been disposed off by the Company during the year.

2. (a) As explained to us, the inventories have been physically verified at reasonable intervals by the Independent Stock Verifiers at the year end . In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency of verification is reasonable.

   (b) The procedure of physical verification of inventory followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

   (c) As explained to us and in our opinion, the Company is maintaining proper records of inventory. So far as the discrepancies noticed during the course of physical verification of inventories are concerned it has been informed & explained to us that the discrepancies were not material in relation to the operation of the Company and the same have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The Company has not granted or taken loan, secured or unsecured from/to Companies, Firms or other parties covered in the registered maintained under section 301 of the Act. Accordingly, clauses (iii)(a) to (iii)(g) of the Order are not applicable.

4. हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद और माल बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि सेवाएँ और मजबूत करनी आवश्यक है । आगे, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऐसी कोई बात न ही ध्यान में आयी और न ही सूचित की गई है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में बड़ी कमजोरी बताती है ।

5. (क) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षा के कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता के कोई सौदे नहीं किए गए है। तदनुसार आदेश का खंड (v) (ख) लागू नहीं है ।

6. अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए या अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा पद्धति और मजबूत करनी आवश्यक है ताकि यह कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के अनुरूप हो।

8. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के जाँच किए गए रिकार्ड के आधार पर, हमारे विचार में, कंपनी निम्नलिखित बिक्री कर को छोड़कर, अविवादित सांविधिक देय जिसमें भविष्य निधि, ईडीएलआय के बदले में बीमा, आयकर, बिक्री कर, वर्क कॉन्ट्रक्ट कर, सेस और अन्य मटेरियल सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित हैं ।

4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control procedures with regard to the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services needs to be further strengthened. Further, during the course our audit, we have neither come across nor informed of any major weakness in the internal controls.

5. a) In our opinion, and accordingly to the information and explanation given to us, there is no transaction during the year under audit that need to be entered into the registered maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, Para (v) (b) of the Order is not applicable.

6. The Company has not accepted any deposit from the public within the meaning of Sections 58A and 58AA of the act or any relevant provisions of the Act.

7. In our opinion, Internal Audit System of the Company needs to be further strengthened to make it commensurate with the size of the Company and nature of its business.

8. As per information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956.

9 a) According to the information and explanation given to us and on the basis of the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including Provident Fund, Insurance in lieu of EDLI, Income Tax, Sales tax, Work Contract Tax, Cess and other materials statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities except Sales Tax given below:

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय का प्रकार **Nature of dues**	राशि अभी तक जमा नहीं की गई है **Amount not yet deposited Rs.**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assessment Year)**
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	अपील आदेश के अनुसार मांग Demand as per Appeal Order	1,17,795	2002-03
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	अपील आदेश के अनुसार मांग Demand as per Appeal Order	12,938	2005-06
कुल / TOTAL		**1,30,733**	

(ख) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर / वैट / सेवा कर / आयकर / संरचना सेस के मामलों में खाते पर निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार बकायों को विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं ।

b) According to the records of the Company and information and explanation given to us, the following are the particulars of dues on account of Sale Tax/Vat/Service Tax/ Income Tax/Infrastructure Cess matters that have not been deposited on account of dispute:

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है **Amount under dispute not yet deposited Rs.**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	60,29,147	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	नियम 44,45 के अंतर्गत गलत गणना Wrong calculation U/Rule 44,45	1,79,58,887	1994-95	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, अहमदाबाद के पास अपील Appeal with Dy.Commissioner, Commercial Tax, Ahmedabad
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	नियम 44,45 के अंतर्गत गलत गणना Wrong calculation U/Rule 44,45	93,27,247	1995-96	सहायक आयुक्त(लेखा), बिक्री कर राजकोट के पास अपील Appeal with Asst.Commissioner (A), Sales Tax, Rajkot
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	5,80,413	1980-81. 1981-82 1989-90 & 1992-93	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा भेजा गया Appeal remanded back for reassessment, Bhatinda
सेवा कर Service Tax	परिवहन प्रभारों पर सेवा कर के अंतर्गत मांग Demand under Service Tax on Transportation Charges	62,430	2004-05 2005-06	उप आयुक्त सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद, गुन्तूर के पास अपील Appeal with Dy. Commissioner of Customs & Central Excise, Guntur
सेवा कर Service Tax	परिवहन प्रभारों पर सेवा कर के अंतर्गत मांग Demand under Service Tax on Transportation Charges	52,04,298	2004-05 2005-06	सीईएसटीएटी, बंगलौर के पास अपील Appeal with CESTAT Bangalore

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है **Amount under dispute not yet deposited Rs.**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	आरंभिक स्टॉक पर निवेश जमा का डिसअॅलाऊंस - Disallowance of input credit on opening stock	53,35,650	2006-07	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के पास अपील Appeal with Rajasthan Tax Board, Ajmer
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत ब्याज की मांग Interest demand under Sales Tax	1,17,320	2001-02	बिक्री कर अपीलेट ट्रिबुनल विशाखापटनम के पास अपील Appeal with Sales Tax Appellate Tribunal, Vishakapatnam
पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Developoment & Regulation) Act 2002	पंजाब इनफ्रास्ट्रैक्चर सेस Punjab Infrastructure Cess	34,31,86,034	2005-06 to 2009-10	सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष छुट्टी याचिका दायर की है . Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	गलत गणना के अंतर्गत Wrong calculation	31,256	2002-03	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, हुबली के पास अपील Appeal with Dy. Comm. of Commercial Tax, Hubli
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	गलत गणना के अंतर्गत Wrong calculation	6,867	2001-02	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, हुबली के पास अपील Appeal with Dy. Comm. of Commercial Tax, Hubli
आयकर अधिनियम Income Tax Act	धारा 143 (3) के अंतर्गत u/s 143(3)	49,17,017	2006-07	सीआईटी (ए) XXVII मुंबई के पास अपील Appeal with CIT (A) XXVII Mumbai
आयकर अधिनियम Income Tax Act	धारा 143 (3) के अंतर्गत u/s 143(3)	21,47,889	2007-08	सीआईटी (ए) XXVII मुंबई के पास अपील Appeal with CIT (A) XXVII Mumbai

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है **Amount under dispute not yet deposited Rs.**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
फ्रिंज बेनफिट टैक्स Fringe Benefit Tax	धारा 115डब्ल्यूई (3) के अंतर्गत u/s 115WE(3)	11,93,379	2007-08	सीआईटी (ए) XXVII मुंबई के पास अपील Appeal with CIT (A) XXVII Mumbai
आयकर अधिनियम Income Tax Act	धारा 143 (3) के अंतर्गत u/s 143(3)	18,35,538	2008-09	सीआईटी (ए) XXVII मुंबई के पास अपील Appeal with CIT (A) XXVII Mumbai
	कुल **Total**	**39,79,33,372**		

10. 31 मार्च, 2010 को कंपनी की संचित हानि इसके शुद्ध मालियत के 50% से अधिक नहीं है । कंपनी के पास 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के अंत में तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में नकद हानि नहीं थी ।

11. हमारे द्वारा कंपनी के जाँच किए गए रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर्स को देय राशि के परिशोधन में तुलन-पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं की है ।

12. कंपनी ने शेयर्स, डिबेंचर्स तथा अन्य सिक्यूरिटीज को गिरवी रखकर किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है ।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/ सोसायटी नहीं है । अतः आदेश के खंड (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

14. जैसी सूचना दी गई है, कंपनी डिलर या शेयर्स, सिक्यूरिटीज, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेश का व्यापार नहीं करती है । अतः आदेश के खण्ड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

10. As at 31st march 2010, the accumulated losses of the Company are not more than 50% of its net worth. The Company has not incurred cash losses during the year ended 31st march 2010 and in the immediately proceding year.

11. According to the records of the company examined by us and the information and explanation given to us,the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank or debenture hoders as at the Balance Sheet date.

12. The Company has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

13. The Company is not a Chit Fund or a Nidhi Mutual Benefit Fund / Society. Therefore, the provisions of clause (xiii) of the order are not applicable to the Company.

14. As informed, the Company is not dealing or trading in Shares, Securities, Debentures and other investments. Therefore, the provisions of clause (xiv) of the order are not applicable to the Company.

15. हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. हमें दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई टर्म-लोन (ऋण) नहीं लिया है ।

17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र रूप से जाँच के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के आधार पर लिए गए ऋणों को प्रत्यक्षतः दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ।

18. कंपनीज अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखी गई पंजियों में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी शेयर्स का आबंटन नहीं किया है ।

19. कंपनी ने कोई डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं । अतः सिक्यूरिटी का सृजन या डिबेंचर्स के संबंध में चार्ज करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

20. पब्लीक इश्यू से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है । क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक द्वारा किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की है ।

21. लेखा परीक्षा प्रक्रिया निष्पादन तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि हमारे लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई फ्रॉड नहीं पाया गया है न ही प्रबंधन द्वारा इस प्रकार का मामला हमें सूचित किया है।

15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

16. As informed to us, the Company has not taken any term loans during the year.

17. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that funds raised on short term basis, have prima facie, not been used for long term investment.

18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act during the year.

19. The Company has not issued any debentures. Therefore, the question of creation of security or charge in respect of debentures does not arise.

20. The provisions relating to Public issue are not applicable to the Company, since the Company has not raised any money by way of public issues during the year.

21. Based upon the audit procedures performed and information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit, nor have we been informed of such case by the management.

कृते लूनकर एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

हस्ता
(एस.सी.लूनकर)
भागीदार
एम.नं.10135
एफआरएनः 000172डब्ल्यू

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

हस्ता
(राजन उप्पल)
भागीदार
एम.नं.097379
एफआरएनः 000425एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20-07-2010

For LOONKER & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
[S.C.LOONKER]
Partner

M.No. 10135
FRN:000172W

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
[RAJAN UPPAL]
Partner

M.No. 097379
FRN: 000425N

Place: New Delhi
Dated: 20-07-2010

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखो पर नियंत्रक एवं भारत का महा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि. की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और उनकी व्यावसायिक निकाय इंस्टिटयूट ऑफ चार्टेड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया दारा निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधृत है। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 20 जुलाई 2010 द्वारा बताया गया है।

मैंने, नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षा की ओर से 31 मार्च 10 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि. की वित्तीय विवरणियों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागज़ात के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकार्ड की चयनात्मक जाँच तक मुख्यतः सीमित है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक पर किसी टिप्पणी को उत्पन्न करता हो।

कृते और नियंत्रक एवं भारत के
महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता.
(अलका आर भारद्वाज)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - I मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 अगस्त, 2010

The preparation of financial statement of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 July, 2010.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2010. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the according records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

sd/-
(Alka R. Bhardwaj)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-Officio Member, Audit Board - I, Mumbai

Place: Mumbai
Date : 20 August, 2010

31 मार्च, 2010 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees	रूपये Rupees
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS :					
शेयरधारकों की निधि : SHAREHOLDERS' FUNDS :					
क) शेयर पूँजी A) Share Capital	1	2,500.00		2,500.00	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष B) Reserves & Surplus	2	33,063.10	35,563.10	32,828.65	35,328.65
ऋण निधि : LOAN FUNDS :					
क) बैंकों से रक्षित ऋण A) Secured Loans From Banks	3	174,700.00		756,242.84	
ख) अरक्षित ऋण B) Unsecured Loans		–	174,700.00	–	756,242.84
कुल / Total			210,263.10		791,571.49
निधि का विनियोग APPLICATION OF FUNDS :					
अचल परिसंपत्तियॉ : FIXED ASSETS	4				
सकल ब्लॉक Gross Block		7,670.95		7,518.81	
घटाइये : मूल्य ह्रास Less : Depreciation		2,326.73		2,125.23	
शुद्ध ब्लॉक / Net Block			5,344.22		5,393.58
कार्यकारी पूँजी प्रगति पर / Capital work in progress			57.83		4.72
निवेश लागत पर (अनुद्धृत) : INVESTMENTS AT COST (UNQUOTED)					
व्यापार - दीर्घावधि Trade - Long Term					
राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा जिनिंग मिल्स फेडरेशन के प्रत्येक 1000 रूपये के 500 इक्विटी शेयर्स 500 Equity Shares of Rs. 1000/- Each of Rajasthan State Co-op. Spg. & Ginning Mills Federation Ltd.		5.00		5.00	
घटाइये:- निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less : Provision For Diminution In Value of Investment		(4.99)	0.01	(4.99)	0.01
आस्थगित परिसंपत्तियाँ (नोट 19) / Deferred Tax Asset (Note No.19)			1,168.11		997.08

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees	रूपये Rupees
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम : CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES :					
क) माल सूची A) Inventories	5	93.864.79		838,829.97	
ख) विविध देनदार B) Sundry Debtors	6	3,108.70		6,603.37	
ग) नकद और बैंक शेष C) Cash & Bank Balances	7	1,552.37		30,485.44	
घ) ऋण और अग्रिम D) Loans And Advances	8	132,214.72		97,883.10	
		230,740.58		973,801.88	
घटाइये : क) वर्तमान देयताएँ Less a) Current Liabilities	9	15,133.28		174,782.05	
ख) प्रावधान b) Provisions		11,914.37		13,843.73	
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ / Net Current Assets			203,692.93		785,176.10
कुल / Total			210,263.10		791,571.49

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 1 से 15 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स
Schedules 1 To 15, Significant Accounting Policies and Notes annexed form part of the accounts

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

sd/- (सुभाष ग्रोवर) (Subhash Grover) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	sd/- (सी.एस. तेवतिया) (C.S. Teotia) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	sd/- (आर.के. केडिया) (R.K. Kedia) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	sd/- (मनोज बजाज) (Manoj Bajaj) कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त) Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते लूनकर एंड कंपनी For Loonker & Co. सनदी लेखापाल Chartered Accountants sd/- (एस.सी.लूनकर) (S. C. Loonker) भागीदार Partner एम.नं.10135 M. No. 10135 एफआरएन. 000172 डब्ल्यू FRN 000172W	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी For Prem Gupta & Co. सनदी लेखापाल Chartered Accountants sd/- (राजन उप्पल) (Rajan Uppal) भागीदार Partner एम.नं.097379 M. No. 097379 एफआरएन. 000425 एन FRN 000425N

दिनांक : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली

Date : 20-07-2010
Place : New Delhi

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees
क) आय :					
A) INCOME					
बिक्री तथा अन्य आय Sales & Other Income	10		839,650.75		497,484.31
न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में हानि की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Loss in MSP Operations			99,424.00		149,858.35
अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है Excess Provision No Longer Required			52.73		14.38
अशोध्य ऋण की वसूली की गई Bad Debts Recovered			–		542.40
कुल (ए) / Total (A)			939,127.48		647,899.44
ख) व्यय :					
B) EXPENDITURE :					
बिक्री/खपत सामग्री की लागत Cost Of Goods Sold/Consumed					
1) आरंभिक स्टॉक 1) Opening Stock		838,829.97		63,084.32	
2) खरीद 2) Purchases		132,090.59		1,314,199.13	
		970,920.56		1,377,283.45	
घटाइये : अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock		93,864.79	877,055.77	838,829,97	538,453.48
जिनिंग एवं प्रोसेसिंग Ginning & Processing		11,990.77		61,537.57	
प्रशासन एवं अन्य खर्च Administration & Other Expenses	11	14,605.67		13,014.04	
ब्याज Interest	12	29,881.44		21,235.46	
बिक्री, वितरण एवं प्रेषण Selling, Distribution & Forwarding	13	4,056.65		2,654.36	

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 रूपये Rupees
मूल्यह्रास Depreciation		232.63		230.27	
बट्टे खाते में डाली गयी राशि AmouNt Written Off	14	5.80	60,772.96	0.00	98,671.70
कुल (बी) / Total (B)			937,828.73		637,125.18
लाभ- हानि (क - ख) Profit / (Loss) (A - B)			1,298.75		10,774.26
घटाइये: कराधान के लिए प्रावधान Less: Provision for Taxation			590.00		5,454.49
घटाइये: (जोड़े)आस्थगित कर देयता/(आस्ति) के लिए प्रावधान Less/(Add): Provision for Deferred Tax Liability/(Asset)			(171.03)		(1,438.72)
घटाइये : संपत्ति-कर के लिए प्रावधान Less: Provision for Wealth Tax			0.84		1.03
घटाइये : अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Less: Provision for Fringe Benefit Tax			0.00		52.84
वर्ष के लिए कर के बाद लाभ/(हानि) Profit / (Loss) for the Year after Tax			878.94		6,704.62
पहले की अवधि समायोजन (शुद्ध) Prior Period Adjustments (Net)	15		(39.32)		(30.71)
घटाइये/जोडे : पूर्व अवधि कर प्रतिलेखन Less/Add : Prior Period Taxes Written Back/ (Written Off)			(22.13)		3.88
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit Available For Appropriations			817.49		6,677.79
घटाइये : सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण Less : Transferred To General Reserve			87.89		670.46
घटाइये : क) प्रस्तावित लाभांश Less : A) Proposed Dividend		500.00		1,340.92	
ख) वितरित लाभांश पर कर B) Tax on Distributed Profits		83.05	583.05	227.89	1,568.81
जोड़े : गत वर्ष से आगे लाया गया बकाया Add : Balance Brought Forward From Previous Year			31,268.97		26,830.45
तुलन पत्र में आगे लायी गयी शेष राशि Balance Carried To Balance Sheet			31,415.52		31,268.97

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

		दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010		दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009	
	अनुसूची Schedule	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees
प्रति शेयर आय के ब्यौरे **DETAILS OF EARNING PER SHARE:**					
क) A)	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit Available For Appropriations		817.49		6,677.79
ख) B)	ईक्विटी शेयर का वेटेड औसत Weighted Average No.of Equity Shares		2,500,000		2,500,000
ग) C)	प्रति ईक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रू.) Nominal Value Per Equity Share (Rs.)		100		100
घ) D)	प्रति शेयर आय (रूपये) - (क/ख) (मूल एवं कम की गयी) Earning Per Share (Rs.) - (A/B) Basic & Diluted		32.70		267.11

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 1 से 15 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स
Schedules 1 To 15, Significant Accounting Policies and Notes annexed form part of the accounts

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

sd/-	**sd/-**	**sd/-**	**sd/-**
(सुभाष ग्रोवर)	**(सी.एस. तेवतिया)**	**(आर.के. केडिया)**	**(मनोज बजाज)**
(Subhash Grover)	**(C.S. Teotia)**	**(R.K. Kedia)**	**(Manoj Bajaj)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**निदेशक (विपणन)**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)**
Chairman-cum-	**Director (Marketing)**	**Director (Finance)**	**Company Secretary-cum-**
Managing Director			**Gen. Manager(Finance)**

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते लूनकर एंड कंपनी	**कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी**
For Loonker & Co.	**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल
Chartered Accountants	Chartered Accountants
sd/-	**sd/-**
(एस.सी.लूनकर)	**(राजन उप्पल)**
(S. C. Loonker)	**(Rajan Uppal)**
भागीदार	भागीदार
Partner	Partner
एम.नं.10135	एम.नं.097379
M. No. 10135	M. No. 097379
एफआरएन. 000172 डब्ल्यू	एफआरएन. 000425 एन
FRN 000172W	FRN 000425N
दिनांक : 20-07-2010	Date : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली	Place : New Delhi

31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 1 **SCHEDULE : 1** **शेयर पूँजी** **SHARE CAPITAL**		
प्राधिकृत : **AUTHORISED :**		
प्रत्येक 100 रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	7500.00	7500.00
निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्त : **ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP:**		
प्रत्येक 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	2500.00	2500.00
	2500.00	**2500.00**
अनुसूची : 2 **SCHEDULE : 2**		
आरक्षित और अधिशेष **Reserves And Surplus**		
i) सामान्य आरक्षित		
i) General Reserve	1,559.69	889.22
जोड़े : वर्ष के दौरान Add: During the Year	87.89	670.46
ii) अधिशेष यानि लाभ एवं हानि खाते में शेष		
ii) Surplus i.e Balance in Profit & Loss Account	146.55	4,438.52
जोड़ेः अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार शेष Add: Balance as per Last Balance Sheet	31,268.97	26,830.45
	33,063.10	**32,828.65**
अनुसूची : 3 **SCHEDULE : 3**		
रक्षित ऋण **SECURED LOANS**		
नकद उधार / संकाय बैंकों से विक्रय स्टॉक बंधक के विरूद्ध तथा बही ऋण से अल्पावधि ऋण Cash Credit / Short Term Loans From Consortium Banks Against Hypothecation of Stocks-in-Trade, Book Debts, Claims and Receivables	174,700.00	756,242.84
	174,700.00	**756,242.84**

अनुसूची 4 : अचल परिसंपत्तियाँ / SCHEDULE 4 : FIXED ASSETS

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block						मूल्य ह्रास / Depreciation						शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दिनांक 1.4.2009 As on 1.4.2009	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ Additions During The Year		वर्ष के दौरान घटौतियाँ Deductions During The Year		दिनांक 31.3.2010 As on 31.3.2010	दिनांक 1.4.2009 Upto 1.4.2009	रिटर्न बैक Written Back	वर्ष के दौरान घटौतियाँ समायोजन Deductions/ Adjustment During The Year	वर्ष के लिए For The Year	दिनांक 31.3.2010 तक Upto 31.3.2010		दिनांक 31.3.2010 As on 31.3.2010	दिनांक 31.3.2009 As on 31.3.2009
			खरीद Purchase	स्थानांतरित Transfer	बिक्री Sale	स्थानांतरित Transfer									
1	भूखण्ड: / Land:														
	(क) पट्टे पर														
	A) Lease Hold	316.46	-	-	-	-	316.46	79.25	-	-	3.20	82.45		234.02	237.21
	(ख) पूर्ण स्वामित्व														
	B) Free Hold	126.38	-	-	-	-	126.38	-	-	-	-	-		126.38	126.38
2	भवन														
	Building#	4,780.73	10.49	-	-	-	4,791.22	813.94	-	-	76.56	890.50		3,900.72	3,966.79
3	रेलवे साईडिंग														
	Railway Siding	380.45	-	-	-	-	380.44	204.46	-	-	18.07	222.53		157.91	175.99
4	प्रयोगशाला उपकरण														
	Lab Equipments	76.45	15.45	-	-	-	91.90	26.68	-	-	3.89	30.57		61.33	49.77
5	कंप्यूटर उपकरण														
	Computer Equipments	241.17	56.60	-	23.04	-	274.73	154.87	13.08	9.61	27.53	159.72		115.01	86.32
6	कार्यालय उपकरण														
	Office Equipments	209.10	33.28	9.39	4.01	9.39	238.37	106.16	1.11	0.87	17.40	121.58		116.79	102.94
7	एअर कंडीशन संयंत्र														
	Air Conditioning Plant	276.55	-	-	-	-	276.55	140.86	-	-	13.14	154.00		122.55	135.69
8	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स														
	Electrical Instal Lifts & Elevators	280.16	-	-	-	-	280.16	141.73	-	-	13.26	154.99		125.17	138.43
9	विद्युत संस्थापन गोदाम III & IV														
	Electrical Instal Godown III & IV	136.54	-	-	-	-	136.54	54.19	-	-	6.49	60.68		75.86	82.35
10	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स														
	Furniture & Fixtures	509.74	52.58	-	0.29	-	562.03	344.57	0.22	0.07	31.08	375.36		186.67	165.17
11	वाहन														
	Vehicles	156.97	19.00	-	12.17	-	163.80	41.20	4.32	1.88	15.23	50.23		113.57	115.77
12	अमूर्त आस्तियां (कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर)														
	Intangible Assets (Computer Software	28.11	4.25	-	-	-	32.36	17.34	-	0.00	6.78	24.12		8.24	10.77
	कुल / Total	7,518.81	191.65	9.39	39.51	9.39	7,670.95	2,125.25	18.73	12.43	232.63	2,326.73		5,344.22	5,393.58
	गत वर्ष / Previous Year	7,471.43	148.41	0.27	101.00	0.30	7,518.81	1,971.63	54.23	22.44	230.27	2,125.23		5,393.58	5,499.80

नोट : 1) बिल्डिंग/लागत में (कफ-कॅसल को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि. में क्रमशः प्रत्येक 50 रूपये के 10 शेयर्स तथा विकास वैभव हाऊसिंग सोसायटी लि. में 50 रूपये के 5 शेयर्स) 500 रूपये तथा 250 रूपये के अंकित मूल्य के शेयर्स शामिल है।

\# 2) बिल्डिंग का कुछ हिस्सा पट्टे पर दिया गया है ।

Note : 1) Cost of Buildings includes shares of the Face Value of Rs. 500/- & Rs. 250/- (10 Shares of Rs. 50/- Each In Cuffe Castle Co-Op Housing Society Ltd., 5 Shares of Rs. 50/- each in Vikas Vaibhav Co-Op. Housing Society Ltd. respectively)

\# 2) Certain portion of the building has been given on Lease

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 5
SCHEDULE : 5

माल सूची
INVENTORIES

(लेखा नीति नं.4 के अनुसार किया गया मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)
(As Taken, Valued As Per Accounting Policy No. 4 & Certified By Management)

रूई सहित गांठें Bales Including Lint	87,324.72	730,768.75
येलो पिंकिंग तथा नमूना गांठें Yellow Picking & Sample Bales	199.38	464.14
बिनौले Seeds	2,172.71	31,227.31
कच्चा माल - कपास Raw Material - Kapas	2,668.54	75.346.50
हैसियन क्लॉथ Hessian Cloth	756.69	505.09
तिरपाल Taurpulines	716.29	496.42
लोहे की पट्टी Iron Hoops	26.46	21.76
कुल / Total	93,864.79	838,829.97

अनुसूची : 6
SCHEDULE : 6

विविध देनदार
SUNDRY DEBTORS

6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण Debts Outstanding For A Period Exceeding Six Months		
रक्षित - शोध्य माने गये Secured-Considered Good	0.00	0.00
अरक्षित - शोध्य माने गए Unsecured-Considered Good	56.72	57.04
संदिग्ध माने गए Considered Doubtful	299.97	300.83
घटाइये : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision For Doubtful Debts.	-299.97	-300.83
कुल / Total	56.72	57.04

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अन्य ऋण **Other Debts**		
रक्षित - शोध्य माने गए Secured - Considered Good.	0.00	0.00
अरक्षित - शोध्य माने गए Unsecured - Considered Good.	3,051.98	6,546.33
कुल / Total	3,051.98	6,546.33
सकल योग / Grand Total	3,108.70	6,603.37

अनुसूची : 7
SCHEDULE : 7

नकद और बैंक में शेष **CASH AND BANK BALANCES**		
शेष नकद Cash In Hand.	0.37	0.69
अनुसूचित बैंक में शेष : Balance With Scheduled Banks		
चालू खाते में / नकदी उधार खाते में In Current Account / Cash Credit Account	1,350.84	29,589.79
सावधिक जमा In Fixed Deposit	0.22	0.22
उपलब्ध स्टैम्पस Stamps In Hand.	0.00	0.02
उपलब्ध चैकस Cheques in Hand.	200.94	894.66
कुल / Total	1,552.37	30,485.38

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 8 **SCHEDULE : 8**		
ऋण और अग्रिम **LOANS AND ADVANCES :**		
क) नकद रूपये में प्राप्त होने वाले या मूल्य के वसूली योग्य A. Recoverable in Cash or in Kind for Value to be received		
ख. अग्रिम : (कर्मचारियों के अग्रिमों सहित) B. Advances :(Including Advances To Employees)		
क) रक्षित - शोध्य माने गए a) Secured - Considered Good	516.73	451.75
ख) अरक्षित - शोध्य माने गए b) Unsecured - Considered Good		
i) भारत सरकार एमएसपी पर प्राप्य हानि i) Loss On MSP Receivable from Govt. of India	120,224.85	84,284.84
ii) अग्रिम खरीद कर ii) Advance Purchase Tax	1,319.02	1,589.11
iii) अन्य iii) Others	1,724.42	1,815.39
iv) पोर्ट ट्रस्ट अॅथारिटी के साथ शेष iv) Balance With Port Trust Authorities	2.15	2.15
v) अन्य के साथ जमा राशियाँ v) Deposits With Others	69.11	126.08
vi) अग्रिम कर vi) Advance Tax	7,826.47	5,238.30
vii) अग्रिम कर (टीडीएस) vii) Advance Tax (T.D.S.)	522.31	345.72
viii) आय कर वापसी पर प्राप्य ब्याज viii) Interest Receivable on Income Tax Refund	7.14	7.14
ix) वॅट क्रेडिट प्राप्य (विशिष्ट) ix) VAT Credit Receivable (INPUT)A/C	2.52	4,022.68
ग) संदिग्ध माने गए c) Considered Doubtful	5.93	5.75
घटाइये : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Less : Provision For Doubtful Advances	-5.93	-5.75
	132,214.72	97,883.16

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 9
SCHEDULE : 9

वर्तमान देयताएँ और प्रावधान
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

क) वर्तमान देयताएँ
A. Current Liabilities :

विविध लेनदार (मायक्रो उद्यम तथा छोटे उद्यम)		
Sundry Creditors (Macro Enterprise & Small Enterprise)	846.77	11,048.86
विविध लेनदार (अन्य)		
Sundry Creditors (Others)	2,364.44	76,451.11
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		
Advances Received from Customers	7,656.47	79,005.66
अन्य देयताएँ		
Other Liabilities	4,265.60	8,276.42
कुल / Total	15,133.28	174,782.05

ख) प्रावधान
B. Provisions :

आय कर के लिए		
For Inome - Tax	8,255.89	7,649.17
संपत्ति कर के लिए		
For Wealth Tax	1.05	1.41
अंशदायी भविष्य के लिए		
For Contributory Provident Fund	65.58	68.53
पेंशन तथा अन्य कर्मचारी लाभो के लिए		
For Pension And Other Staff Benefits	357.61	387.11
उपदान के लिए		
For Gratuity	380.57	1,306.03
छुट्टी नकदीकरण के लिए		
For Leave Encashment	2,142.88	1,834.70
अनुषंगी लाभ के लिए		
For Fringe Benefit Tax	127.67	122.00
प्रस्तावित लाभांश के लिए (उन पर कर सहित)		
For Proposed Dividend (Including Tax Thereon)	583.05	1,568.81
के.मं.भ.अधिकारियों की (60%) ॲरियर्स के लिए		
Provision for Arrears to CDA (60%)	0.00	70.40
यात्रा तथा वाहन अनुरक्षण की ॲरियर्स के लिए		
Provision for Arrears of Conveyance & Vehicle Maintenance	0.00	41.10
वेतन संशोधन (कर्मचारी-7वें चार्टर) के लिए		
For Pay Revision(7th Charter - Staff)	0.07	794.47
कुल / Total	11,914.37	13,843.73
कुल क + ख / Total A+ B	27,047.65	188,625.78

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा अनुसूची
SCHEDULES FOR THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 10 **SCHEDULE : 10** **बिक्री एवं अन्य आय** **SALES & OTHER INCOME**		
क) बिक्री A) Sales	827,405.68	492,498.84
घटाइये : गुणवत्ता दावें Less : Quality Claim	-2.44	-0.50
ख) रखरखाव प्रभार, संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति, कमीशन, निकासी एवं प्रेषण प्रभार, बीमा दावे, दामी आदि B) Carrying Charges,Compensation For Cancellation of Contracts,Commission,C&F Charges,Insu.Claims,Dami	10,259.44	3,595.39
ग) किराया वसूली (टीडीएस 178.09 लाख रू. गतवर्ष 133.17 लाख रू.) C) Rent RecoveryT.D.S. Rs. 178.09 Lacs P.Y. Rs.133.17 Lac)	783.91	536.65
घ) ब्याज - अल्पावधि जमा D) Interest- Short Term Deposits	0.23	854.07
ङ) ब्याज - कर्मचारियों को ऋण E) Interest - Loans to Employees	23.94	22.00
च) ब्याज - ग्राहकों से प्राप्त F) Interest - Recd.from Customer	0.00	85.26
छ) ब्याज - अन्य G) Interest - Others	113.72	4.18
ज) सेवा प्रभार H) Service Charges	29.85	0.92
झ) विविध शेष का प्रतिलेखन I) Sundry Balances Written Back	4.36	3.83
ट) विदेशी मुद्रा से लाभ (शुद्ध) J) Foreign Exchange Gain (Net)	5.25	-371.74
ठ) शुल्क वापसी (निर्यात) / निर्यात प्रोत्साहन K) Duty Drawback (Export) / Export Incentive	878.15	145.65
ड) निवेशों की बिक्री पर लाभ(यूटीआय-एमएफ खाता एमएमएफ) L) Profit on Sale of Investments (UTI-MF A/C.MMF)	0.00	77.15
ढ) अन्य विविध आय M) Other Miscellaneous Income	148.66	32.61
	839,650.75	497,484.31

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 11
SCHEDULE : 11

प्रशासन एवं अन्य खर्च
ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

I)	**स्थापना** **ESTABLISHMENT**		
क) A)	वेतन और भत्ते Salaries & Allowances	4,381.04	3,069.06
ख) B)	बोनस/पीएलआय/कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन Bonus/PLI/Performance Incentive	264.86	195.16
ग) C)	कर्मचारी कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	204.65	144.19
घ) D)	छुट्टी का नकदीकरण Encashment of Leave	509.19	1,089.51
ङ) E)	भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान Contribution to Provident Fund & Pension Fund	604.95	339.78
च) F)	उपदान निधि में अंशदान Contribution to Gratuity Fund	387.91	1,305.60
छ) G)	अधिवर्षिता निधि में अंशदान Contribution to Super Annuation Fund	325.00	366.00
ज) H)	के.मं.भ.अधिकारियों की (40%) वेतन संशोधन बकाया राशि Arrears of Pay Revision - CDA Officers (40%)	0.00	60.54
झ) I)	औ.मं.भ.अधिकारियों के वेतन संशोधन बकाया राशि Arrears of Pay Revision - IDA Officers	19.25	0.00
ट) J)	VIIवें चार्टर ऑफ डिमांड की बकाया राशि Arrears of VII Charter of Demands	4.76	796.12
ठ) K)	के.मं.भ.अधिकारियों के (60%) वेतन संशोधन बकाया राशि Arrears of Pay Revision - CDA Officers (60%)	0.00	70.40
ड) L)	यात्रा तथा वाहन बकाया राशि Conveyance & Vehicle Arrears	0.33	41.10
		6,701.94	7,477.46

		दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
II)	**प्रशासन / Administration**		
क)	कार्यालय किराया		
A)	Rent Office	48.07	42.25
ख)	यात्रा व्यय		
B)	Travelling Expenses	144.09	128.43
ग)	दर और कर		
C)	Rates & Taxes	33.07	34.94
घ)	विधि और व्यावसायिक शुल्क		
D)	Legal & Professional Fees	40.56	127.10
ङ)	लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय		
E)	Audit Fees & Expenses	30.41	23.17
च)	मरम्मत एवं अनुरक्षण (बिल्डिंग)		
F)	Repairs & Maintenance (Building)	121.22	80.04
छ)	मरम्मत एवं अनुरक्षण (अन्य)		
G)	Repairs & Maintenace (Others)	89.51	17.23
ज)	विज्ञापन		
H)	Advertisement	68.16	49.71
झ)	आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर हानि		
I)	Loss on Sale of Asset	2.53	6.91
ट)	अग्नि के कारण हानि		
J)	Loss on Fire	0.00	9.55
ठ)	विद्युत पानी प्रभार/जनरेटर प्रभार *(शुध्द वसूली 233.45 लाख रू पिछले वर्ष 167.53 लाख रू.)		
K)	Electricity Water Charges / Generator Charges (Net of Recovery Rs. 233.45 Lacs P.Y. Rs. 167.53 Lacs)	97.34	117.46
ड)	विविध व्यय		
L)	Miscellaneous Expenses	399.52	578.68
		1,074.48	1,215.47
III)	**अन्य व्यय / Other Expenses**		
क)	गोदाम किराया		
A)	Godown Rent	4,924.72	2,598.47
ख)	बीमा		
B)	Insurance	1,852.97	1,567.12
ग)	बैंक प्रभार		
C)	Bank Charges	38.02	142.45
घ)	कपास उपज के सुधार पर व्यय		
D)	Expenses on Improvement of Cotton Yield	13.54	13.07
		6,829.25	4,321.11
	कुल I + II + III / Total I+II+III	14,605.67	13,014.04

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 12 **SCHEDULE : 12**		
ब्याज **INTEREST**		
क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	28,967.35	21,231.63
ख) अन्य B) Others	914.09	3.83
	29,881.44	21,235.46
अनुसूची : 13 **SCHEDULE : 13`**		
बिक्री, वितरण तथा प्रेषण **SELLING , DISTRIBUTION & FORWARDING**		
क) बिक्री, वितरण व्यय A) Selling,Distribution Expenses	3.828.17	2,126.53
ख) दलाली / कमीशन B) Brokerage / Commission	152.27	264.30
ग) निकासी एवं प्रेषण प्रभार C) Clearing and Forwarding Charges	75.62	261.81
घ) बिक्री कर D) Sales Tax	0.59	1.72
	4,056.65	2,654.36
अनुसूची : 14 **SCHEDULE : 14**		
बट्टे खाते में डाली गई राशि **AMOUNTS WRITTEN OFF**		
क) अशोध्य ऋण/ अग्रिम A) Bad Debts/Advances	5.69	0.00
ख) बट्टे खाते में डाली गयी आस्तियाँ B) Asset Written Off	0.11	0.00
	5.80	0.00

	दि 31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2009 को As on 31.03.2009 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 15 **SCHEDULE : 15**		
पूर्व अवधि के समायोजन (शुद्ध) **PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)**		
आय **INCOME**		
क) बिक्री A) Sales	9.26	-0.08
ख) रखरखाव प्रभार, निकासी एवं प्रेषण प्रभार, वसूली, संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति, कमीशन, बैंक प्रभार, बीमा आदि B) Carrying Charges,C&F Charges Recovery, Compensation for Cancellation of Conts, Commission,Bank Charges,Insurance Etc.	-1.15	0.17
ग) ब्याज C) Interest	-1.42	0.38
घ) विविध आय D) Miscellaneous Income	52.86	0.29
	59.55	0.76
व्यय : **EXPENDITURE**		
क) खरीद A) Purchases	1.45	0.00
ख) जिनिंग एवं प्रोसेसिंग प्रभार B) Ginning And Processing Charges	31.02	0.78
ग) ब्याज C) Interest	0.00	-0.04
घ) बिक्री तथा वितरण D) Selling & Distribution	8.65	9.99
ङ) प्रशासन एवं अन्य व्यय E) Administartion & Other Expenses	42.65	20.02
च) निर्यात बिक्री पर कमीशन F) Commision On Export Sale	0.66	0.49
छ) मूल्यह्रास G) Depreciation	0.02	0.00
ज) पी.एल.आय. तथा बोनस H) PLI & Bonus	0.00	0.23
झ) विविध व्यय I) Miscellaneous Expenses	14.42	0.00
	98.87	31.47
आय / (व्यय) (शुद्ध) **INCOME/EXPENDITURE (NET)**	-39.32	-30.71

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा का भाग बनाने वाले नोट्स
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

1. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है ।

   i) निगम के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गई 3.80 लाख रूपयों की गारंटियाँ (गत वर्ष 0.05 लाख रूपये) ।

   ii) निगम के विरूद्ध कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि अनिश्चित है और ऋण नहीं मानी गई राशि 659.44 लाख रूपये है (गत वर्ष 677.75 लाख रूपये)। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी के विरूद्ध विधिक मामलों में निर्णय लिए जाते हैं तो निगम के दावे की राशि पर ब्याज देना पड़ेगा ।

   iii) बिक्री कर की माँग 472.45 लाख रूपये (गत वर्ष 594.28 लाख रूपये), जिसके संदर्भ में निगम ने अपील की है ।

   iv) निर्यात पर कमीशन के लिए सेवा कर मांग की राशि 0.62 लाख रूपये (गत वर्ष "शून्य") । जिसके लिए विभाग द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी की गयी है ।

   v) पंजाब संरचना सेस राशि 764.47 लाख रूपये (गत वर्ष "शून्य") ब्याज, जिसके विरूद्ध निगम ने अपील दायर की है। पंजाब सरंचना (विकास एवं विनिमन) अधिनियम 2002 के अतंर्गत लगाये गये सेस के विरूद्ध निगम ने सर्वोच्य न्यायालय ने एस एल पी दायर की है।

   vi) निगम के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 7(ए) के अधीन जॉच के बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने दि.3.2.2005 को जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में एंगेज किए गए कर्मचारियों के लिए निगम को मुख्य नियोक्ता मानते हुए आदेश पारित करते हुए यह निदेश दिया है कि इस प्रकार के सभी जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के, जिनके पास भविष्य निधि का पी.एफ.कोड नंबर नहीं है तथा जिनके पी.एफ.कोड नंबर हैं, उनका भविष्य निधि जमा के प्रमाणन चलन्स के विवरण प्रस्तुत करें । निगम द्वारा उक्त आदेश को ई.पी.एफ. अपीली अधिकरण, नई दिल्ली के सामने चुनौती दी है । उक्त अपील पर भविष्य निधि

1. Contingent Liabilities not provided for:

   i) Guarantees given by Banks on behalf of the Corporation is Rs.3.80 lakhs (Previous year Rs. 0.05 lakhs)

   ii) Claims of employees and others against the Corporation of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 659.44 lakhs (Previous year 677.75 lakhs). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company.

   iii) Sales Tax demands amounting to Rs. 472.45 lakhs (Previous year Rs.594.28 lakhs) in respect of which the Corporation is in appeal.

   iv) Service Tax demand on commission on export amounting to Rs. 0.62 lakhs (Previous year Nil) for which show cause notice has been issued by the Department.

   v) Interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. 764.47 lakhs (Previous year Nil) The corporation has filed SLP in Supreme Court against levy of cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act 2002.

   vi) In an inquiry u/s. 7 (A) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 against the Corporation, the Assistant Provident Fund Commissioner has passed an order dated 3.2.05 holding the Corporation as the Principal Employer of the workers of ginning & pressing factories engaged by the Corporation and directed the Corporation to make available to him the details of the employees of all such factories which are not having P.F. Code along with challans evidencing deposit of provident fund of those factories which are having code number and complying . The said order has been challenged by the Corporation before E.P.F. Appellate Tribunal, New Delhi. The said appeal is pending for reply from

विभाग से उत्तर लंबित है और अतः राशि अनिश्चित है ।

vii) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और 375.83 लाख रूपये के लिए (गत वर्ष शून्य) प्रावधान नहीं किया गया है ।

2. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 99424.00 लाख रूपये (गत वर्ष 149858.35 लाख रूपये) है तथा एएस-12 प्रावधान के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। इन व्यय / हानियों में निम्न शामिल है :-

(i) प्रशासकीय और स्थापना खर्चो के भाग को समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

(ii) खरीदी गई कपास गाँठों के मूल्य पर आधारित अचल परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास ।

(iii) निम्नलिखित अवधि के लिए समर्थन मूल्य परिचालन में निधि के अभियोजन पर परिकलित ब्याज (जिसमें बैंकों से ऋण के साथ-साथ स्वयं की निधि शामिल है।

क) गाँठों में बदलने के लिए यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों के प्रेसिंग की तारीख तक आवर्तन प्रक्रिया के लिए ।

ख) गाँठों की बिक्री और उठवाने तक गॉठों के प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए।

ग) न बेची गाँठें और बेची लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए, गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2010 तक ।

(iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य खरीद को तिरपालों के खर्चो को आबंटित किया गया है।

(v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर समर्थन मूल्य परिचालन को हैसियन / ग्रे कपड़े के खर्चो को आबंटित किया है ।

(vi) वर्ष के दौरान परीक्षण सामग्री की लागत जैसे मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स की खरीद की राशि 23.03 लाख रू. है (पिछले वर्ष 177.84 लाख रू.।

(vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

(viii) पंजाब संरचना सेस के लिए प्रावधान 260.50 लाख रूपये (गत वर्ष 2995.22 लाख रूपये)।

आगे, समर्थन मूल्य परिचालन हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शनों

Provident Fund Department and hence the amount is indeterminate.

vii) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. 375.83 lakhs (Previous year Nil)

2. Losses amounting to Rs. 99424.00 lakhs (Previous year Rs. 149858.35 lakhs) arised on account of Support Price operations and accounted for under the Provisions of AS-12 are reimbursable by Government. These Exp./Losses include.

i) Administrative and establishment expenses, apportioned towards support price operations on the basis of number of bales purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets allocated to support price operations based on the value of the bales purchased.

iii) Interest on funds deployed (which includes Bank borrowings as well as owned Funds) in support price operations computed for the following periods: -

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold & lifted from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted, from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2010.

iv) Tarpaulins expenditure allocated to support price operations on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/gray cloth expenditure allocated to support price operations on the basis of the number of bales pressed

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. 23.03 Lacs (Previous Year Rs. 177.84 Lacs)

vii) Selling & Distribution expenses are on actual basis.

viii) Provision towards Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. 260.50 lakhs (previous year 2995.22 lakhs).

Further, clarification on guidelines from Ministry of Textile, Govt. of India or claiming

पर स्पष्टीकरण उपरोक्त स्वरूप में उल्लिखित के अनुसार निगम द्वारा मंत्रालय को निर्दिष्ट कर रहा है ।

3. खरीद कर / बिक्री कर/वॅट के लिए 1890.23 लाख रूपये की राशि (गत वर्ष 5583.69 लाख रूपये) में ऋण एवं अग्रिम शामिल है, अपील का निर्णय होने तक बिक्री कर/ वैट प्राधिकारियों के पास मूल्यांकन के लिए लंबित है । संबंधित विभाग से निर्णय प्राप्त होते ही इसे प्रभावित किया जायेगा ।

4. 3.53 लाख रूपये के दावे (गत वर्ष 12.11 लाख रूपये) की राजस्व - मान्यता को, जो संविदाओं को रद्द करने के लिए खरीददार पर दायर की गयी, उल्लेखनीय लेखा नीतियों के क्रम संख्या 10(ii) में दिए गए विवरण के अनुसार निगम द्वारा अपनायी गयी लेखा नीति के अनुसरण में आस्थगित किया गया है ।

5. एनटीसी मिलों से 1014.79 लाख रूपये (गत वर्ष 435.60 लाख रूपये) देय बकाया राशि की वसूली के लिए एनटीसी, सीसीआई तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार शोध्य माने गये । अतः प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

6. मायक्रो तथा छोटे उद्यमों का प्रस्तुतीकरण :

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दिखाना है) का भुगतान शेष है ।

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष
मूल राशि	846.77	11048.86
ब्याज	शून्य	शून्य

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि "शून्य" है।

(iii) देय ब्याज की राशि और भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय (जिसका भुगतान वर्ष के

reimbursement of MSP Losses mentioned in the manner as above is being referred by Corporation to Ministry.

3. Loans & Advances include Rs. 1890.23 lakhs (Previous year Rs.5583.69 lakhs) towards Purchase Tax/Sales Tax/VAT deposited with the Sales Tax/VAT Authorities, pending for assessment / decision in appeals. Effect thereon will be given as and when finalized by the Department.

4. Revenue recognition of claims of Rs. 3.53 lakhs (Previous year 12.11 lakhs) lodged on buyers for cancellation of contracts has been deferred in terms of accounting policy adopted by the Corporation as detailed at Sr.No. 10 (ii) of the Significant Accounting Policies.

5. Debts due from NTC mills amounting to Rs. 1014.79 lakhs (Previous year Rs.435.60 lakhs) are considered good for recovery as per Memorandum of Understanding reached amongst NTC, CCI & Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding. No provision is considered necessary.

6. Disclosure for Micro and Small Enterprises:

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

(Rs. In Lakhs)

	Year ended 31 March, 2010	Year ended 31 March, 2009
Principal	846.77	11048.86
Interest	NIL	NIL

(ii) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year is -NIL.

iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed

दौरान किया गया, लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 के अंतर्गत ब्याज जोड़े बिना "शून्य" है ।

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि "शून्य" है ।

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और अगले वर्ष में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को प्रदत्त करना है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय "शून्य" है।

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है दी गई है और लेखा परीक्षकों द्वारा अवलम्ब करती है ।

7. देनदारों का, एनटीसी की सहायिकाएँ तथा संस्थागत खरीददार और अन्य शामिल हैं, ऋण और अग्रिम, विविध देनदार तथा बकाया देयताओं का आवधिक रूप से पुष्टि मिलान के अधीन है ।

8. (i) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की विभिन्न मिलों द्वारा संविदागत गाँठें उठाने में असफल रहने, कपास की पुनबिक्री के कारण हुई परिनिर्धारित नुकसानी के लिए वसूली योग्य कुल राशि 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) 31 मार्च, 2010 को बकाया है । क्योंकि परिनिर्धारित नुकसानी और विविध देनदार से वसूली योग्य राशि 1679.63 लाख रूपये निगम की बहियों में 31 मार्च, 2010 को सरकारी खाते पर पायी जाती है, इसलिए प्रचलित लेखा नीति के अनुसार वसूली योग्य राशि विविध देनदार से घटायी गयी है ताकि इन विधि मामलों के लंबित निर्णय तक मामले सत्य और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकें ।

(ii) सरकार को विविध लेनदारों से 60.48 लाख रूपये (गत वर्ष 45.96 लाख रूपये) देय है । यह राशि वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 से कपास आयात के विधिक मामलों के निपटान हेतु अनिर्णित है ।

day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is -NIL.

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is- NIL.

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is -NIL.

The above information is given to the extent available with the company and relied upon by Auditors.

7. Debtors comprising NTC Subsidiaries, Institutional Buyers, other Debtors, Loans and Advances, Deposits, Sundry Creditors are subject to confirmation/Reconciliation.

8. i) Amounts aggregating to Rs.1679.63 lakhs (Previous Year Rs. 1679.63 Lakhs) on account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales, on account of loss on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 & 1977-78 are outstanding as on 31st March, 2010. Since the losses recoverable towards liquidated damages and Sundry Creditors appearing in the books of the Corporation as on 31st March, 2010 amounting to Rs. 1679.63 lakhs are on Government account, the recoverable amounts are reduced from Sundry Creditors to present a true and fair view of the matter, pending outcome of such legal cases.

ii) Sundry Creditors includes Rs.60.48 lakhs (Previous year Rs. 45.96 lakhs) payable to Government of India This amount is pending for settlement of cotton import legal cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78.

9. इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा उनके कर्मचारियों को टीएमसी में तैनात करने के लिए उनके वेतन तथा भत्ते हेतु टीएमसी सेल से 72.79 लाख रूपये (गत वर्ष 61.23 लाख रूपये) की प्रतिपूर्ति की गई और उसे स्थापना शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों से घटाया गया है ।

10. लेखा मानक –15 द्वारा आवश्यक कर्मचारी लाभों के ब्यौरे, "कर्मचारी लाभ" निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी में लाभ तथा हानि खाते में निम्न राशियों को मान्यता दी है :-

लाख रूपये में

	2009-10	2008-09
भविष्य निधि तथा भविष्य निधि पेन्शन में फंड अंशदान	604.95	339.78
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान (कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित लाभ के मूल्य को शामिल करते हुए)	325.00	366.00

(ख) लाभ योजना की परिभाषा :

कंपनी को पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, सेवा-निवृत्ति योजना लाभ निधि परिभाषा का दायित्व है । 31 मार्च, 2010 को बीमांकिकी मूल्यांकन के अनुसार लाभ योजना की परिभाषा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

9. Pay & Allowances of Rs. 72.79 lakhs (Previous year Rs. 61.23 lakhs) have been reimbursed from TMC cell for the staff deployed to them by the Corporation during the year and the same has been reduced from Pay & Allowances under Establishment head.

10. Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows:

A Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the profit and loss account:

Rs. in lakhs

	2009-10	2008-09
Contribution to Provident Fund and PF Pension Fund	604.95	339.78
Contribution to Superannuation Fund (including value of surrendered benefit by employees)	325.00	366.00

B. Defined Benefit Plan:

The Company has an obligation towards gratuity, a funded defined benefit retirement plan covering eligible employees. Details of defined benefit plan – As per Actuarial Valuation as on 31.03.2010, are as follows:

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No		उपदान / Gratuity	
		As on 31.3.2010	As on 31.3.2009
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक Components of employer expense**		
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	110.16	72.76
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	224.48	129.19
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्राप्ति (c) Expected return on plan assets	(222.91)	(123.33)
	(ड) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	276.18	1226.98
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Account	387.91	1305.60
ii.	**31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान Actual contribution and Benefit payments for the year ended 31st March 2010**		
	वास्तविक लाभ का भुगतान / Actual benefit payments	302.07	30.34
	वास्तविक अंशदान / Actual contribution	1306.03	0.00

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No		उपदान / Gratuity	
		As on 31.3.2010	As on 31.3.2009
iii.	**31 मार्च, 2010 को तुलन-पत्र में शुद्ध मान्यता प्राप्त दायित्व** **Net liability recognized in Balance Sheet as at 31st March 2010**		
	लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3208.81	2937.35
	परिसंपत्ति योजना का उचित मूल्य Fair value of plan assets	2820.90	1631.32
	तुलन-पत्र दायित्व में मान्यता प्राप्त शुद्ध Net liability recognized in Balance Sheet	(387.91)	(1306.03)
iv.	**31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ बाध्यता की परिभाषा में परिवर्तन** **Change in Defined Benefit Obligations during the year ended 31st March 2010**		
	वर्ष के प्रारंभ में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	2937.35	1557.31
	वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	110.16	72.76
	ब्याज लागत / Interest cost	224.48	129.19
	बीमांकिकी हानि / Actuarial losses	238.89	1208.43
	भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid	(302.07)	(30.34)
	वर्ष के अंत में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3208.81	2937.35
v.	**31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन** **Change in Fair Value of Assets during the year ended 31st March 2010**		
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	1631.32	1556.87
	संपत्ति योजना पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual return on plan assets	222.91	104.79
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company contribution	1306.03	-
	भुगतान किया गया लाभ Benefits paid	(302.07)	(30.34)
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना पर बीमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(37.29)	-
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	2820.90	1631.32
vi.	**बीमांकिकी धारणा** **Actuarial Assumptions**		
	छूट की दर (%) / Discount Rate (%)	8.25%	7.75%
	संपत्ति योजना पर प्रति प्राप्ति (%) / Expected Return on plan assets (%)	8%	8%
	वेतन वृद्धि (%) / Salary escalation (%)	4%	4%
vii.	**कुल संपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार संपत्ति योजना की बड़ी श्रेणियाँ** **The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	**100%**	**100%**
	बीमा नियंत्रित निधियाँ Insurer managed funds	2820.90	1631.32

(ग) कंपनी ने बीमांकिकी मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण के लिए कुल 509.19 लाख रूपये (गत वर्ष 1089.51) का प्रावधान किया है ।

C The Corporation has provided the sum of Rs. 509.19 lakhs (Previous year 1089.51) towards Leave Encashment on the basis of Actuarial valuation.

11. ऋण और अग्रिम खाते में निदेशकों/अधिकारियों से देय राशि निम्न प्रकार है

11. Loans and Advances include dues from Directors/Officers on account of

(क) गृह निर्माण अग्रिम :

(A) House Building Advance:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	नाम / Name	31.3.2010 को अग्रिम Advance as on 31.3.2010	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष Maximum balance at any time during the year
1.	श्री मनोज बजाज कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक(वित्त)		
1.	Shri Manoj Bajaj Company Secretary cum General Manager(Fin)	4.90 (5.21)	5.44 (5.69)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के है) (Figures in brackets relate to previous year)

(ख) वाहन अग्रिम :

(B) Vehicle Advance:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	नाम / Name	31.3.2010 को अग्रिम Advance as on 31.3.2010	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष Maximum balance at any time during the year
1.	श्री मनोज बजाज कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक (वित्त)		
1.	Shri Manoj Bajaj Company Secretary cum General Manager(Fin)	2.95 **(2.82)**	2.95 **(2.82)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के है) (Figures in brackets relate to previous year)

(ग) कर्मचारी कल्याण निधि ऋणः

(C) Staff Welfare Fund Loan:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	नाम / Name	31.3.2010 को अग्रिम Advance as on 31.3.2010	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष Maximum balance at any time during the year
1.	श्री सुभाष ग्रोवर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		
1.	Shri Subhash Grover Chairman cum Managing Director	**0.08** **(0.16)**	**0.16** **(0.23)**
2	श्री सी.एस.तेवतिया निदेशक(विपणन)		
2.	Shri C.S.Teotia, Director (Marketing)	**0.19** **(0.27)**	**0.27** **(0.34)**

12 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :

12 Auditor's Remuneration

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	Particular	2009 - 2010	2008 - 2009
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	9.00	6.00
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax / VAT Audit Fees	3.91	2.17
ग) c)	यात्रा तथा अन्य व्यय Travelling & other Expenses	17.50	15.00
	कुल / Total	**30.41**	**23.17**

13. अकोला शाखा में दिनांक 06.05.2010 को पुसद केन्द्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्ण बंधित गांठों के दुर्विनियोग को देखा गया था। दोषी के विरूद्ध पुसद पुलिस स्टेशन में एफआयआर सं.117/10 दिनांक 08.05.2010 को अपराधिक मामला रजिस्टर्ड किया गया है । कथित 1212 पूर्ण बंधित गांठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रूपये है । अंतिम स्टॉक मूल्यांकन में उक्त के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है । कथित मामला अब तक संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा जाँच के अधीन है ।

14. जन संपर्क और प्रचार पर 12.28 लाख रूपये का व्यय किया गया है (गत वर्ष 0.96 लाख रूपये)।

15. भारत सरकार से अवधि और लागू तारीख का विशेष रूप से उल्लेख करने से संबंधित अधिसूचना के बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्न-ओवर पर सेस देय है, उक्त निर्धार्य नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ।

16. मंडल के मत में वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम का मूल्य व्यापार की सामान्य स्थिति पर उगाही जाने वाली राशि के समान है, जो बताये गये हैं ।

13. In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on dated 06.05.2010. A Criminal case is registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 Lacs. The effect of the same has not been considered in closing stock valuation. The said case is still under investigation by the concerned police authorities.

14. Expenditure on public relations and publicity Rs.12.28 lakhs (Previous year Rs. 0.96 lakhs)

15. In absence of relevant notification by the Government of India specifying the period and applicable date at which cess on turnover is payable under section 441A of the Companies Act , 1956 , the same is not determinable and hence not provided for.

16. In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

17. प्रबंधकीय पारिश्रमिक :
17. Managerial Remuneration:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	अ.प्र.नि. C.M.D.	अन्य निदेशक Other Directors
वेतन एवं भत्ते	16.68	20.15
Salary & Allowances	(19.02)	(33.46)
भविष्य/ पेंशन निधि में अंशदान	2.12	2.59
Contribution to Provident/Pension Fund	(1.88)	(3.22)
छुट्टी नकदीकरण	NIL	9.54
Leave Encashment	(NIL)	(NIL)
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.12	3.64
Reimbursement to Medical Expenses	(0.14)	(1.75)
प्रोत्साहन बोनस	1.22	1.08
Incentive Bonus	(0.58)	(1.03)
छुट्टी यात्रा रियायत	0.43	0.27
Leave Travel Concession	(NIL)	(1.09)
परिलब्धियाँ	0.33	0.35
Perquisites	(0.01)	(0.09)

(कोष्ठक में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं)
Figures in brackets relate to previous year.

नोटः- उपर्युक्त राशि में उपदान निधि, अधिवर्षिता तथा छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान को उपर्युक्त पारिश्रमिक में नहीं जोड़ा गया है,क्योंकि व्यक्तिशः राशि अनिश्चित थी ।

Note: Contribution to Gratuity Fund, Superannuation Fund and Provision for Leave Encashment are not included in the above remuneration. Amount not ascertainable individually.

नोट सं. 18 (क) :
Note No. 18 (A) :

प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित कंपनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी
ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED UNDER SCHEDULE VI OF THE COMPANIES ACT,1956 AS CERTIFIED BY THE MANAGMENT

(क) आरंभिक स्टॉक, प्राप्त की गई रूई / बिनौले, खरीद, बिक्री तथा अंतिम स्टॉक का वस्तुवार ब्यौरा
(A) Commodity Wise Break Up of Opening Stock, Lint/Seeds, Obtained, Purchased,Sales And Closing Stock

I) देशी कपास संसाधन : वर्ष - 2009-10
Domestic Cotton Processing : Year-2009-10

	आरंभिक स्टॉक Opening Stock		प्राप्त किया गया Obtained		बिक्री Sales		अंतिम स्टॉक Closing Stock	
	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs
पूर्ण बंधित गॉठें (संख्या में) F.P Bales (In Nos.)	**6,880,832** (584,766)	**727,370.75** (53,434.07)	**1,343,080** (8,394,693)		* **7,535,923** (2,098,827)	**748,081.42** (209,679.31)	**687,989** (6,880,832)	**87,449.29** (727,370.75)
रूई (क्विंटल में) Lint (In Qntls)	**55,705** (5,898)	**3,862.13** (272.90)	**2,180,316** (14,120,131)		** **2,234,729** (14,070,324)	**14.28** (15.38)	**1,292** (55,705)	**74.80** (3,862.13)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds (In Qntls)	**2,720,752** (160,269)	**31,227.31** (1,902.64)	**** 4,222,674** (26,969,719)		**6,761,946** (24,409,236)	**79,155.26** (281,768.96)	**181,480** (2,720,752)	**2,172.71** (31,227.31)
कुल / Total		**762,460.19** (55,609.61)				**827,250.96** (491,463.65)		**89,696.80** (762,460.19)

II) उपयोग में लाया गया कच्चा माल (100 % देशी)
Raw Material Consumed (100 % Indigenous)

	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	रू. लाख में Rs. In Lakhs
क) कपास का आरंभिक स्टॉक (A) Opening Stock Of Kapas	**2,540,466** (276,706)	**75,346.50** (6,417.14)
ख) कपास की खरीद (B) Purchase Of Kapas	**4,244,438** (44,660,067)	**132,090.59** (1,314,199.13)
ग) अंतिम स्टॉक (C) Closing Stock	**84,558** (2,540,466)	**2,668.54** (75,346.50)
संसाधित कपास Kapas Processed	*** **6,700,346** (42,396,307)	**204,768.55** 1,245,269.77)

III) कपास व्यापार / Cotton Trading

	आरंभिक स्टॉक Opening Stock		खरीद Purchases		बिक्री Sales		अंतिम स्टॉक Closing Stock	
	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs
पूर्ण बंधित गॉठें (संख्या में) F.P Bales (In Nos.)	0 (500)	0.00 (37.32)	0 (8,700)	0.00 (694.83)	0 (9,200)	0.00 (770.40)	0 0	0.00 0.00

नोट : कोष्ठक में दिये गये आकडे गत वर्ष से संबंधित हैं।

* 8052 पूर्ण बंधित गॉठों में, अग्नि में खोयी/क्षतिग्रस्त/चोरी/परिवहन ने खोयी आदि शामिल हैं, उसे पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य हानि मानी जाएगी, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं।

** पूर्ण बंधित गॉठों के लिए खपत हुई रूई का प्रतिनिधित्व करता है तथा 16.88 क्विंटल (7115.72) क्विंटल जो अग्नि में नष्ट हुई है उसके लिए बीमा दावा दायर किया गया हैं।

*** अग्नि में नष्ट 29362.54 क्विंटल (65974.59) क्विंटल कपास शामिल है, जिसके लिए बीमा दावें दायर किया गये हैं।

**** संसाधन हानि का समायोजन करने का बाद

NOTE: Figures In Bracket Relate To Previous Year

* Includes 8052 (21752) F.P. bales lost in fire, damage/ Theft/transit lost etc is being treated as normal loss as followed in previous years for which insurance claims lodged

** Represent lint consumed for FP bales and included 16.88 qtls. (7115.72) qtls. lint lost in fire for which insurance claim lodged.

*** Includes 29362.54 qtls. (65974.59) qtls. Kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

**** After adjusting processing loss.

18. (ख) विदेशी मुद्रा में आय (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार) :
(B) Earnings in Foreign Exchange (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2009-2010	2008-2009
माल के निर्यात पर : Export of Goods on :-		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	Nil	13010.10
सी एंड एफ आधार पर C & F basis	5441.79	3037.24
निर्यात पर निकासी प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges & Exchange difference on Export	9.55	200.26

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार) :

(C) Expenditure in foreign currency (on Cash Basis) (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2009-2010	2008-2009
(i) यात्रा Travelling	3.28	1.41
(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals & Subscription	3.49	6.11
(iii) निर्यात पर कमीशन Commission on export	35.83	26.53
(iv) विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट में विनिमय अंतर Exchange Difference in Packing Credit in Foreign Currency	Nil	359.63

19. आस्थगित कर समायोजन :

लेखा मानक 22 के प्रावधान के अनुपालन में आय पर कर की गणना दि.1.4.2002 से अनिवार्य है । निगम ने कर की गणना की निर्धारण नीति को "देय कर पद्धति" से "कर व्यय पद्धति" में परिवर्तित किया है । 31 मार्च, 2010 को आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं की गणना की गई, इसके परिणामस्वरूप शुद्ध आस्थगित कर देयताएँ 1168.11 लाख रूपये है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

19. DEFERRED TAX ADJUSTMENT

In compliance with the provisions of Accounting Standard 22 on "Accounting for Taxes on Income" being mandatory from 1.4.2002, the company has changed accounting policy for accounting of Taxes on Income from "Tax Payable method" to "Tax Expense method". The Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2010 have been worked out which resulted in Net Deferred Tax Assets of Rs. 1168.11 lakhs as per particulars given below:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	31.3.2010 को As on 31.3.2010	31.3.2009 को As on 31.3.2009
क) आस्थगित कर देयताएँ **a) Deferred Tax Liability**		
मूल्यह्रास के कारण अचल परिसंपत्ति से संबंधित Related to Fixed Asset on account of Depreciation	937.56	967.83
ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति **b) Deferred Tax Asset**		
i) आय-कर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत Disallowance under the Income Tax Act	2000.00	1860.96
ii) संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	103.97	102.25
iii) निवेश मूल्य में घटौती के लिए प्रावधान Provision for diminution in value of Investment	1.70	1.70
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएँ) Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**1168.11**	**997.08**

20. सेग्मेंट रिपोर्टिंग :

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है ।

ख) चूँकि भारत के बाहर बिक्री, कुल बिक्री के 10% से कम है, भौगोलिक सेग्मेंट का रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

ग) व्यवसाय सुविधा के इंटरमिक्स स्वरूप को देखते हुए अन्य सेग्मेंटल जानकारी निश्चित करने योग्य नहीं है ।

21. आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 के अनुसार कंपनी ने निश्चित किया है कि वर्ष के दौरान अपनी अचल अस्तियों को कोई हानि नहीं हुई है ।

20. Segment Reporting:

a) The company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk & returns, this is the only reportable business segment.

b) Since the sales outside India is less than 10% of the total sales, Geographical segment is not reported.

c) In view of Intermix nature of business facility other segmental information is not ascertainable.

21. Pursuant to AS-28 issued by ICAI Corporation has determined that there is no Impairment Loss of it's Assets during the year.

22. संबंधित पार्टी की घोषणाः
Related Party Disclosure

1) संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. / Sl. no.	संबंधित पार्टी का नाम / Name of related party	संबंध / Relationship
1.	श्री सुभाष ग्रोवर Shri. Subhash Grover	मुख्य प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel
2.	श्री एन.किरूबानिथी Shri. N. Kirubanithi	
3.	श्री सी.एस.तेवतिया Shri. C. S. Teotia	

2) वर्ष के दौरान सौदे
Transactions during the year :

(रूपये लाख में)
(Rs. in lakhs)

क) A.	पारिश्रमिक Remuneration	57.70 (62.27)
ख) B.	शेष बकाया ऋण Balances outstanding Loans	0.27 (0.43)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष के हैं)
Figures in brackets relate to previous year.

23. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनः निर्धारित / बताया गया है ।
Previous year's figures have been recast/restated wherever necessary.

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
(सुभाष ग्रोवर)	(सी.एस. तेवतिया)	(आर.के. केडिया)	(मनोज बजाज)
(Subhash Grover)	**(C.S. Teotia)**	**(R.K. Kedia)**	**(Manoj Bajaj)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**निदेशक (विपणन)**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)**
Chairman-cum-Managing Director	**Director (Marketing)**	**Director (Finance)**	**Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)**

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते लूनकर एंड कंपनी	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Loonker & Co.	**For Prem Gupta & Co.**
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल
Chartered Accountants	Chartered Accountants
sd/-	**sd/-**
(एस.सी.लूनकर)	**(राजन उप्पल)**
(S. C. Loonker)	**(Rajan Uppal)**
भागीदार	भागीदार
Partner	Partner
एम.नं.10135	एम.नं.097379
M. No. 10135	M. No. 097379
एफआरएन. 000172 डब्ल्यू	एफआरएन. 000425 एन
FRN 000172W	FRN 000425N

दिनांक : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली

Date : 20-07-2010
Place : New Delhi

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र का अनुलग्नक
Annexure to the Balance Sheet for the year ended 31st March 2010

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2010को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2009 रूपये Rupees	रूपये Rupees
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह **(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
कर के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net profit before taxation and extraordinary items	**1,298.75**		**10,774.26**	
समायोजन के लिए :- Adjustment for : -				
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्ति Assets write off	0.11		-	
आयकर वापसी के लिए अतिरिक्त प्रावधान Excess Provision for Income Tax written back	(22.13)		3.88	
संदिग्ध ऋण / अग्रिम (शुद्ध) के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts/advances (Net)	-		-	
मूल्यह्रास Depreciation	232.63		230.27	
पूर्व अवधि के समायोजन Prior period adjustment	(39.89)		(30.71)	
प्राप्त ब्याज Interest received	(137.89)		(965.51)	
प्रदत्त ब्याज Interest paid	29,881.44		21,235.46	
निवेशों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of investments	-		(77.15)	
आस्थियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) (Profit)/Loss on sale of assets	2.53		6.91	
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ Operating profit before working capital changes		**31,216.15**		**31,177.41**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustments for Changes in Working Capital				
मालसूची में कमी / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Inventories	744,965.19		(775,745.65)	
देनदारों में घटौती / (वृद्धि) Decrease/ (Increase) in Debtors	3,494.68		(3,467.71)	
ऋण और अग्रिमों में घटौती / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Loans and advances	(31,751.94)		(88,352.95)	

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2009	
	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees
प्रावधान Provision	(1,534.43)		2,237.29	
लेनदारों में वृद्धि /(घटौती) Increase/(decrease) Creditors	(159,648.77)		163,043.07	
कार्यकारी पूँजी में शुद्ध परिवर्तन **Net Changes in working capital**		**555,524.72**		**(702,285.95)**
परिचालन से (करपूर्व) सृजित नकद **Cash Generated from Operations (Before Taxes)**		**586,740.87**		**(671,108.54)**
प्रदत्त कर (शुद्ध वापसी) Taxes Paid (Net of Refund)		(2,579.68)		(3,552.75)
कार्यकारी गतिविधियों से शुद्ध नकद **NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**584,161.19**		**(674,661.29)**
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह **(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
निवेशों की बिक्री पर (शुद्ध) लाभ Profit on sale of investment (Net)	-		77.15	
अचल परिसंपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(244.76)		(153.40)	
परिसंपत्तियों की बिक्री Sale of assets	5.71		17.72	
ब्याज से आय Interest income	137.89		965.51	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद **NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		**(101.16)**		**906.98**
ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी का प्रवाह **(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	(29,881.44)		(21,235.46)	
गत वर्ष के लिए प्रदत्त लाभांश Dividend paid for Last Year	(1,568.81)		(584.98)	
लिया गया ऋण **Loan Borrowed**				
कैश क्रेडिट Cash Credit	(581,542.84)		729,567.84	
विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट Packing credit in foreign currency	-		(2,530.84)	
अल्पावधि ऋण (अरक्षित) Short term loan (unsecured)	-	(612,993.09)	(10,500.00)	694,716.56
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद **NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES**		**(612,993.09)**		**694,716.56**

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2009	
	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि /(घटौती)(क+ख+ग) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		(28,933.06)		20,962.25
नकदी तथा नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents				
वर्ष के प्रारंभ में At the Beginning of the year		30,485.44		9,523.19
वर्ष के अंत में At the End of the year		1,552.37		30,485.44

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 1 से 15 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स
Schedules 1 To 15, Significant Accounting Policies and Notes annexed form part of the accounts

कृत्ते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
(सुभाष ग्रोवर)	(सी.एस. तेवतिया)	(आर.के. केडिया)	(मनोज बजाज)
(Subhash Grover)	(C.S. Teotia)	(R.K. Kedia)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते लूनकर एंड कंपनी	कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Loonker & Co.	For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल	सनदी लेखापाल
Chartered Accountants	Chartered Accountants
sd/-	sd/-
(एस.सी.लूनकर)	(राजन उप्पल)
(S. C. Loonker)	(Rajan Uppal)
भागीदार	भागीदार
Partner	Partner
एम.नं.10135	एम.नं.097379
M. No. 10135	M. No. 097379
एफआरएन. 000172 डब्ल्यू	एफआरएन. 000425 एन
FRN 000172W	FRN 000425N

दिनांक : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली

Date : 20-07-2010
Place : New Delhi

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा का भाग बनाने वाले नोटस)

1. लेखा पद्धति :

क) कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पद्धति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है ।

i) निर्यात और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय के संबंध में विदेशी मुद्रा, चुंगी वापसी में व्यय.

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का समाना कर रहे हैं और उनका बकाया निगम को राशि देने में नियमित नहीं है.

iii) विवादित कर दायित्वों,

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए दावे और उन पर ब्याज,

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य बने हैं,

vi) बीमा दावे, जो बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की है.

ख) वित्तीय विवरणियाँ, ऐतिहासिक लागत पर आधृत है तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का तथा चाटर्ड एकाऊटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन किया गया है ।

2. अचल परिसंपत्तियाँ और मूल्यह्रास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010)

1. System of Accounting:

a. The Corporation follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Corporation;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Claims lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) Income towards interest in regard to Loans & Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

b. The Financial statements are based on historical costs and comply with the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Companies Act, 1956.

2. Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the

पर मूल्यह्रास किया गया है । वैयक्तिक कम लागत की आस्तियों (5,000 रू. से कम के लिए प्राप्त) के लिए प्राप्ति के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) पट्टेवाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है ।

घ) वर्ष के अंत में सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्ति के आधार पर कार्य प्रगति पर बताया गया है ।

ङ) अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर साफ्टवेयर) को तीन वर्षो की अवधि में परिशोधित किया गया है ।

3. निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

4. मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गॉठें/रूई का मूल्यांकन :

i) वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii) समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गांठों के संदर्भ में औसत लागत पर यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति होगी ।

iii) देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदन तथा संविदा की गई) औसतन लागत या संविदागत दर, जो भी कम हो ।

iv) निर्यात के लिए मात्रा के बारे में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि घटाये गए औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक का संविदागत दर पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य

rates and in the manner specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956. Individual low cost Assets (acquired for less than Rs. 5000) are entirely depreciated in the year of acquisition.

c) Leasehold land is being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress are stated on the basis of CPWD certificate received at year end.

e) Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years.

3. Investments:

Long term Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

4. Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at –

i) Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii] Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations if any, is reimbursable by Govt. of India.

iii] Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers)

iv] Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/ realisable value at the close of the year

पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार तथा केन्द्रवार और कपास वर्षवार आकलन करके औसत मूल्य पर किया जाता है ।

घ) यैलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाही जाने वाले मूल्य पर किया गया है ।

ड) जारी न किये गये हैसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदान, गन्नी बैग्स के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया गया है ।

5. प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

6. **गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :**

उपर्युक्त लेखा नीति 4(ख) (iv) के अनुसार, संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि को निर्यात के लिए जबकि उसके लिए संविदा की जाती है । पूर्णबंधित गाँठें /स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/पोतवहन गोदाम तक वहन पर व्यय को संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि को लेखा वर्ष अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए चार्ज नहीं लगाया जाता है ।

7. **कर्मचारी लाभः**

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) पोस्ट एम्प्लायमेंट बेनिफिट

i) पारिभाषित अंशदान योजना

(1.1) अधिवर्षिता :

अधिवर्षिता निधि को अंशदान के लिए प्रावधान, कर्मचारी द्वारा प्रारंभ में बीमांकिक अभ्यर्पित लाभ मूल्य के अनुमान के समकक्ष तथा मूल्यों में मुद्रास्फिति में 10% वार्षिक वृद्धि और डीपीई में मार्गदर्शन के अनुसार किया जाता है ।

since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) Raw material i.e. kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre-wise and cotton year-wise.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

5. Tarpaulins are being written off over a period of three years.

6 **C&F Expenses on Export Bales:**

As per Accounting Policy 4(a) (iv) above, contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of FP bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

7. **Employees' Benefits:**

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit & Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

(1.1) Superannuation:

Provision for contributions to Superannuation Fund is made equivalent to initial actuarial estimation of surrendered value of perquisites by the employees, with 10% annual escalation towards inflation in prices and as per DPE guidelines.

(1.2)भविष्य निधि :

भविष्य निधि को अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में चार्ज किया जाता है ।

ii) पारिभाषित लाभ योजना :

(1.1)उपदान :

कर्मचारियों को उपदान दायित्व के लिए प्रावधान वर्ष के समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

(1.2)छुट्टी नकदीकरण :

छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान वर्ष के समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

iii) बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी है ।

8. उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन :

उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए भौतिक निष्पादन । वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम पर आधारित वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित भौतिक निष्पादन है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद में पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः निगम कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करता है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को डेबिट करता है ।

9. विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों निगम द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे

(1.2) Provident Fund:

Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 and is charged to the profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plans:

(1.1)Gratuity:

Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

(1.2)Leave Encashment:

Provision for leave encashment is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

iii) The actuarial gain/loss is recognized in statement of profit and loss account.

8. Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. The Optimum Productivity Index under the PLI Scheme, therefore, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. It is, therefore, not feasible to make provision for PLI in the same Accounting Year itself. Hence the Corporation follows the practice of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the next Financial Year.

9. Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the

सुपुर्दगी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान बुक की बिक्री एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है ।

10. राजस्व मान्यता :

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा लेखा मानक "राजस्व मान्यता" एएस-9 के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके निगम ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखा है :-

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया राशि पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे हैं और निगम को राशि देने में नियमित नहीं है ।

ii) आरंभ में उन्हें विक्री की गई गाँठों को पुनः बेचने में हुई हानि के लिए चूककर्ता खरीददारों पर दावे और उन पर ब्याज ।

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावें दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चितता होती है ।

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

11. एमएसपी परिचालन में हानि की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र

Corporation provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year. Sales under godown storage facility are booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked and bales lifted during the year.

10. Revenue Recognition:

In conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Corporation defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of-

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Corporation; and

ii) Claims lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them; and

iii) Income towards interest in regard to Loans & Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

11. Reimbursement of losses in MSP operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the

मंत्रालय से संभूति आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

12. आकलनों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभाव डालेगा । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

13. उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वे वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

14. विदेशी मुद्रा के सौदे :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त / देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

15. कराधान :

आस्थगित कराधान :

देयता पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कर के दर पर बुक लाभ और कर के अंतर में समय के कारण कराधान आस्थगित कर दिया गया है ।

आस्थागित कर को मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि प्रुडॅन्स् टाईमिंग डिफरन्स पर, जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्भूत होता है और एक या अधिक परवर्ति अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर

Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

12. Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/materialised.

13. Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

14. Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Profit and Loss Account. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/ payables in foreign currency.

15. Taxation:

Deferred Tax:

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent

आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकती है ।

वर्तमान कर :

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर दायित्व के आधार पर लेखो में वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया है ।

16. परिचालन पट्टे पर :

पट्टे पर व्यवस्था जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता के पास निहित है, के अधार पर परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है ।

17. आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तियों की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है का लेखों में प्रावधान किया है ।

18. सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसका बुक वैल्यू आता है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होती है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नॉमिनल वैल्यु दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी है ताकि संबंधित लागत /हानियों के साथ वह मैच हो सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । एसे अनुदानों को "अन्य आय" के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

19. समाश्रित दायित्व और प्रावधान :

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह

periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Current Tax:

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

16. Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognised in the profit and loss account on a straight line basis.

17. Impairment of Assets:

At each balance sheet an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts.

18. Govt. Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Profit & Loss account to match them with the related costs/ losses, which are intended to be compensated. Such grants are shown separately under 'Other Income'.

19. Contingent Liabilities and Provisions :

The Corporation makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event

संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

समाश्रित दायित्व के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँः-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना /अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का (निपटान) निर्धारित करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।

where the outflow of economic resources is probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a –

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
(सुभाष ग्रोवर)	(सी.एस. तेवतिया)	(आर.के. केडिया)	(मनोज बजाज)
(Subhash Grover)	(C.S. Teotia)	(R .K. Kedia)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते लूनकर एंड कंपनी
For Loonker & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
sd/-
(एस.सी.लूनकर)
(S. C. Loonker)
भागीदार
Partner
एम.नं.10135
M. No. 10135
एफआरएन. 000172 डब्ल्यू
FRN 000172W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants
sd/-
(राजन उप्पल)
(Rajan Uppal)
भागीदार
Partner
एम.नं.097379
M. No. 097379
एफआरएन. 000425 एन
FRN 000425N

दिनांक : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली

Date : 20-07-2010
Place : New Delhi

तुलन-पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण का ब्यौरा
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration No.	1 4 7 3 3	राज्य कोड State Code	1 1
तुलन-पत्र की तारीख Balance Sheet Date	3 1 0 3 2 0 1 0		

II. अवधि के दौरान जुटाई गई पूँजी (राशि हजार रू में)
Capital Raised During The Period (Amount In Rs. Thousands)

सरकारी निर्गम Public Issue	N I L	राईट निर्गम Rights Issue	N I L
बोनस निर्गम Bonus Issue	N I L	निजी प्लेसमेंट Private Placement	N I L

III. निधियों के संग्रहण और अभियोजन की स्थिति (राशि हजार रू. में)
Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)

कुल देयताएँ Total Liabilities	2 3 7 3 1 0 7 5	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	2 3 7 3 1 0 7 5

निधियों के स्रोत
Sources of Funds

प्रदत्त पूँजी Paid-Up Capital	2 5 0 0 0 0	प्रारक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus	3 3 6 4 6 1 5
रक्षित ऋण Secured Loans	1 7 4 7 0 0 0 0	अरक्षित ऋण Unsecured Loans	0 0 0 0 0 0 0
आस्थगित कर दायित्व Deferred Tax Liability	0 0 0 0 0 0		

निधियों का विनियोग
Application of Funds

शुध्द अचल परिसंपत्तियाँ Net Fixed Assets	5 3 4 4 2 2	शुध्द चालू परिसंपत्तियाँ Net Current Assets	2 0 4 2 7 5 9 8
निवेश Investments	1	विविध व्यय Miscellaneous Expenditure	N I L
		संचित हानि Accumulated Losses	N I L

IV. कंपनी का कार्य-निष्पादन (राशि हजार रू. में)
Performance of the Company (Amount In Rs. Thousands)

टर्न-ओवर Turnover	8396075	कुल व्यय Total Expenditure	93782873
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	129875	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	87894
प्रति शेयर आय रू. में Earning Per Share In Rs.	33	लाभांश दर (%) Dividend Rate%	20%

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों, सेवाओ के सामान्य नाम (मुद्रा शर्तो के अनुसार)
Generic Names of Three Principal Products,Service of the Company(As Per Monetary Terms)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	FP COTTON BALES
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	COTTON LINT
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	COTTON SEEDS

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

sd/- **(सुभाष ग्रोवर)** **(Subhash Grover)** **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** **Chairman-cum-Managing Director**	**sd/-** **(सी.एस. तेवतिया)** **(C.S. Teotia)** **निदेशक (विपणन)** **Director (Marketing)**	**sd/-** **(आर.के. केडिया)** **(R.K. Kedia)** **निदेशक (वित्त)** **Director (Finance)**	**sd/-** **(मनोज बजाज)** **(Manoj Bajaj)** **कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)** **Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)**

दिनांक : 20-07-2010
स्थान : नई दिल्ली

Date : 20-07-2010
Place : New Delhi

सार्वजानिक सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए सांचा

सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए टेम्पलेट (सांचा)

विजन विवरणी

मार्गदर्शन विषयः मंत्रालय/विभाग का दीर्घावधि लक्ष्य विजन (दृष्टि) है :

मंत्रालय/विभाग की दृष्टि

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेन्सी के रूप में कार्य करना और देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कपास व्यापार में क्रमिक रूप से मार्केट शेयर बढाते हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्य-कलाप करना ।

मिशन विवरणी

मार्गदर्शन विषय : विजन (दृष्टि) को प्राप्त करने के लिए अल्पावधि संरचना या योजना मिशन है ।

वर्ष के लिए मिशन

1 जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तक पहुँच जायें, तब भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य कार्य, किसी मात्रात्मक सीमा के बिना करना ।

2 देशी और अंतर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप दोनों में, वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए खरीद और बिक्री कार्य करना और क्रमशः मीडियम टर्म में 10% मार्केट शेयर तक पहुँचाने का प्रयास करना ।

3 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घ और अल्पावधि उपाय आरंभ करना, ताकि वस्त्रोद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप गुणवत्तावाली कपास का संसाधन प्राप्त किया जा सके ।

4 धारण और संसाधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा संदूषण-मुक्त कपास की उपलब्धता बढ़ाना ताकि यार्न, फेब्रिक और परिधान में विश्व स्पर्धा का सामना करने के लिए वस्त्रोद्योग की गुणवत्तावाली कपास की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

5 कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका निभाना.

वर्ष के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा अभिचिन्हित लक्ष्य

मार्गदर्शन विषयः अभिचिन्हित लक्ष्यों के बारे में मानदंडयोग्य कार्य-निष्पादन लक्ष्यों के साथ बतायें, जो इन लक्ष्यों के लिए निर्धारित किये गये हैं :

BENCHMARKING EXCELLENCE IN PUBLIC SERVICE DELIVERY (SEVOTTAM)

Template for Service Delivery Statement

Vision Statement

Guidance Text: 'VISION' is the long-term goal of the Ministry/Department

Vision of the Ministry/Department

To act as the Price Support Agency of the Government of India and to undertake commercially viable operations by gradual increase in market share, both in domestic and international cotton trade.

Mission Statement

Guidance Text: 'MISSION' is the short-term strategy or plan for achieving the vision

Mission for the year

1. To take up Price Support Operations on behalf of Government of India, as and when the kapas prices touch the support price fixed by the Government without any quantitative limit;
2. To take up purchases and sales ensuring commercial viability both in domestic and international operations gradually strive to reach 10% market share in medium term.
3. To initiate long and short term measures for modernizing ginning and pressing factories so as to achieve quality processing of cotton to match international standards for the textile industry.
4. To increase the availability of contamination free cotton by encouraging best management practices in handling and processing to meet quality cotton needs of textile industry to face the global competition in yarn, fabrics and made-ups.
5. To carry out role of implementing agency for Mini Missions III and IV of Technology Mission on Cotton.

Objectives for the year identified by the Ministry/ Department

Guidance Text: State the objectives identified along with measurable performance targets that have been set for these objectives:

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2009-10)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	भाग ख - सामान्य मानदंड **PART A - COMMON PARAMETERS**		
I.	**स्थैतिक वित्तीय मानदंड** **Static financial parameters**		**50%**
	(क) (a)	वित्तीय कार्य-निष्पादन आकार Financial performance indicators	
		(i) सकल मार्जिन/टर्नओवर Gross margin/turnover (%)	10
		(ii) परिचालन टर्न-ओवर/ कर्मचारियों की सख्या (रू.लाख में/ कर्मचारी) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	12
	(ख) (b)	वित्तीय-सूचक-आकार Financial indicators – size	
		(i) सकल मार्जिन Gross margins (Rs. in Crores)	8
		ii) सकल बिक्री Gross Sales (Rs. in Crores)	4
	(ग) (c)	वित्तीय रिटर्न-मजदूर Financial Returns – labour	
		(i) पीबीडीआयटी/कुल रोजगार (रू. लाख में/ कर्मचारी) PBDIT/total employment (Rs. Lacs / Employee)	7
		(ii) जोडा गया मूल्य / सकल बिक्री (%) Added value/Gross sales (%)	9
II		**सक्रिय मानदंड (30%)** **Dynamic Parameters (30%)**	
	(i)	**गुणवत्ता / Quality** संदूषणमुक्त पूर्ण बंधित गाँठें (खरीद का %) Contamination free FP bales (% of procurement)	3
	(ii)	जिनिग तथा प्रोसेसिंग प्रति गाँठ (दर रू. में) Ginning & Processing per bale (Rate in Rs.)	2
	(iii)	बिक्री तथा संवितरण व्यय प्रति गाँठ एक्स गोदाम आधार पर (दर रू. में) Selling & Distribution exp. per bale ex-godown basis (Rate in Rs.)	2

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2009-10)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	(iv)	**ग्राहक संतुष्टि / Customer Delight**	
		पिछले वर्ष की तुलना में 50% या उससे अधिक खरीद करने वाले वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखना. Retention of existing customers purchasing 50% or more compare with last year	2
		संविदा निष्पादन % (कुल बिक्री का प्रतिशत गॉठों में) Contract performance % (percentage of total Sales in bales)	2
		गुणवत्ता शिकायत (कुल बिक्री का % गॉठों में) Quality complaints (% of total sales in bales)	2
		खरीद व्यय का अध्ययन तथा मंडल को रिपोर्ट Study on procurement expenses and report to the Board	3
	(v)	**मासंवि** **HRD**	
		प्रशिक्षण, प्रशासन, सतर्कता, वित्त, विपणन, संगणक, कपास परीक्षण आदि (कर्मचारियों की संख्या) Training, Admn, Vigilance, Finance, Marketing, Computer, Cotton Testing etc (No. of employees)	
		(i) कार्यपालक Executive	2
		(ii) गैर-कार्यपालक Non-executive	2
	(vi)	**परियोजना कार्यान्वयन** **Project Implementation**	
		(क) वर्ष 2009-10 के दौरान संविदा खेती परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टर में) (a) Area covered under contract farming projects handled during the year 2009-10 (in hectares)	3
		(ख) (i) (विविधता वायदा एकीकरण - महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम तथा आ.प्र. राज्य भंडारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम आरंभ के लिए लक्ष्य तारीख के साथ निदेशक मडंल से अनुमोदन प्राप्त करना। (b) (i) Diversification/forward integration - Entering of JV with Maharashtra State Warehousing Corporation and AP State Warehousing Corporation with target date for approval by Board of Director	4
		(ii) गोदामों का संयुक्त उद्यम आधार निर्माण कार्य प्रारंभ करना। (ii) Start of construction of JV godowns on ground.	3

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2009-10)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
		भाग ख - विशिष्ट मानदण्ड **PART B - SPECIFIC PARAMETERS**	
	I	**विशिष्ट क्षेत्र (10%)** **Sector Specific (10%)**	10%
		(i) भाकनि के अंतर्राष्ट्रीय टर्न-ओवर में वृद्धि (पिछले वर्ष की मात्रा के आधार पर %) Increase in CCI's International trade turnover [in quantitative terms over that of last year (%)]	4
		(ii) दिनांक 30.9.2009 को न बेचे गए स्टॉक की माल सूची (कपास मौसम खरीद का %) Inventory unsold stock as on 30.09.2009 (% of cotton season purchases)	6
	II.	**उद्यम के विशिष्ट तथा कार्य कुशलता मानदण्ड (%)** **Enterprise Specific & Efficiency Parameters (%)**	10%
		(i) कपास की जि एवं प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार - दिनों की संख्या Improvement in processing cycle for G&P of kapas – No.of days	5
		(ii) वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित कि एवं प्रे. फैक्टरियो की खंख्या No. of G&P factories certified by Textile Committee	5

ग्राहक समूह तथा मंत्रालय / विभाग से उनकी अपेक्षाएं

मार्गदर्शन विषयः ग्राहक समूहों को उनकी अपेक्षाओं के साथ अभिचिन्हित करें

CLIENT GROUPS AND THEIR REQUIREMENTS FROM THE MINISTRY/DEPARTMENT

Guidance Text: Identify client groups along with their requirements

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
1	कपास किसान Cotton Farmers	1. कपास के लिए एपीएमसी बाजार में की जाने वाली प्रत्येक दिन की नीलामी में सीसीआई प्रतिनिधि की सहभागिता Participation of CCI representative in daily auctions conducted in APMC market yards for kapas; 2. कपास का समय पर तुलन Timely weighment of Kapas. 3. प्रस्तावित कपास की गुणवत्ता तथा ग्रेड के अनुसार कपास मूल्य का भुगतान किया जाना Kapas price to be paid with reference to quality and grade of cotton offered. 4. कपास के लिए समय पर भुगतान Timely payment for the Kapas. 5. किसानों द्वारा की गई कोई शिकायत तथा समाधान Any grievances of the farmers to be addressed and solved.
2	खरीददार मिलें - देशी मिलें Buyer-mills – domestic mills	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades. 4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना Timely offering of bales, after confirmation of sale.

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		5. खरीददार के अनुरोध के अनुसार सुपुर्दगी आदेशों को जारी करते हुए समय पर गाँठों का प्रेषण. Timely Dispatch of bales including issuance of delivery orders as per the request of the buyers. 6. स्पॉट पर प्रत्येक गाँठ का 100% वजन करना । Carry out 100% bale to bale weighment at spot. 7. गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत संतोषजनक सेवाएं । Satisfactory services under Godown Storage Facility. 8. बीजकों, डेबिट नोट्स आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 9. लेखों के निपटान तथा आवश्यक बिक्री कर फॉर्मस् की प्रस्तुती के बाद यदि कोई हो, तो अतिरिक्त राशि को समय पर वापस करना Timely settlement of account and refund of excess money, if any, subject to submission of required sales tax forms. 10. गुणवत्ता तथा वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.
3	खरीददार मिलें- अंतर्राष्ट्रीय खरीददार Buyer-mills – international buyers	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन । Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति । Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन । Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades from time to time.

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना । Timely offering of bales, after confirmation of sale. 5. खरीददारों से एल/सी तथा पोतवहन के अनुदेश की प्राप्ति पर गाँठों का समय पर पोतवहन. Timely shipment of bales on receipt of L/C and shipping instructions from buyers. 6. पोतवहन के पूर्व तुलन नियंत्रक द्वारा वजन करना । Carry out weighment by weighment controller before shipment. 7. बीजक, डेबिट नोट आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 8. समय पर लेखों के निपटान तथा अतिरिक्त राशि की समय पर वापसी, यदि कोई हो Timely settlement of account and refund of excess money, if any. 9. गुणवत्ता, वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.

स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श

CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS

मार्गदर्शन विषयः चार्टर बनाने के लिए तथा ऊपर बताए गए उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शामिल/संपर्क में स्टेकहोल्डर्स के ब्यौरे दें.

Guidance Text: Give the details of stakeholders' involved/contacted in charter formulation and for arriving at the above stated Objectives/Targets

चार्टर टास्क फोर्स का गठन

Constitution of Charter Task Force

	पदनाम **Designation**	**जिनसे परामर्श किया गया उन संगठनों/व्यक्तियों के ब्यौरे** **Details of individuals/institutions consulted**
1.	विभाग के अधिकारी Department Officials	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार । Joint Secretary, Ministry of Textiles, Government of India.
2.	अन्य संबधित विभागों से प्रतिनिधि Representative from other concerned departments	टास्क फोर्स सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ है । Task force members who are experts drawn from various fields.
3.	सेवा/उत्पाद की आपूर्ति Supplier of Services/Products	ला.न. NA
4.	गैर-सरकारी संगठन NGOs	ला.न. NA
5.	आरडब्ल्यूएज RWAs	ला.न. NA
6.	यूनियनस Unions	ला.न. NA
7.	नागरिक/प्रतिनिधियों Citizens/Representatives	ला.न. NA
8.	अन्य कोई Any Other	निगम के वरिष्ठ प्रबंधन की टीम Senior Management team of the Corporation.

आयोजित की गई परामर्श बैठकें / लिया गया परामर्श

CONSULTATION MEETINGS CONDUCTED/CONSULTATIONS CARRIED OUT

1.	समझौता ज्ञापन के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठकें । Meetings conducted with the officials of the Ministry of Textiles, Govt of India while finalizing the performance targets for MoU.	समझौता ज्ञापन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में टास्क फोर्स तथा सीसीआई प्रबंधन टीम ने उनके साथ परामर्श किया गया तथा उसके पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया । Consultations with Task Force and CCI Management Team in the presence of Ministry officials for finalization of MoU targets and then duly approved by the Board of Directors.

चार्टर की विशेषताएं तथा प्रचार - प्रसार
CHARTER CHARACTERISTICS AND DISSEMINATION

मार्गदर्शन विषयः क्या चार्टर में नीचे दी गई विशेषताएं है तथा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लायी गयी पद्धति है बताएं (हां/नहीं)

Guidance Text: Indicate whether the characteristics given below are present in the charter and method of dissemination utilized (Yes/No)

भाषा **Language**	**सरलता** **Simplicity**	**उपयुक्तता** **Adequacy**
स्थानीय भाषा (नहीं) Local Language (No)	सरणीबद्ध रूप से (नहीं) Tabular Form (No)	समय के मानदंड (हाँ) Time Norms (Yes)
हिंदी (हाँ) Hindi (Yes)	सरल भाषा (हाँ) Simple Language (Yes)	आवश्यक दस्तावेज (नहीं) Documents Required (No)
अंग्रेजी (हाँ) English (Yes)	संक्षिप्त विवरणी (हाँ) Brief Statements (Yes)	अपवाद Exceptions
	संदर्भित ब्यौरे (हाँ) Reference to Details (Yes)	शुल्क/प्रभार (नहीं) Fees/Charges (No)
		उपचारी उपाय (हाँ) Remedial Measures (Yes)
		अन्य कोई (नहीं) Any Other (No)

प्रचार-प्रसार की पद्धति
Methods for Dissemination

1.	**बैठकें, संगोष्ठी तथा सम्मेलनः** **Meetings, Seminars and Conferences**: मौसम के दौरान नियमित रूप से किसानों की जागरूकता बैठकें, संगोष्ठी आदि आयोजित की जाती है । उसी प्रकार, नियमित रूप से खरीददारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती है । Farmers' Awareness Meetings, Seminars etc., are being arranged at regular intervals during the season. Similarly, meetings with buyers are arranged regularly.
2.	**समाचार-पत्रों में विज्ञापनः** **Newspaper advertisements**: अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं । Newspaper advertisements are issued in local languages also in addition to English and Hindi
3.	**पत्रक / पुस्तिकाः** **Leaflets / Brochures**: कपास किसानों को स्थानीय भाषाओं में वितरित किया जाता है । Distributed to the cotton growers in local languages.
4.	पत्रक, पुस्तिका के अलावा, एपीएमसी मार्केट यार्ड में नोटीस बोर्ड हिंदी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाता है । Besides leaflets, brochures, Notice Boards at various APMC market yards in Hindi and local languages are being displayed.
5.	दस्तावेजों में मुद्रित जानकारी ग्राहकों को फैक्स/ई-मेल /वेब-साईट पर प्रदर्शित करते हुए दी जाती है । Information printed in documents given to customers - by way of Fax/e-mails/display on website.
6.	जागरूकता बैठकों/किसान मेलों के मामले में सिटीजन इंटरफेस प्वाईंट पर जनता को संबोधित करने की प्रणाली. Public Address System at Citizen interface points in case of awareness meetings / Kisan Melas.
7.	अन्य कोई - लागू नहीं Any other: N.A.

फीड बैक प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधन
Means Available for obtaining feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या नीचे बताए गए उपाय उपलब्ध हैं. उपयोग में लाए गए हैं तथा क्या इस संबंध में डीएआरपीजी मार्गदर्शन का अनुपालन हो रहा है ।

Guidance Text: Indicate whether the means indicated below are available /used and whether DARPG guidelines regarding these are being followed

संख्या No.	वे संसाधन जिनके द्वारा विभाग फीड-बैक प्राप्त करता है, हाँ/नहीं Means by which Department obtains feedback (Yes/No)	डीएआरपीजी मार्गदर्शन (हाँ / नहीं / ला.न.) DARPG Guidelines (Yes/No/NA)
1.	ग्राहकों /नागरिकों द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया. Written Communication handed personally by clients/citizens	हाँ Yes
2.	पोस्ट/कुरियर द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार Written Communication through Post/Courier	हाँ Yes
3.	टेलीफोन Telephone	हाँ Yes
4.	वैयक्तिक भेंट द्वारा मौखिक रूप से Verbal through Personal Visit	हाँ Yes
5.	वेब साईट Website	हाँ Yes
6.	कार्यशाला, संगोष्टि तथा सम्मेलन Workshops, Seminars and Conferences	हाँ Yes
7.	शिकायत/सुझाव बॉक्सेस Complaint/Suggestion Boxes	हाँ Yes
8.	अन्य कोई Any Other	ला.न. NA

फीड-बैक का रिकार्डिंग तथा विश्लेषण

Recording and analyzing feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या फीड-बैक वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया विद्यमान है तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम दें

Guidance Text: Indicate whether there exists a process for classification of feedback and give the results obtained from this process

फीडबैक वर्गीकरण के लिए कोई प्रक्रिया है (हा / नहीं)

IS THERE A PROCESS FOR CLASSIFYING FEEDBACK (YES/NO)

निम्न प्रकार की सूचना इस विधि में शामिल है

DOES THIS PROCESS COVER THE FOLLOWING COMMUNICATION TYPES

	सूचना का प्रकार **Communication Type**	**बताएं हाँ / नहीं** **State Yes/No**
1.	सुझावों Suggestions	हाँ Yes
2.	शिकायत Grievances	हाँ Yes
3.	प्रशंसा Compliments	हाँ Yes
4.	प्रश्न Queries	हाँ Yes

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में फीड-बैक के विश्लेषण के बाद संक्षिप्त में बताएँ कि ऐसे कौन से शिकायतें-उन्मुख क्षेत्र हैं, जहाँ प्रकिया में कोई परिवर्तन तथा / या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है.

After analyzing feedback in each of the above categories, briefly state which are the grievance prone areas requiring process changes and/or additional outlays

फीड-बैक ग्राहकों से प्राप्त करने की विद्यमान पद्धति संतोषजनक कार्य कर रही है तथा प्रकिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

The present system of getting feedback from clients is working satisfactorily and does not require any process changes.

शिकायत निवारण के लिए मानदंड
Norms for Grievance Handling

मार्गदर्शन विषयः आवेदक को पावती, सुधार तथा अंतरिम/अंतिम उत्तर के लिए समय मानदंड (यदि निर्धारित है) बतायें ।
Guidance Text: Indicate time norms (if decided) for acknowledgement, redressal and interim/final reply to petitioner

शिकायत का स्तर Grievance stage	विद्यमान समय मापदंड (हाँ/नहीं) Time Norm present (Yes/No)	संबंधित समय मापदंड Relevant Time Norm
शिकायत की पावती Acknowledgement of Grievance	हाँ Yes	तत्काल Immediate
शिकायत का निवारण Redressal of complaints	हाँ Yes	समय पर Timely
अंतरिम / अंतिम उत्तर Interim / Final Reply	हाँ Yes	समय पर Timely

उद्देश्यों की उपलब्धि
Achievement of Objectives

मार्गदर्शन विषयः विशिष्ट उद्देश्यों तथा कार्य निष्पादन लक्ष्य के साथ उनके लिए आवश्यक कार्रवाई तथा / योजना बतायें .
क्या प्रत्येक उद्देश्य के लिए कार्य निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया गया । - हाँ
Guidance Text: Mention specific objective and Performance Target along with the action needed/planned for them
Have performance target been achieved for each objective: Yes

मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक लक्ष्य हेतु नीचे दिए अनुसार बताएँ
State the following for each objective set by the Ministry/Department is the previous year

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2008-09 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2008-09	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
I	**स्थैतिक वित्तीय पैरामीटर्स (50%)** **Static Financial Parameters (50%)**					
क (a)	वित्तीय संकेतक Financial Indicators					
(i)	सकल मार्जिन/टर्न ओवर (%) Gross Margin/Turnover (%)	6.95	6.48	12	4.375	0.53
(ii)	परिचालन टर्न-ओवर/कर्म.की संख्या (लाख रू./कर्म) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	165.60	411.22	10	1	0.10

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2008-09 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2008-09	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
(ख) (b)	वित्तीय संकेतक **Financial Indicators**					
(i)	सकल मार्जिन (करोड रू.में) Gross Margin (Rs.in crores)	63	322.40	8	1	0.08
(ii)	सकल बिक्री (करोड रू.में.) Gross Sales (Rs.in crores)	1920	4972.20	4	1	0.04
(c)	वित्तीय रिटर्न-श्रम **Financial Returns – Labour**					
(i)	पीबीडीआईटी/कुल रोजगार (लाख रू./कर्म.) PBDIT/Total employment (Rs.lakhs/employee)	5.63	29.96	7	1	0.07
(ii)	वर्धित मूल्य/सकल बिक्री (%) Added Value/Gross Sales (%)	1.69	-9.42	9	5	0.45
II	सक्रिय पैरामीटर्स (30%) **DYNAMIC PARAMETERS (30%)**					
(i)	गुणवत्ता **Quality** संदूषण मुक्त पू.बं.गॉठें (%) (खरीद का प्रतिशत) Contamination free FP bales (%) (Percentage of procurement)	53	60	4	1.71	0.0684
(ii)	ग्राहकों की संतुष्टी **Customer Delight**					
	पिछले वर्ष की तुलना में 50% या उससे अधिक खरीद करने वाले वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखना.* Retention of existing customers purchasing 50% or more compared with last year (%)*	82	78.46	4	3.86	0.1544
	संविदा कार्य निष्पादन प्रतिशत (गॉठों में कुल बिक्री का %) Contract performance percentage (% to total sales in bales)	99	99.68	3	2.32	0.0696
	गुणवत्ता शिकायतें (गॉठों में कुल बिक्री का %) Quality complaints (% of total sales in bales)	1	0.045	2	1	0.02
	*विद्यमान खरीददार, जो लगातार पिछले दो वर्षों से खरीद कर रहे हैं. existing buyers are those who are buying for the last two years continuously.					

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2008-09 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2008-09	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
(iii)	**मासंवि प्रशिक्षण - संगणक, कपास परीक्षण तथा संसाधन (कर्मचारियों की संख्या) HRD Training-computer, Cotton Testing & Processing (No.of employees)**					
	i कार्यपालक Executives	20	28	2	1	0.02
	ii गैर-कार्यपालक Non-executives	57	56	3	3.33	0.10
(iv)	**परियोजना कार्यान्वयन Project Implementation**					
क. (a)	वर्ष 2008-09 के दौरान पहले से मंजूर में से पूर्ण किए गए मार्केट यार्डस् विकसित करने की परियोजनाओं की संख्या. No of projects of development of market yard which will be completed during 2008-09 out of already sanctioned.	25	39	2	1	0.02
(ख) (b)	वर्ष 2008-09 के दौरान पहले से मंजूर परियोजनाओं में से पूरी की जाने वाली जि.एवं प्रे. फैक्टरियों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं की संख्या. No. of projects of modernization of G&P factories which will be completed during 2008-09 out of the already sanctioned project	150	150	2	3	0.06
ग. (c)	वर्ष 2008-09 के दौरान संविदा खेती की परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टर्स में) Area covered under contract farming projects handled during the year 2008-09 (in hectares)	35000	46651	3	1	0.03
(v)	कपास/वायदा एकीकरण के मूल्य जोड़ना. Adding to the value of cotton / forward integration	31.10.08	20.08.08	2	1	0.02
(vi)	न्यूनतम समर्थन मूल्य के घटते परिचालन तथा भारत में कपास व्यापार की प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए सीसीआई की गतिविधियों की पुनः संरचना. Restructuring of CCI's activities for remaining competitive in business in view of diminishing MSP operations and entry of MNCs in Cotton Trading in India	31.10.08	20.08.08	2	1	0.03

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2008-09 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2008-09	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
	भाग ख - विशिष्ट पैरामीटर्स **PART B – SPECIFIC PARAMETERS**					
I	**विशिष्ट क्षेत्र (10%)** **SECTOR SPECIFIC (10%)**					
(i)	बाजार मूल्य के ऊपर बिक्री की उगाही % Sales realization over market price %	2	3.14	4	1	0.04
(ii)	पिछले वर्ष से खरीद में वृद्धि (%) Increase in purchases over last year (%)	10	800.71	2	1	0.02
(iii)	उसी वित्तीय वर्ष में की गई खरीद में से रूई की गाँठों की बिक्री (%) Sale of cotton bales out of purchases made within the same financial year (%)	47.50	16.47	2	5	0.10
(iv)	सीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टर्नओवर में पिछले वर्ष से वृद्धि(%) Increase in CCI's International trade turnover over that of last year (%)	19.05	10.87	2	5	0.10
II	**उद्यम विशिष्ट कार्य तथा दक्षता पैरामीटर्स (10%)** **ENTERPRISE SPECIFIC & EFFICIENCY PARAMETERS (10%)**					
(i)	कपास की जि एवं प्रे के लिए संसाधन चक्र में सुधार दिनों की संख्या Improvement in processing cycle for G&P of kapas – No. of days	24	24	4	3	0.12
(ii)	ऑप्टीमाइजेशन संसाधन चक्र के अध्ययन पूरा करना. Completion of study for optimization of processing cycle	31.10.08	19.6.08	3	1	0.03
(iii)	दिनांक 30.9.2008 को न बेचे गए माल की सूची (कपास मौसम की खरीद का प्रतिशत) Inventory unsold stock as on 30-9-2008 (% of cotton season purchases)	15	0	3	1	0.03
	कॉम्पोझिट स्कोर Composite score					2.24

भाग V समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना तथा मॉनिटरिंग
PART V – ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION & MONITORING OF THE MoU

क्र.सं. Sl No	ब्यौरे Particulars	देय तारीख Due date	वास्तविक तारीख Actual date
1	वर्ष 2009-10 के लिए प्रशा.मंत्रालय/विभाग के साथ यथोचित विचार विमर्श के बाद समझौता ज्ञापनं मसौदा समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of draft MoU for 2009-10 after due discussion with Adm. Ministry/Department.	30 नवंबर, 2008 से पहले Before 30th November 2008	27 नवंबर, 2008 27th November 2008
2	वर्ष 2008-09 के लिए समझौता ज्ञापन समय पर हस्ताक्षर करना Timely signing of MoU for the year 2008-09	31 मार्च, 2008 तक By 31st March 2008	19 मार्च, 2008 19th March 2008
3	वर्ष 2008-09 के लिए लेखा परिक्षित आंकडों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of Performance Evaluation Report (composite score) for 2008-09 MoU on the basis of audited data	31 अगस्त, 2009 तक By 31th August 2009	29 अगस्त, 2009 29th August 2009

वास्तविक कार्य निष्पादन **Actual Performance**	**समझौता ज्ञापन कम्पोजिट स्कोर 2.24 : बहुत अच्छा** **MoU composite score 2.24: Very Good**
लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण (यदि वास्तविक कार्य निष्पादन मेल नहीं खाता/ कार्य निष्पादन लक्ष्य को पार किया है) Reasons for not achieving (if actual performance doesn't match/exceed performance target)	ला.न N.A.
कार्रवाई की आवश्यकता/योजनाबद्ध Action Needed/Planned	--
सीखना Learning	--

सीखे हुए पाठ के आधार पर कार्य
Initiatives based on lessons learnt

मार्गदर्शन विषयः उपर्युक्त सीख के आधार पर किए गए विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें
Guidance Text: Mention specific initiatives undertaken based on learnings above

	मानदंडो को बनाने/सुधारने तथा उनकी उपलब्धि के लिए किए गए कार्य Initiatives planned for Setting/Improving standards and achieving them
1.	आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के एसडबल्यूसी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना बनाने के लिए कदम उठाए गए है. Steps initiated for exploring joint venture projects with SWCs of AP and Maharashtra.
2.	कपास की जिनिंग एवं प्रेसिंग हेतु संसाधन चक्र कम करने के लिए अध्ययन आयोजित किया गया. Study conducted to reduce processing cycle for ginning and pressing of kapas

नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के लिए निरंतर संपर्क रखना.
Tracking Citizen/Client Satisfaction

मार्गदर्शन विषयः स्टेकहोल्डर संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया हो, तो उल्लेख करें तथा विश्लेषण के पश्चात मामलों को संक्षिप्त में बताएं .
Guidance Text: Mention if there is a process to determine stakeholder satisfaction and briefly describe the issues after analysis

क्या नागरिक/ग्राहक संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया है. Is there a process in place to track Citizen/Client satisfaction		हाँ/नहीं Yes/No
यदि हाँ, तो क्या निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है If yes, state whether it incorporates the following indicators		
क्र. No.	नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के संकेतक Indicators of Citizen/Client Satisfaction	संकलित (हाँ/नहीं) Compiled (Yes/No)
1.	समाचार-पत्र रिपोर्टस Newspaper Reports	हाँ Yes
2.	निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणी Inspection Report Comments	हाँ Yes
3.	वरिष्ठ अधिकारी दौरा टिप्पणी Senior Officer Visit Comments	हाँ Yes
4.	ग्राहक सर्वेक्षण संकेतक Client Survey Indicators	हाँ Yes
5.	अन्य कोई Any Other	
उपर्युक्त पद्धति दारा अभिचिन्हित विषयों को संक्षिप्त में बताएं Briefly state the issues identified by the above process		

उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा अभिचिन्हित मामलों को संक्षिप्त में बताएं

क्षमता

1. निगम के पास बहुत अनुभवी कार्यपालक तथा क्षेत्रीय कर्मचारी है.
2. सभी कपास उत्पादक राज्यों में 270 खरीद केन्द्रों के परिचालन का अखिल भारतीय नेट-वर्क है.
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य एजेन्सी होने के कारण, न्यूनतम संरचना रखी गयी है तथा उसी का उपयोग वाणिज्यिक खरीद के लिए किया जाता है.
4. राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी के रूप में निगम बड़ी मात्रा में कपास की सभी किस्मों /ग्रेडस की आपूर्ति कर सकता है.
5. निगम अपने मिल खरीददारों को गोदाम सुविधा भी देता है, ताकि प्रत्येक गाँठ का प्रबंधन किया जा सके तथा परिवहन अवधि से बचा जा सके.
6. "गुणवत्तावाली कपास का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता" के रूप में नाम कमाया है.
7. खरीददारों को बाजार आसूचना का नियमित रूप से फीड-बैक देता है, उसे व्यापार में बदलता है.
8. कपास की खरीद से पूर्णबंधित गाँठों की बिक्री तक, अपने सभी कार्य-कलापों (परिचालन) में पारदर्शिता रखता है.
9. बिक्री पूर्व तथा बाद में प्रभावी सेवा ने निगम के टर्न-ओवर को प्रति वर्ष बढ़ाने में सहायता दी है.

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रः

1. अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रूई का अनुमान, कमियाँ, कपास बिनौले, विविध आदि सभी पहलुओं की समीक्षा.
2. प्रेस्ड से सुपुर्दगी वजन में कमी को नियंत्रित करना तथा घटाना.

अन्य कोई महत्वपूर्ण मामलाः

1. कपास की देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति के साथ-साथ उन सभी कारणों को मॉनिटर करना, जो कपास की मांग तथा मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं ।
2. निगम के पास उपलब्ध कपास की मालसूची को मॉनिटर करना.
3. निधि की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता को मॉनिटर करना.

Briefly state the issues identified by the above process

Strengths

1. Corporation has got well experienced staff and executives;
2. All India network with operations at more than 270 procurement centers in all the cotton growing States;
3. As MSP agency, maintaining bare minimum infrastructure and the same is used for commercial operations;
4. As the national level agency, Corporation is in a position to supply all varieties/grades of cotton in bulk;
5. Corporation is also extending the Godown Storage Facility to its mills buyers to enable bale-to-bale management and also save on in transit period;
6. Earned a reputation of “dependable supplier of quality cotton”.
7. Regular feed back to the buyers on marketing intelligence, translates into business;
8. Full transparency is maintained in all its operations, right from procurement of kapas to sale of FP bales.
9. Effective pre-and post sales services have helped in increasing the turnover of the corporation from year to year.

Areas requiring Improvement

1. Review of all aspects of budgeting lint, shortages, cotton seed, miscellaneous results for obtaining optimum results
2. Controlling and mitigating shortages in press to delivery weight.

Any other significant Issues

1. Monitoring of domestic & international cotton price trend as well as factors that may influence the price behaviour and demand of cotton;
2. Monitoring the inventory level of cotton with the Corporation;
3. Monitoring availability of funds and its requirements.

नागरिक/ग्राहक फोकस तथा संतुष्टि में सुधार लाना.

मार्गदर्शन विषयः स्टेक होल्डर संतुष्टि के विश्लेषण से अभिचिन्हित क्षेत्रों में किए गए उपायों को संक्षिप्त में बताएं :

क्र	उक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए किए गए उपाय
	ग्राहकों से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर, आगामी वर्ष के लिए विपणन नीति बनाने/सुधारने के लिए आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं।

कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करना.

मार्गदर्शन विषय : मंत्रालय / विभाग में क्षमता बढ़ाने के लिए जा रहे प्रयत्नो के बारे में केंद्रित क्षेत्रो तथा प्राप्त परिणाम सुधार के बारे में बताये.

Improving Citizen/Client Focus and satisfaction

Guidance Text: Briefly state the measures planned in areas identified from the analysis of stakeholders' satisfaction

No.	Measures for making improvement in above identified areas
	Based on feedback received from the clients, necessary decisions are taken to modify/ formulate the marketing strategies for the ensuing year.

Improving Employees Capabilities

Guidance Text: Briefly state the capability building efforts being made in the Ministry/Department along with the areas focused and improvements resulted

प्रशिक्षण

ब्यौरे (अवधि,स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
प्रबंधकीय कुशलता विकसित करने के लिए कार्यपालक तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक	कुशल मानव शक्ति की संख्या में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर निर्णय हुए है।

Trainings

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Training is imparted to employees as well as executives for developing managerial skills.	Executives/ Non-executives	Number of skilled manpower has improved, which has resulted in better decision-making.

परामर्श

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
निगम के परिचालन में दिन प्रति दिन सुधार के लिए सुझाव हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है ।	परिचालन मामले	इस प्रकार की बैठकें पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं ।

Counseling

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Review meetings are held from time to time to suggest the improvement in the day-to-day operations of the Corporation and achieve said targets/goals.	Operational matters	Such meetings are quite effective .

अन्य साधन

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि) Details (Duration, Location etc.)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों Focus Area/s	उपलब्धि में सुधार Improvement Achieved
तिमाही - शाखा स्तर पर संयुक्त प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है - छःमाही तिमाही मुख्यालय में केन्द्रीय संयुक्त प्रबंधन परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं-	परिचालन क्षेत्र	कर्मचारियों में जागरूकता निर्माण करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन में भाग लेना ।

Other Tools

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Joint Management Council meetings are held at Branch Offices- quarterly Central Joint Management Council meetings are held at HO – Half yearly.	Operational areas	To create awareness amongst all employees and have participative management at different levels.

न्यूनतम संरचना की आवश्यकता

मार्गदर्शन विषयः जहाँ आवश्यक हो उपलब्ध संरचना को संक्षिप्त में बताए, क्या मंत्रालय/ विभाग ने इस संबंध में मार्गदर्शन जारी किए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्रवाई योजना के साथ ध्यान देने योग्य आवश्यक क्षेत्र बतायें ।

Minimum Infrastructure Requirement

Guidance Text: Briefly state whether required infrastructure is available, whether Ministry/Department has issued guidelines in this regard and indicate areas that need attention along with Action planned in these areas

क्या आवश्यक संरचना अपलब्ध है — हॉ / नहीं
Is the required infrastructure available — Yes/No

संख्या No.	न्यूनतम संरचना निर्देशिका Minimum Infrastructure Guidelines	अंतिम अद्यतन की तारीख Last Updation Date	वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी Comment on Current Status
1.	पर्याप्त फर्निचर Adequate Furniture	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
2.	प्रसाधन गृह/गृहों की उपलब्धता Availability of Toilet/s	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
3.	बिजली की उपलब्धता Availability of Electricity	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
4.	अन्य संबंधित मामले Any other relevant issues	शून्य Nil	लागू नहीं NA

वे क्षेत्र बतायें, जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है
State areas that need attention

मार्गदर्शन के अनुसार उचित ध्यान दिया जाता है.
As per the guidelines, adequate care is being taken.

उपर्युक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई योजना
Action planned in the above identified areas

पर्याप्त संरचना उपलब्ध है, अतः कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
Sufficient infrastructure is available and hence no action is required.

बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
आईडीबीआई बैंक	IDBI BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	STATE BANK OF INDORE
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

NOTES

NOTES



श्री डी.सी. सागर, भा.पु.से., मु.स.अ.
Shri D. C. Sagar I.P.S., C.V.O.



श्री यू.सी. झा, कार्यकारी निदेशक
Shri U. C. Jha Executive Director



डॉ. रीता कुमार, मु.म.प्र (विप)
Dr. Rita Kumar, CGM (Mktg.)



श्री ए.के. जैन, मु.म.प्र (वित्त)
Shri A.K. Jain, CGM (Finance)



श्री मनोज बजाज,
कंपनी सचिव एवं. महा प्रबंधक (वित्त)
Shri Manoj Bajaj
Company Secretary cum G.M. (Finance)

महा प्रबंधक
General Managers

श्री आशिष कुमार
Shri Ashish Kumar

श्री पी. के. अग्रवाल
Shri P. K. Agarwal

श्री ललित कुमार गुप्ता
Shri Lalit Kumar Gupta

श्री आर. सी. सरकार
Shri R. C. Sarkar

श्री एस. एल. खन्ना
Shri S. L. Khanna

उप महा प्रबंधक
Deputy General Manager

श्री पी. टी. पिल्लेवार
Shri P. T. Pillewar

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

श्री एस. आर मित्तल
Shri S. R. Mittal

श्री एस. के. पाणिग्रही
Shri S. K. Panigrahi

श्री एस. के. दास
Shri S. K. Das

Designed & Printed by creativeline2009@gmail.com